खण्ड-199, अंक-10
मंगलवार, 18 अग्रहायण, शक संवत् 1880
(9 दिसम्बर, 1958 ई0)

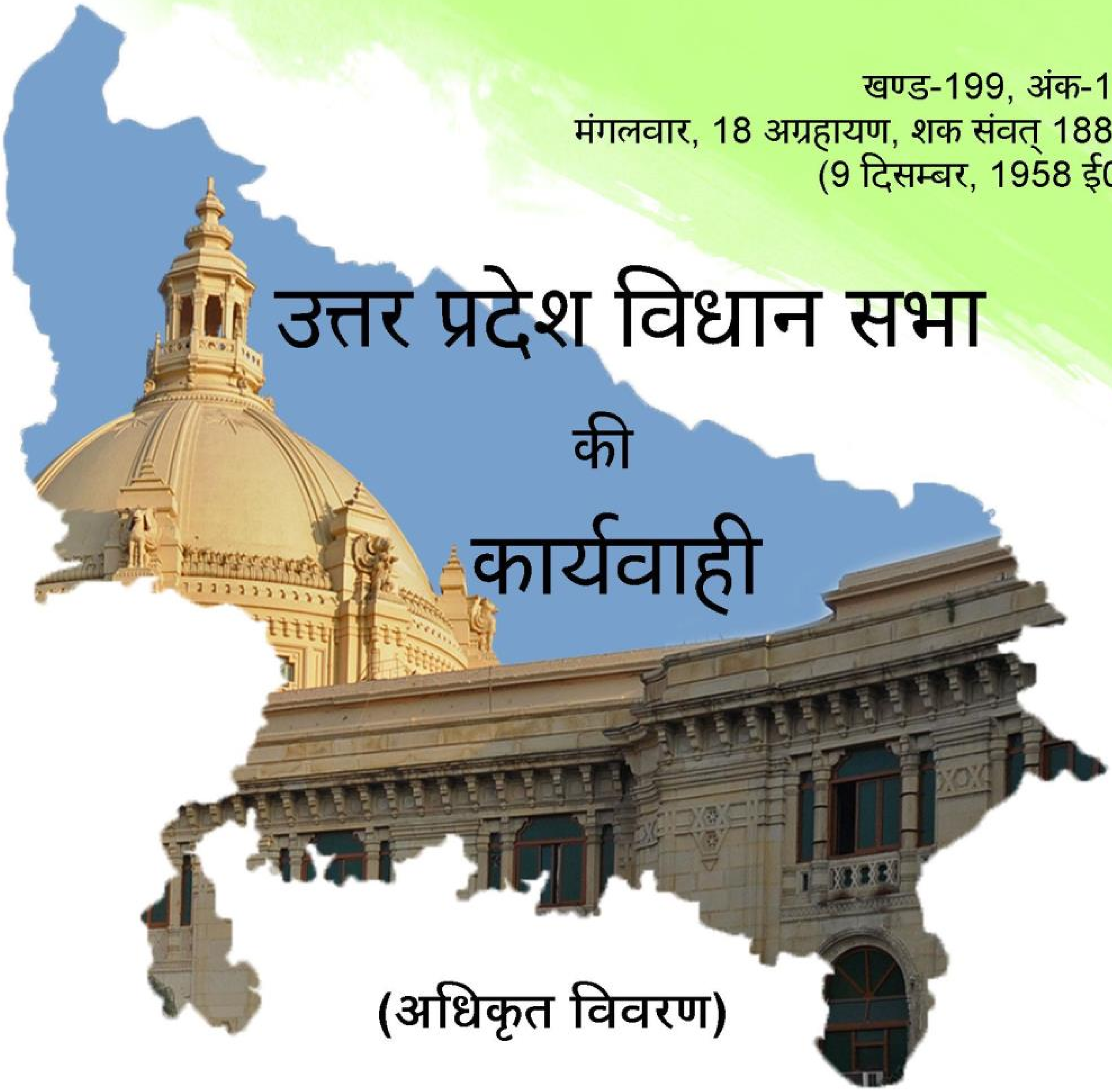

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 199 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ९ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३६९

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फत सिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारी लाल, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुरूप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री

प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूहलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूदन अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
बजरंग बिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री

सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूरतचन्द्र रमोला, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री श्री महावीर सिंह जी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ९ दिसम्बर, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गवर्नमेण्ट इण्टर कालेज, इटावा के सामने जनता व विद्यार्थियों पर गोली तथा लाठी चार्ज

**१--श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ११ अक्तूबर, सन् १९५८ को इटावा शहर में दिन के ११ और ३ बजे गवर्नमेंट इन्टर कालिज के ठीक सामने सड़क पर पुलिस ने जनता तथा विद्यार्थियों पर दो बार गोली चलाई और कई बार लाठी चार्ज किया ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--गोली केवल एक ही बार चलाई गयी तथा लाठी चार्ज दो बार किया गया।

**२--श्री भुवनेश भूषण शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि गोली चलाने के लिये पुलिस को जिलाधीश ने आज्ञा दी थी या अन्य किसी पदाधिकारी ने ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--गोली चलाने के लिये सिटी मैजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी थी।

रबी आन्दोलन

**३--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--तथा श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उस की ओर से चलाये गये रबी आन्दोलन की रूप-रेखा क्या थी और उसके क्या परिणाम हुए हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)-- खरीफ आन्दोलन की सफलता से प्रोत्साहित होकर रबी आन्दोलन चलाने का संकल्प किया गया। ५ मुख्य कार्यक्रम और ५ गौण कार्यक्रम रखे गये जो इस प्रकार हैं--

१--मुख्य कार्यक्रम--

१--उत्तर प्रदेशीय ढंग से गेहूं की खेती का प्रसार,

२--रबी की फसल के बीजों में आत्मनिर्भरता,

३--अन्य रबी की फसलों को पंक्तियों में बुवाई तथा रासायनिक खाद का प्रचार,

४--दो दाल वाली फसलों को खरीफ के बाद बोकर दो फसली क्षेत्र में वृद्धि,

५--कम्पोस्ट खाद तथा पशु मूत्र का खाद के लिये प्रयोग।

२--गौण कार्य क्रम--

१--मेंड़बन्दी।

२--कार्तिकी धान व मक्का की कटाई के बाद खेतों की जुताई।

३--तिलहन की खेती का प्रसार।

४--ढाल के विपरीत बुवाई।

५--वृक्षारोपण तथा तरकारी की खेती में वृद्धि।

१९ अगस्त, १९५८ को मुख्य मंत्री ने इस आन्दोलन के लिये एक अपील जारी की जिसकी प्रतिलिपि † संलग्न है। साथ ही साथ रबी आन्दोलन विशेष रूप से किसानों में प्रिय और प्रचलित बनाने के लिये कृषि सूचना ब्यूरो ने एक सहायक पुस्तिका ग्राम सहायकों के लिये जारी की जिसकी भी प्रतिलिपि † संलग्न है।

संक्षेप में इस आन्दोलन का उद्देश्य यह है कि हमारे किसान भाई ऊपर लिखे हुए कार्य-क्रमों को अपनावें जिससे कि खेती और पैदावार में तरक्की हो। २ १/२ लाख ग्राम सहायकों को शिक्षित किया जा रहा है कि वे उन्नत कृषि पद्धतियों को अपने क्षेत्र में अपनावें। हर-एक ग्राम सहायक से यह आशा की जाती है कि वह कम से कम १० किसानों को इन तरीकों को सिखाने का कार्य करेगा। ये ग्राम सहायक ग्राम सेवकों की सहायता से गांव में मीटिंग करते हैं demonstrations करते हैं और कार्यक्रम समझाते हैं। कृषि, सिंचाई, सहकारिता, माल तथा जितने संबंधित विकास विभाग थे सब में पूर्ण सहयोग स्थापित हुआ ताकि अभियान पूर्णरूप से सफल हो। १,१०,००,००० रु० खाद की तकावी के रूप में बांटा गया और ४० लाख पया बीज की तकावी के लिये बांटा गया। विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों ने भी इसमें विशेष दिलचस्पी दिखाई और अपने क्षेत्रों में दौरा कर के किसानों को इस अभियान के अपनाने के लिये प्रोत्साहन दिया। सरकार इन सब की आभारी है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई हो सकती है उनका कार्यक्रम उन क्षेत्रों से जिनमें सिचाई की सुविधा कम है, कुछ भिन्न है। पहाड़ी क्षेत्रों और बुन्देलखंड में कार्य की रूप रेखा उन क्षेत्रों की परिस्थिति के अनुकूल बनाई गई है। सिंचाई वाले क्षेत्रों का कार्य-क्रम इस नोट के शुरू में दिया गया है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा कम है वहां पर भी कार्यक्रम तो इसी तरह का है पर वहां पर रासायनिक खाद के स्थान पर गोबर, कम्पोस्ट और हरी खादें प्रयोग की जायंगी और बीज बनिस्बत सिंचाई वाले क्षेत्रों के कम घना डला जायगा।

बुन्देलखंड के क्षेत्र में और तराई और पहाड़ी क्षेत्रों में इस बात का विशेष प्रयत्न किया गया है कि सरसों और लाही की खेती बढ़े और फल के पेड़ भी पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा तादाद में लगाये जायं, विशेषकर किसानों के घर के पास।

---

†प्रतियां छापी नहीं गई हैं।

चूंकि अभी बुवाई भी पूरे रूप से खत्म नहीं हुई है इसलिये उत्पादन में कितनी बढ़ती होगी इसके लिये कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत कुछ प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, परन्तु जहां तक किसानों और विभागों का सहयोग है वह पूर्णरूप से हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में एक नया जीवन और नयी जागृति इस अभियान के द्वारा हुई है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय सहकारिता मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह अभियान प्रदेश के सभी जिलों में चालू किया गया है अथवा किन्हीं जिलों के किन्ही विशेष क्षेत्रों में ?

श्री मोहन लाल गौतम---कोशिश की गयी है कि सभी जिलों में सब जगह यह अभियान जारी हो।

श्री झारखंडे राय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस अभियान में राज्य सरकार पर विशेष भार पड़ा है अथवा अन्य खर्चे में यह शामिल किया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम---वह तो डिपार्टमेंट्स जैसा काम कर रहे थे उनको और तेजी से करना पड़ा है। छपाई वगैरह के कारण थोड़ा बहुत खर्च हुआ होगा। इसके अलावा और क्या खर्च हुआ इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गेहूं के साथ रासायनिक खाद लेने के लिये मजबूर किये गये जिनके यहां सिंचाई के साधन नहीं थे ?

श्री मोहनलाल गौतम---हिदायत यह की गई थी कि मजबूर न किया जाय लेकिन खाद ज्यादा देने की कोशिश जरूर की गई है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या इस अभियान के लिये कोई शिड्यूल बना था और उसी के मुताबिक काम हो रहा है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां, उसी के मुताबिक काम होने की कोशिश हो रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एक-एक ग्राम सेवक दस-दस किसानों को सिखायेगा, यह कार्यक्रम पूरा हुआ है ?

श्री मोहन लाल गौतम---कोशिश की जा रही है लेकिन कहां तक पूरा हुआ है यह नहीं कह सकता।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि विभाग की तरफ से नैनीताल में एक सेमीनार हुआ था उसने इस तरह की शिकायत भेजी है कि सिंचाई विभाग बाधक हो रहा है और सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या केन्द्रीय सरकार से इसके लिये कोई सहायता मिली है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री मोहन लाल गौतम---जो बजट बनता है यह दोनों का है इसके लिये खासतौर से मुझे याद नहीं है।

श्री झारखंडे राय---क्या मंत्री जी को सूचना है कि पूर्वी जिलों के कुछ हिस्सों में जहां पारसाल बलिया बारले बीज बांटा गया है उस से बहुत नुकसान हुआ है और जनता का सहयोग इसमें कम मिला है ?

श्री मोहन लाल गौतम---यह तो कई चीजों को मानकर प्रश्न किया गया है। इसके ब्योरे में जाने के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

तारांकित प्रश्न

(खाद्य मंत्री द्वारा स्थगित २ दिसम्बर, १९५८ के प्रश्न)

* * *

अलीगढ़ के सरकारी गल्ला गोदाम में अनाज को कथित क्षति

*७--कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार कृपया बतावेगी कि अलीगढ़ की सस्ते गल्ले की सरकारी गोदाम में इस वर्ष वर्षा का पानी भर जाने के कारण कितना गल्ला भीग कर सड़ गया ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--अलीगढ़ में इस वर्ष वर्षा के कारण राज्य सरकार गोदाम में गल्ले की कोई क्षति नहीं हुई है ।

*८--कुंवर श्रीपाल सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त घटना किस अधिकारी की असावधानी के कारण घटित हुई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी----प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर श्रीपाल सिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार का गल्ला गोदाम में रखा था जो वारिश में सड़ गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी नहीं । यह तो इस वर्ष की बात नहीं है पिछले साल की थी । मेरे खयाल में कुछ गलतफहमी हो गई है ।

* * *

साफ्ट कोक का कोटा देने का आधार

*१४--श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विभिन्न जिलों को जो साफ्ट कोक का कोटा निश्चित किया हुआ है उसका क्या कोई निश्चित फार्मूला है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां । विभिन्न जिलों में साफ्ट कोक का कोटा निम्न-लिखित आधार पर निश्चित किया गया है--

१--जिले की कुल जनसंख्या,

२--जिले की शहरी जनसंख्या,

३--जिले में दूसरे प्रकार का ईंधन, जैसे लकड़ी की प्राप्ति और जनता की मांग ।

* * *

इलाहाबाद की सस्ते अनाज की दूकाने

*१६--श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार के पास इलाहाबाद में सरकारी गल्ले की दूकानों की कमी के कारण दूकानों पर मारपीट की खबर आई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी नहीं ।

* * *

सीतापुर जिले के बाढ़ क्षेत्र में सस्ते अनाज की दूकानें

*४०--श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)--क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के अन्तर्गत सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---सीतापुर जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिये सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जा चुकी हैं ।

श्री मूलचन्द---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में कुल कितनी दूकानें खोली गयीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसमें सम्भवतः कुल १३ दूकानें हैं ।

श्री मूलचन्द --क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो १२ दूकानें मंत्री जी ने बतायीं वह सीतापुर प्रापर में हैं या बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---व्यौरे के लिये नोटिस की आवश्यकता है । मैंने १३ कहा था ।

* * *

लखनऊ में कंट्रोल भाव पर जलाने की लकड़ी बेचने की व्यवस्था

*४३---श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जलाने की लकड़ी (सोख्ता) लखनऊ के अलावा और किन-किन शहरों में कन्ट्रोल के भाव पर बिकवाने की व्यवस्था है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जलाने की लकड़ी (सोख्ता) कन्ट्रोल भाव पर बिकवाने की व्यवस्था इस समय लखनऊ के अतिरिक्त कहीं-नहीं है ।

*४४---श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खीरी जंगलात डिवीजनों का कन्ट्रोल सोख्ता सिविल सप्लाई के अलावा किन आधारों पर किन-किन कार्यों के लिये एलाट (allot) किया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---लखनऊ शहर के अतिरिक्त खीरी डिवीजनों का कन्ट्रोल का सोख्ता लघु उद्योगों, विद्यालयों, पी० ए० सी० व इस प्रदेश में स्थित मिलिट्री इत्यादि को उनकी मांग के अनुसार दिया जाता है ।

* * *

बरेली में सस्ते अनाज की दूकानें

*७२---श्री बाबू राम (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें शहर में और कितनी गांवों में हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---बरेली में नगर क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की ८० दूकानें हैं, गांवों में फिलहाल कोई नहीं है ।

श्री बाबूराम---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गांव में गल्ले की जरूरत नहीं थी या सरकार ने खोलना मुनासिब नहीं समझा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

श्री बाबूराम---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस वर्ष गांव में शहर के मुकाबले में गल्ला ज्यादा महंगा बिकता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---ऐसी बात तो नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात की आवश्यकता देखते हुए कि गांव वालों की हालत बड़ी दयनीय है अब भी गांव में कुछ दूकानें खोलने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जहां पर आवश्यकता समझी जाती है वहां अवश्य खोली जाती हैं ।

उन्नाव जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

*७३--श्री परमेश्वरदीन वर्मा (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले की प्रत्येक तहसील में कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--उन्नाव जिले की प्रत्येक तहसील में खोली गई सस्ते गल्ले की दूकानें निम्न प्रकार ह--

उन्नाव तहसील (उन्नाव नगर को मिला कर)	९
सफीपुर तहसील	६
पुरवा तहसील	३
हसनगंज तहसील	२
योग ..	२०

*७४--श्री परमेश्वरदीन वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वहां के जिलाधीश महोदय ने कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की मांग की थी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--३२ दूकानों की ।

* * *

फैब्रीकेटरों को कोटा

*८६--श्री सुद्दामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में अलग-अलग कितने फैब्रीकेटर हैं जिन्हें लोहे का कोटा नियमित रूप से दिया जाता है और कितना-कितना कोटा दिया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--प्रदेश के जिलेवार फैब्रीकेटरों की संख्या तथा उनके नियमित कोटे की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. ९९७-९९९ पर)

श्री सुद्दामाप्रसाद गोस्वामी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह फैब्रिकेटर्स की सूची किस सन् में और किस आधार पर बनी थी और आज उन्हें कोटा किस आधार पर दिया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--पूरे ब्योरे के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री सुद्दामाप्रसाद गोस्वामी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि झांसी जिले में जो ६ फैब्रिकेटर्स हैं उनमें एक पीपुल्स आयरन वर्क्स, तालबेहट १९५४ से समाप्त हो चुका है और दो लोहे का काम ही नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोटा मिल रहा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है । मुझे शिकायत लिखकर भेजें तो मैं जांच करा दूं ।

प्रतापगढ़ जिले में भट्ठों के लिये कोयला

*८७--श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७-५८ में प्रतापगढ़ में ईंट के भट्ठों को कुल कितना कोयला दिया गया और उनमें से सहकारी भट्ठों को कितना कोयला दिया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--सन् १९५७-५८ मे प्रतापगढ़ जिले में ईंट के भट्टों को कुल १८७ वैगन कोयला दिया गया। उसमें से ९२ बैगन कोयला सहकारी भट्टों को दिया गया।

बाराबंकी जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

*८८--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में किन-किन स्थानों में सस्ते गल्ले की दूकानें हैं और प्रत्येक दूकान पर कितना गल्ला बिक्री हुआ ? कुल कितने गल्ले का कोटा जिले भर के लिये है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--१५ सितम्बर, १९५८ को प्राप्त सूचना के अनुसार उस समय केवल ५ दूकानें शहर में चल रही थीं तथा १२-९-५८ तक उन दूकानों पर विक्रय किये गये गल्ले की मात्रा संलग्न तालिका में है।

उपरोक्त दूकानों के अतिरिक्त एक दूकान बाराबंकी नगर क्षेत्र में तारीख १५ सितम्बर, १९५८ के बाद खुली है तथा एक दूकान शहर में और खोली जाने वाली थी। बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में ११ दूकानें खोलने का प्रबन्ध किया गया था।

इन दूकानों से गल्ले की बिक्री की मात्रा एकत्रित नहीं की जा सकी।

जिले के लिये कोई कोटा निर्धारित नहीं है। दूकानों की संख्या व रोजाना की निर्धारित बिक्री की मात्रा के अनुसार गल्ला दिया जाता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १००० पर)

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शहरों की दुकानों से कम गल्ला बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों की दुकानों को दिया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--ऐसी बात तो नहीं है। जहां पर जैसी आवश्यकता होती है वहां उतना ही दिया जाता है।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़-पीड़ित देहातों में कुल कितना गल्ला दिया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अलग-अलग दुकानों में अलग-अलग तरीके से दिया जाता है। कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा दिया जाता है। जहां जितनी आवश्यकता होती है, उसी के मुताबिक दिया जाता है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शहरों की दूकानों पर या गांवों की दुकानों पर प्रति दिन बराबर गल्ला दिया जाता है या कम ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--शहरों की दूकानों पर यह प्रतिबन्ध रहता है कि जिनकी आमदनी १५० रुपये से कम है उनको ही दिया जाय। गांवों में यह बात नहीं है। गांवों में २ सेर के हिसाब से, मुझे ठीक स्मरण तो नहीं है, शायद दिया जाता है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शहरों में जो दूकानें हैं उन पर प्रतिदिन कितना मन गल्ला बिक्री किया जाता है और गांवों में प्रति दिन कितना मन गल्ला बिक्री किया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---शहरों में तो जितने यूनिट होते हैं उनके हिसाब से गल्ला दिया जाता है और गांवों की दूकानों पर ५,०००, या ३,५०० या २,५०० संख्या निर्धारित रहती है उसी के अनुसार दिया जाता है।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि शहरों की दुकानों पर ज्यादा मन गल्ला रोज दिया जाता है और गांवों में कम ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मैं यह कह चुका हूं कि शहरों में भी अलग-अलग किस्म की दूकानों पर कम और ज्यादा है। हर एक दूकान एक सी नहीं है। गांवों में भी जहां पर आबादी ज्यादा है, वहां पर ज्यादा गल्ला दिया जाता है।

* * *

जौनपुर में सरकारी दूकानों से सस्ता अनाज न मिलने की शिकायत

*९२---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या खाद्य मंत्री को मालूम है कि ५ अगस्त, १९५८ से लेकर १५ अगस्त, १९५८ तक जौनपुर में सरकारी गोदाम से सस्ते गल्ले की दूकानों से गल्ला नहीं मिला ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी नहीं। यह सही नहीं है।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे---क्या माननीय मंत्री महोदय को यह पता है कि गल्ले की कमी के कारण मैंने स्वयं माननीय मुख्य मंत्री को तार जौनपुर से दिया था और उसके बाद फिर ४४ वैगन वहां गये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह तो मैं नहीं कह सकता। मेरे पास इसका विवरण नहीं है मगर जहां तक मुझे मालूम है बम्बई से कुछ गल्ला आने में विलम्ब हुआ था तो वहीं पास की जगह से वहां गल्ला भेज दिया गया था फिर कमी नहीं रही।

राज यादवेन्द्र दत्त दुबे---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में यदि गल्ले की कमी नहीं हुई तो शहर में २५ मन कोटा घटाकर ५ मन क्यों कर दिया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मैंने यह कहा कि थोड़े दिनों के लिये बरसात के समय वहां दुकानों पर पहुंचने में थोड़ा विलम्ब हुआ। उस समय बनारस के आसपास से वहां गल्ला भेज दिया गया। १-२ दिन के लिये देर हुई हो तो मैं नहीं कह सकता।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे---श्रीमन्, उत्तर में कहा गया कि गल्ले की कोई कमी नहीं हुई और अभी दूसरे उत्तर में कहा गया कि गल्ला पहुंचने में विलम्ब हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं कि दोनों में से कौन उत्तर सही है, वहां वास्तव में गल्ले की कमी हुई या कमी न होने के बाद भी गल्ला कम दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सन् १९५८ के अगस्त में स्टाक की पोजीशन जरा कुछ संतोषजनक नहीं थी वहां पर। इसलिये वहां सप्लाइज को रश किया गया और बनारस के सेंट्रल डिपो से भी गल्ला भेजा गया। कमी जरूर हुई वहां पर कुछ दिनों के लिये क्योंकि बंबई से गल्ला पहुंचने में देरी हुई थी, लेकिन गल्ला फौरन ही वहां भेज दिया गया।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर एक ही गल्ला नहीं दिया जाता है तो वहां वितरण की क्या व्यवस्था है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मैं कुछ समझा नहीं।

श्री उग्रसेन---अगर दूकानों पर गेहूं नहीं दिया जाता है तो क्या बाजरा ही दिया जाता है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जो गल्ला उपलब्ध हो, वह दिया जाता है।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां के स्टाक की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, तो यह असंतोषजनक स्थिति वहां कब तक रही ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मेरे खयाल से दो-चार दिन रही होगी और यह संतोषजनक और असंतोषजनक शब्द ऐसे हैं कि जिनकी ठीक से व्याख्या करना कठिन है। मगर मैं बता दूं कि.....

श्री अध्यक्ष---लेकिन उनका उपयोग आपने ही किया है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह हो सकता है कि आपको उस से असंतोष हुआ हो, हम को नहीं हुआ।

* * *

जालौन ज़िले की कालपी तहसील में सस्ते अनाज की दूकानों के लिये कम्युनिस्ट पार्टी का स्मृति-पत्र

*९३---श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन के कालपी तहसील में सरकार की ओर से कोई सस्ते गल्ले की दूकान खोली गई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी हां, काल्पी तहसील में सस्ते गल्ले की दूकान खोलने के आदेश दे दिये गये हैं।

*९४---श्री चन्द्रजीत यादव---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन के कालपी तहसील कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से २०-८-५८ का भेजा हुआ कोई स्मृति-पत्र मुख्य मंत्री और न्याय मंत्री को प्राप्त हुआ है जिसमें सस्ते गल्ले की दूकानों के खोलने की मांग की गई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी हां।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह आदेश कब दिया गया और उसके मुताबिक वहां कितनी दूकानें खोली गयीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---निश्चित डेट के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी, मगर आप का पत्र पहुंचा था और उसके पहले जिलाधीश का पत्र पहुंचा था और उस के बाद वहां कुछ दूकानें खोल दी गयीं।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ने पत्र दिया था उसमें कितनी दूकानें खोलने की मांग की गयी थी और कितनी दूकानें खोली गयीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह तो बहुत ब्योरे का पत्र है, लेकिन जितनी आवश्यकता थी उसके मुताबिक कालपी में दूकानें खोल दी गयीं।

* * *

लखीमपुर में सस्ते अनाज की दूकानें

*११९---श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला खीरी के किन-किन कस्बों में सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने का उसका विचार है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जिला खीरी से केवल लखीमपुर टाउन में सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की मांग की गई थी और वहां दूकानें खोल दी गई हैं।

शिवरमण टोली तथा अशोक मेहता कमेटी के सुझावों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में जानकारी

*१२०--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गत वर्ष राज्य के अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों के संबंध में खाद्य स्थिति सुधारने के हेतु शिवरमण टोली की अन्तरिम रिपोर्ट तथा अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट में दिये गये सुझावों में से किन-किन को कार्यान्वित किया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--शिवरमण टोली तथा अशोक मेहता कमेटी के सुझावों का सम्बन्ध सरकार के विभिन्न विभागों से है और वांछित सूचना एकत्रित करने में काफी समय लगेगा। इस सूचना के एकत्रित करने में जो परिश्रम तथा व्यय लगेगा वह इसके उद्योग तुल्य नहीं होगा।

* * *

फर्रुखाबाद जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

*१२९--श्री द्वारिकाप्रसाद दोहरे (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह जिला फर्रुखाबाद में सस्ते गल्ले की और कितनी नई दुकानें खोलने का विचार कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--१३ अगस्त, १९५८ तक फर्रुखाबाद जिले में कुल ११ सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की स्वीकृति दी गई थी तदुपरान्त १६ दुकानें और बढ़ाने के आदेश दिये जा चुके हैं। अब सरकार द्वारा जिले के लिये स्वीकृत दूकानों की संख्या २७ है।

श्री द्वारिकाप्रसाद दोहरे--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन १६ दुकानों का आदेश कब दिया गया है और इसमें कितनी दूकानें देहाती क्षेत्रों में खोली गयी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह ब्योरेवार बताने के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री द्वारिकाप्रसाद दोहरे--क्या सरकार फर्रुखाबाद जिले में सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--आवश्यकतानुसार बढ़ाने-घटाने की बात पर हम हमेशा विचार करते रहते हैं।

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १६ दुकानें खुलने के जो आदेश दिये गये थे, उसके बाद वह दुकानें खुल गयी हैं या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मेरी सूचना है कि ये खुल गयी हैं।

* * *

[९ दिसम्बर, १९५८ के लिये रखे गये प्रश्न]

*१-२-श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--[हटा दिये गये।]

आजमगढ़ जिले में दोहरीघाट, घाघरा नदी पर पुल निर्माण का आयोजन

*३--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में दोहरीघाट, घाघरा नदी पर जो पुल बनने वाला है उस पर निर्माण-कार्य कब से शुरू होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)--इस पुल का आगणन केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात् कार्य आरम्भ किया जायेगा।

श्री मुक्तिनाथ राय--प्रदेशीय सरकार ने कब और कितनी धनराशि के लिये पत्र भेजा है।

श्री गिरधारी लाल--इसका टोटल एस्टीमेट तो है ९१,४०,००० रुपया जिसमें एप्रोच रोड भी शामिल हैं। ८ सितम्बर, सन् १९५५ से इसके विषय में हम लोगों के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है।

श्री मुक्तिनाथ राय--जो केंद्रीय सरकार के विचाराधीन है वह रोड-कम-रेलवेज के निमित्त है या कैसा है ?

श्री गिरधारीलाल--यह बिलकुल स्वतंत्र चीज होगी।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार पुनः केंद्रीय सरकार से अनुरोध करेगी कि इस पुल को रोडवेज-कम-रेलवे का बनाया जाय ?

श्री गिरधारीलाल--इसकी जरूरत महसूस नहीं होती।

आजमगढ़ जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

*४--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में जुलाई, १९५८ के पहले सस्ते गल्ले की दूकानें कहां-कहां पर और कितनी थीं ? जुलाई में कितनी दूकानें प्रति तहसील कहां-कहां बढ़ायी गयीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--आजमगढ़ जिले की कुल तहसीलों में जुलाई, १९५८ से पूर्व सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या २०६ थी और जुलाई में ३२ ऐसी दूकानें और बढ़ाई गयीं।

प्रत्येक तहसील में कहां और कितनी-कितनी ये दूकानें खुली हैं उनकी सूची कार्यालय में उपलब्ध है। माननीय सदस्य यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं, फेहरिस्त कई पन्नों की है।

बागेश्वर-मुन्सयारी मार्ग खराब होने के कारण अनाज भेजने में अड़चन

*५--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को ज्ञात है कि मुन्सयारी, जिला अल्मोड़ा जाने वाले सभी रास्ते वर्षा से क्षत-विक्षत हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार वहां पीड़ितों हेतु क्या हवाई जहाज द्वारा अनाज भेजे जाने का प्रबन्ध कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह सही है माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में अतिवृष्टि होने के कारण-बागेश्वर मुन्सयारी मार्ग इस योग्य न रहा कि बागेश्वर से मुन्सयारी को घोड़ो द्वारा अन्न भेजा जाय। इसलिये कुलियों द्वारा अन्न पहुंचाने का प्रबन्ध किया गया। हवाई जहाज द्वारा अन्न भेजने की आवश्यकता नहीं थी। क्वेटी में एक सरकारी अन्न भंडार ६ अगस्त, १९५८ से ३० सितम्बर, १९५८ तक उस इलाके की जनता में अन्न वितरण करने हेतु खोला गया और ६७९ मन गेहूं वितरित किया गया। अब मार्ग ठीक है और घोड़ों व बकरियों द्वारा गेहूं मुन्सयारी भेजा जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने दिनों तक बागेश्वर-मुन्सयारी का रास्ता रुका रहा और कितने दिन तक अनाज नहीं भेजा जा सका ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--बागेश्वर नदी पर पुल बह गया था। कुलियों के द्वारा सर पर अनाज भेजा गया। वहां कोई दिक्कत नहीं हुई।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह नहीं था जो मंत्री जी ने उत्तर देने की कृपा की है। मेरा प्रश्न तो यह था कि वहां कितने दिनों तक अनाज नहीं भेजा गया और कितने दिन तक मार्ग बन्द रहा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--नोटिस की आवश्यकता है। मुझे रिपोर्ट मिली है कि कोई कमी नहीं रही। बराबर मिलता रहा थोड़ा-बहुत।

श्री प्रतापसिंह--जब बागेश्वर पर पुल टूट गया था तो कुलियों द्वारा अनाज कैसे भेजा गया, किस रास्ते से ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--वहां कुछ आर पार जाने का प्रबन्ध था। पहले खच्चर जाते थे, फिर आदमियों द्वारा भेजा जाता था।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को विदित है कि उस इलाके का स्टैपिल खाना चावल है जो वहां बहुत थोड़ा पहुंचा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां, मुझे वह कल मिले थे और उनकी आवश्यकतानुसार प्रबन्ध हो रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार मुनस्यारी में एक स्थायी गोदाम खोलने का कष्ट करेगी ताकि वहां लगातार सप्लाई हो सके ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--हम जानते हैं कि शायद जाड़ों में बर्फ पड़ जाय और रास्ते रुक जावें, इसलिये हम पहले से ही प्रबन्ध कर रहे हैं।

अल्मोड़ा जिले में गौरी नदी पर लोहे का झूला पुल बनवाने का प्रस्ताव

*६--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार के पास गौरी नदी पर लोहे का झूला पुल बनाने का कोई प्रस्ताव अल्मोड़ा जिले से आया है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारी लाल--गौरी नदी पर लोहे का झूला पुल बनाने का प्रस्ताव अल्मोड़ा जिले से सरकार के पास आया था, परन्तु धनाभाव के कारण इस समय इस पुल का निर्माण कराना सरकार के लिये संभव नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह प्रस्ताव डुम्मर स्थान के लिये या किस स्थान के लिये आया था ?

श्री गिरधारी लाल--मेरा खयाल है कि डुम्मर स्थान के लिये था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को ज्ञात है कि ९० लाख रुपया बार्डर एरिया फंड में सरकार के बजट में मौजूद है जो खर्च नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या उस रुपये में से यह पुल वह बनवा देगी ?

श्री गिरधारी लाल--उस रुपये के खर्च का पूर्ण अधिकार हमें नहीं है। केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से वह खर्च होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या केंद्रीय सरकार से स्वीकार कराके बार्डर एरिया के पुल और ऐसे ही दूसरे पुलों को बनवाने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री गिरधारी लाल--इस पुल के बारे में लिखा-पढ़ी की गई थी लेकिन धनाभाव के कारण इस पुल की स्वीकृति उन्होंने नहीं दी।

श्री प्रताप सिंह--क्या इस पुल का एस्टीमेट बनाया गया था ?

श्री गिरधारी लाल--रफ़ एस्टीमेट बनाया था जो ४०,००० रुपये का था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को ज्ञात है कि बार्डर एरिया में सड़क और पलों आदि पर खर्च करने के लिये ९० लाख रुपया सरकार को केंद्रीय सरकार ने दिया हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल--दिया हुआ जरूर है। लेकिन हम अपनी मरजी से उसे खर्च नहीं कर सकते बल्कि केंद्रीय सरकार की स्वीकृत से खर्च करते हैं। इस पुल की जरूरत सरकार ने नहीं समझी और इस नामंजूर किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--धनाभाव की रुकावट है या केंद्रीय सरकार ने नामंजूर कर दिया है, दोनों में कौन सही है ?

श्री गिरधारी लाल--दोनों उत्तर अपने स्थान पर सही हैं। धनाभाव के कारण कद्रीय सरकार ने नामंजूर कर दिया है।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी हम लोगों के निवेदन पर केंद्रीय सरकार से मांग करेंगे कि यह पुल जरूर बनवाया जाय ?

श्री गिरधारी लाल--अब मैं कोई जरूरत नहीं समझता।

खीरी जिले में सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिये अनुदान

*७--**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में जिला खीरी के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से क्या सहायता टूटे हुये पुलों तथा सड़कों के निर्माण हेतु दी गई ?

श्री गिरधारी लाल--जिला खीरी में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में टूटे हुये पुलों तथा सड़कों के निर्माण के लिये १९५६-५७ में १७,९०० रुपया तथा १९५७-५८ में २२,००० रुपया की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

एटा जिले के बाढ़ ग्रस्त क्षे में सस्ते अनाज की व्यवस्था

*८--**श्री भूपकिशोर** (जिला एटा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा के बाढ़ पीड़ित अभाव-ग्रस्त क्षेत्र में सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें खोलने की सरकार ने व्यवस्था की है तथा कितने गरीबों को गल्ला खरीदने को फ्री पास दिये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--एटा जिले के बाढ़ पीड़ित अभावग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की १० दूकानें खोलने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जिलाधीश ने ४,५०० मन चना ८ दूकानों के द्वारा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बेचने का प्रबन्ध किया है।

गल्ला खरीदने के लिये फ्री पास किसी को नहीं दिये गये हैं।

श्री भूपकिशोर--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दूकानों से प्रति माह और प्रति परिवार कितना गल्ला दिया जाता है और क्या हर परिवार के लोगों की तादाद के अनुसार दिया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--नोटिस की आवश्यकता है।

श्री भूप किशोर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों के पास खरीदने के लिये पैसा नहीं है तो क्या सरकार उन लोगों के लिये टेस्ट वर्क खोलने की कृपा करेगी और उनको फ्री पास भी देने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--टेस्ट वर्क्स तो रेवेन्यू मैन्युअल के नियमों के अनुसार खोले जाते हैं। जहां तक फ्री पास देने का सम्बन्ध है, जहां पर ऐसी हालत देखी जाती है वहां दिये जाते हैं लेकिन एटा में ऐसी हालत नहीं है।

*९--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--[स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले में सहकारी समितियों द्वारा खोली गयी सस्ते अनाज की दूकानें

*१०--श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में कितनी सरकारी गल्ले की दूकानें सहकारी समितियों या सहकारी संघों द्वारा चलाई जा रही हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल १४ सस्ते गल्ले की दूकानें सहकारी समितियों या संघों द्वारा चलाई जा रही हैं ।

*११--श्री नागेश्वर प्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त समितियों में से कौन-कौन समितियां इन दूकानों को स्वयं अपने धन से चला रही हैं और किन-किन समितियों ने इन्हें दूसरों को चलाने के लिये दिया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जहां तक सरकार के पास सूचना उपलब्ध है सभी दूकानें समितियों, संघों द्वारा अपने निजी धन से चलाई जा रही हैं ।

*१२--श्री नागेश्वर प्रसाद--जिन सहकारी समितियों ने दूसरों को दूकानें दे दी हैं उन्होंने क्या शर्तनामा किया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नागेश्वर प्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन समितियों के नाम क्या हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसके लिये बेहतर होगा आप दफ्तर में आ कर देख लें । यहां पर मेरे पास नहीं हैं ।

गोरखपुर जिले में चूना व ईटों के भट्ठों को कोयले का कोटा

*१३--श्री गौरी राम गुप्त (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में हर तहसील में पृथक-पृथक ईंटों के कितने भट्ठों को कोयले का कोटा दिया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसकी तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १००१ पर)

*१४--श्री गौरी राम गुप्त--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में तहसीलवार कितने-कितने चूने के भट्ठों को कोयले का कोटा दिया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसकी भी तालिका संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १००१ पर)

श्री गौरी राम गुप्त--क्या सरकार बतायेंगी कि तहसील सदर में ईंट के भट्ठों के लिये सब से ज्यादा कोयला देने के कारण क्या हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मकानों की कमी ।

श्री गौरी राम गुप्त--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि फरेंदा और महाराजगंज तहसीलों में भी कम मकान नहीं बनते लेकिन वहां कोयला कम क्यों दिया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह वितरण तो उस वक्त की मांग के मुताबिक ही किया गया होगा ।

श्री जगवीर सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मकानों की कमी को जानने के लिये क्या माननीय मंत्री जी कोई सर्वे कराते हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--सर्वे की आवश्यकता नहीं है। हम और आप सभी रोज महसूस करते हैं कि मकानों की कमी है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की बांसी गांव तहसील के बाढ़ क्षेत्र में कितने भट्ठे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--बांसी गांव में चूने का एक भट्ठा है।

*१५--श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--[हटा दिया गया।]

पंचायतों के पास जन्म व मृत्यु के रजिस्टर

*१६--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो पंचायतों के पास जन्म और मृत्यु का रजिस्टर रहता है उसमें जन्म की तारीख के अलावा नाम भी लिख सके वह इसकी व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

स्वायत्त शासन उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--गांव पंचायतों के पास जो जन्म मृत्यु का रजिस्टर रहता है, उसमें जन्म की तारीख के अलावा नाम लिखने की व्यवस्था पहिले से ही मौजूद है।

श्री गनेश चन्द्र काछी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचायतों में जो जन्म मृत्यु का रजिस्टर रहता है उसमें जन्म के साथ नाम भी एक ही तारीख को लिखा जाता है या अलग-अलग तारीख को लिखा जाता है ?

श्री राम स्वरूप यादव--ऐसी व्यवस्था की गयी है कि उस दिन अगर नाम पता चल जाता है तो उस दिन लिख दिया जाता है। हिदायत यह है कि परिवार का मुखिया ८ महीने के अन्दर नाम बता दे वह भी दर्ज हो जाता है।

श्री देव नारायण भारतीय--क्या सरकार यह बतायेगी कि कुछ वर्ष पहले क्या थानों में भी जन्म मृत्यु का लेखा रखा जाता था ?

श्री रामस्वरूप यादव--गांव सभाओं में जो रजिस्टर अब रक्खा जाता है, वैसी व्यवस्था पहले थानों में थी।

वन विभाग के अन्तर्गत चकिया रेंज, वाराणसी डिवीजन के कुछ कर्मचारियों की बरखास्तगी

*१७--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बन विभाग के चकिया रेंज, वाराणसी डिवीजन के कितने कर्मचारीगण पिछले १८ महीने से मुअत्तल हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--तीन कर्मचारी।

*१८--श्री बंशीधर शुक्ल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त कर्मचारियों का मामला इतने अधिक समय के भीतर न सुलझने के क्या-क्या कारण हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--कारण नीचे दिये जाते हैं--

(१) एक कर्मचारी को सिविल-सर्जन लखनऊ के सर्टीफिकेट के अनुसार लगभग ६ महीने छुट्टी पर रहना पड़ा और तीनों कर्मचारियों का मामला एक दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध रखता था।

(२) डिवीजनल फारेस्ट आफिसर की बदली होकर दूसरे आफिसर ने चार्ज लिया जिन्हें मामले की छानबीन करने में समय लगा।

(३) गवाहों को पेश कराने में समय लगा।

लखनऊ में सार्वजनिक रजिस्टर्ड संस्थाओं को दी गयी सस्ते अनाज की दूकानें

*१९—श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ शहर में सस्ते गल्ले की दुकानें कितनी हैं और उनमें से कितनी सार्वजनिक रजिस्टर्ड संस्थाओं को एलाट की गई हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—लखनऊ शहर में खुली हुई सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या १२७ हैं। इनमें से १९ दूकानें रजिस्टर्ड संस्थाओं को दी गई हैं।

श्री बलवान सिंह—क्या सरकार यह बतलाने कृपा करेगी कि सार्वजनिक रजिस्टर्ड संस्थाओं को इतनी कम दूकानें क्यों दी गयी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिनके पास ऐसे साधन थे जो दूकानों को चला सकते हैं और प्रार्थना-पत्र भी इतने ही आये, इसलिये उतनी ही दूकानें दी गयी हैं।

श्री बलवानसिंह—क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि इन सार्वजनिक रजिस्टर्ड संस्थाओं से कितनी दरख्वास्तें आयी थीं और उनके पास साधन क्या नहीं थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

आनन्दनगर, तहसील फरेंदा में महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापना का आयोजन

*२०—श्री गौरी राम गुप्त—क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले के फरेन्दा तहसील के फरेंदा (आनन्दनगर) में २ अक्तूबर सन् १९५६ को उपमंत्री, निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, जब गये थे तो चौराहे पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति को रखने के लिये उन्हें प्रार्थना-पत्र दिया गया था जिसे उपमंत्री जी ने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० डी०, गोरखपुर को उचित कार्यवाही के लिये दे दिया था ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीर सिंह)—इस सम्बन्ध में जिलाधीश, गोरखपुर द्वारा प्रार्थी से प्रस्तावित मूर्ति दिखाने को कहा गया है जिसको देखने के पश्चात् मंत्रणा समिति अपना निर्णय देगी।

श्री गौरी राम गुप्त—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिलाधीश गोरखपुर ने स्वयं महात्मा गांधी जी की मूर्ति को देख कर प्रस्तावित व्यक्ति को मूर्ति के लगाने का आदेश दिया है ?

श्री महावीर सिंह—जहां तक मूर्ति का सम्बन्ध है अभी वह खरीदी नहीं गयी है, इसलिये उसके देखने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री गौरी राम गुप्त—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि किस किस्म की मूर्ति महात्मा गांधी जी की प्रस्तावित व्यक्ति जिलाधीश को दिखलावे तो वे उसे पसन्द करेंगे ?

श्री महावीर सिंह—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से वे बात कर लें।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश महोदय ने आनन्द नगर के चौराहे पर गांधी जी की मूर्ति लगाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव या कोई सूचना सरकार को भेजी है ?

श्री महावीर सिंह—जी हां, भेजी है।

श्री गौरी राम गुप्त—क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस किस्म का आदेश देगी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्वयं दो चार किस्म की मूर्तियाँ उस प्रस्तावित व्यक्ति को दिखला दें और उनको आदेश दें कि यह मूर्ति वहां लगा दें ?

श्री महावीर सिंह—ऐसा सम्भव नहीं है।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, बलिया के भवन के लिये अनुदान

*२१--श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)--क्या सरकार बतान की कृपा करेगी कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, बलिया के भवन निर्माण हेतु कुल कितना रुपया सरकार से स्वीकृत है और कब से ?

श्री महावीरसिंह--इस भवन के निर्माण हेतु कुल ३,४७,७६० रुपये के व्यय करने की स्वीकृति शासन द्वारा दिनांक १३-९-५७ को प्रदान की गई ।

*२२--श्री राम लक्षण तिवारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त भवन के निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री महावीर सिंह--इस कार्य के आगणन को प्रशासकीय स्वीकृति (administrative appoval) अभी हाल ही में ९-८-५८ को प्रदान की गई है ।

Detailed estimate की टेक्निकल स्वीकृति भी मुख्य अभियन्ता द्वारा ७-१०-५८ को दी जा चुकी है । कार्य के लिये टेंडर भी मांगे गये हैं । टेंडर स्वीकृत होने के पश्चात कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

श्री रामलक्षण तिवारी--क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि टेंडर किस तारीख को मांगे गये और उनकी स्वीकृति कब तक हो जायगी ?

श्री महावीरसिंह--इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री रामलक्षण तिवारी--क्या यह आशा की जाय कि अगले महीने में इसका कार्य प्रारम्भ हो सकेगा ?

श्री महावीर सिंह--शीघ्रता की जा रही है और टेंडर के स्वीकृत होने पर काम फौरन आरम्भ कर दिया जायगा ।

*२३--श्री रामलक्षण तिवारी--[स्थगित किया गया ।]

टिकरी फारेस्ट, जिला गोंडा के जंगली जानवरों से फसल को क्षति

*२४--श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार को पता है कि टिकरी फारेस्ट, जिला गोंडा में जंगली जानवरों की संख्या अधिक है और वे काश्तकारों की फसल को नुकसान करते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--टिकरी फारेस्ट, जिला गोंडा में जंगली जानवर बहुत कम हैं । अलबत्ता बहुत-सी छोड़ दी गई गायें, बैल और बन्दर इन जंगलों में पाये जाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनका इलाज तार बांधकर नहीं हो सकता है और न सम्भव है ।

*२५--श्री बलदेवसिंह--क्या सरकार काश्तकारों की फसल को नुकसान से बचाने के लिये अपने फारेस्ट के चारों तरफ फेंसिंग (तार लगवाने) की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--इन जंगलों को तार-बाड़ से घिरवाने की इस समय कोई योजना नहीं है ।

श्री बलदेवसिंह--क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जंगली गायों से काश्तकारों को जो क्षति पहुंचती है उससे उनके बचाव के लिये क्या तरीका निकाला गया है ?

श्री सैयद अलीजहीर--इसके इलाज के लिये गालिबन एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट कुछ तरीके सोच रहा है कि इनको पकड़ा जाय और फिर इनको पालतू किया जाय। इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है।

श्री बलदेवसिंह--क्या मन्त्री महोदय उन लोगों को जिनके खेतों को नुकसान पहुंचता है उन जंगली गायों तथा उनके बछड़ों को जंगल में घुस कर पकड़ने की इजाजत देंगे ?

श्री सैयद अलीजहीर--अगर दरख्वास्तें आयेंगी तो गौर किया जायगा।

श्री बलदेवसिंह--क्या मन्त्री जी के पास ऐसी दरख्वास्तें आई हैं जिनमें लोग बराबर इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है और इसके लिए या तो सरकार फेंसिंग करे या उन जानवरों को पकड़ने व उनका वध करने की इजाजत दे ?

श्री सैयद अलीजहीर--मेरे इल्म में ऐसी दरख्वास्तें नहीं हैं।

जिला बोर्ड एटा का आडिट

*२६--श्री रघुवीर सिंह (जिला एटा)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या १९५८ में जिला बोर्ड भंग होनेके पश्चात्, जिलाधीश एटा ने चार्ज लेते समय जिला बोर्ड एटा का आडिट कराया ? यदि हां, तो क्या कोई हिसाब में अनियमितता पाई गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--जिलाधीश एटा ने स्वयं कोई आडिट नहीं कराया। टेस्ट आडिट जो सदैव बोर्ड के एकाउन्ट्स का होता आया है, के अनुसार आडिट हुआ और आडिट नोट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही हेतु अन्तिरम जिला परिषद् के समक्ष प्रेषित किया जायगा।

बाराबंकी जिले में गोमती पर औसानेसुर घाट का पुल बनवाने की प्रार्थना

*२७--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी, तहसील हैदरगढ़ में गोमती नदी में औसानेसुर घाट (पहलाघाट) में पुल बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री महावीर सिंह--जी नहीं।

*२८--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार इस बात की जांच करा कर बताने की कृपा करेगी कि उक्त पुल के बनवाने में कितना धन व्यय होगा ?

श्री महावीर सिंह--लगभग ८ लाख रुपया।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि औसानेसुर घाट पर पहले नावों का पुल बंधा हुआ था, उसी भांति पुनः वे पुल बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीर सिंह--इसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री जंगबहादुर वर्मा--नैपुरा घाट से औसानेसुर घाट तक सड़क बनाने की योजना है, उसमें जो रुपया व्यय होगा क्या सरकार इसके स्थान पर औसानेसुर घाट पर पुल बनाने की कृपा करेगी ?

श्री महावीर सिंह--जी नहीं।

बाराबंकी जिले के आनरेरी मैजिस्ट्रेट

*२९--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी, तहसील हैदरगढ़, रामसनेही घाट, फतेहपुर, नवाबगंज बेंच में प्रत्येक तहसील में इस समय कितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं और उसमें कितने हरिजन तथा पिछड़ी जाति के हैं ?

स्वास्थ्य उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---तहसील रामसनेही घाट तथा फतेहपुर में कोई बेंच नहीं है। तहसील हैदरगढ़ तथा नवाबगंज बेंचों में क्रमशः दो तथा एक मैजिस्ट्रेट हैं। इनमें कोई हरिजन या पिछड़ी जाति का नहीं है।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या माननीय मन्त्री बतालायेंगे कि तहसील हैदरगढ़ बेंच में २ ही मैजिस्ट्रेट क्यों रखे गये हैं ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---तीसरा भी रखने वाले हैं।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि हैदरगढ़ तहसील में तीसरा मैजिस्ट्रेट कितन दिनों से नहीं ह ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

कोल डिपो खोलने का आधार

*३०---श्री शिवराज सिंह यादव---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह फार्मूला क्या है जिसके आधार पर विभिन्न जिलों को कोल डिपो की संख्या कायम की गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---विभिन्न जिलों में कोल डिपो की संख्या जिले के साफ्ट कोक के कोटे पर निर्भर है जो कि निम्नलिखित आधार पर निर्धारित किया गया है ---

१---जिले की जन संख्या।

२---जिले की शहरी जनसंख्या।

३---जिले में लकड़ी की प्राप्ति, और

४---जनता में साफ्ट कोक के प्रयोग के लिये रुचि।

श्री शिवराजसिंह यादव---क्या माननीय मंत्री इस प्रश्न को सूचना मानते हुए यह जांच कराने को कृपा करेंगे कि इस फार्मूले के इस्तेमाल में, जहां तक बदायूं जिले का सम्बन्ध है, कोई भारी भूल हुई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मेरे खयाल से तो नहीं हुई है। गवर्नमेंट आफ इंडिया यू० पी० की स्टेट्स के लिये करीब १५ हजार वैगन्स सालाना वितरण करती है। बड़े शहरों में २४ वैगन्स और छोटे शहरों को १६ वैगन्स दिये जाते हैं ? इसमें कोई गलती नहीं मालूम होती है।

गोंडा जिलान्तर्गत आम चुनाव में काम करने वाले चौकीदारों का भत्ता

*३१---श्री रघुरन तेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सन् १९५७ ई० के आम चुनाव में गोंडा जिले के थाना सादुल्लानगर, छपिया तथा मनकापुर से कितने चौकीदारों की सेवायें चुनाव कार्य में ली गईं और उनमें से कितनों को भत्ता अभी तक नहीं दिया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---सन् १९५७ ई० में विधान सभा तथा लोक सभा के आम चुनाव में गोंडा जिले के थाना सादुल्लानगर, छपिया तथा मनकापुर से क्रमशः ६१, ७५ और ६४ चौकीदारों की सेवायें चुनाव कार्य के लिये ली गई थीं। इनमें से हर एक का चुनाव संबंधी भत्ता दिया जा चुका है।

श्री रघुरन तेजबहादुर सिंह---क्या सरकार बतायेगी कि यह भत्ता उनको कब दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सादुल्लानगर में ९ अप्रैल को दिया गया और छपिया तथा मनकापुर में २ मई, १९५७ को दिया गया ।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह भत्ता हर चौकीदार को सामान्य रूप से नहीं दिया गया है जब कि उनकी सेवायें सामान्य थीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो कायदे में है उसी के मुताबिक दिया गया है । उसकी डिटेल इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कायदे के हिसाब से भत्ता कितने दिन में मिल जाना चाहिये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जल्दी दे देना चाहिये जब तक कि कोई और अड़चन न पड़ जाय । अगर अड़चन पड़ जाती है तो देर हो जाती है ।

श्री सुरथबहादुर शाह---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि अड़चन का क्या कारण था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह बिल मिसप्लेस हो गये थे तो दुबारा मंगाने पड़े ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न करने के बाद यह भत्ते दिये गये या उसके पहले ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तारीख मैंने दे दी है । जिस तारीख को सवाल आया होगा, वह प्रश्नकर्त्ता महोदय जानते हैं ।

*३२---श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)---[हटा दिया गया ।]

*३३---श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---[स्थगित किया गया ।]

गोरखपुर जिले में वर्षा से सड़कों का कट जाना

*३४---श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त महीने में गोरखपुर जिले की कौन-कौन सड़कें पानी की ज्यादती से कट गई हैं या उन पर मोटरों का आवागमन रुक गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---अन्तरिम जिला परिषद्, गोरखपुर की निम्नलिखित सड़कें जिन पर कभी मोटर नहीं चलती थी अगस्त महीने में पानी की ज्यादती से कट गई हैं ---

१---धुरियापार-नरगड़ा घाट सड़क ।
२---खजनी-गोपालपुर सड़क ।
३---बांसगांव-उनवल सड़क ।
४---गजपुर-गगहा सड़क ।
५---भीटी-राउत-हरपुर सड़क ।
६---कम्पियरगंज-परतावल सड़क ।
७---फरेंदा-धानी-बृजभानगंज सड़क ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन निम्नलिखित दो सड़कों पर मोटरों का आवागमन रुक गया था ---

१---फरेंदा-नौतनवा सड़क के पंद्रहवें मील पर पोहनाला के पास सड़क कट गई थी ।

२---सिसवा निचलौल सड़क कटी नहीं थी । किन्तु बाढ़ के अधिक पानी के बहाव से इस सड़क पर मोटरों का आवागमन तीन दिन के लिये रुक गया था ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह नौतनवा-फरेंदा और सिसवा-निचलौल सड़कें बाढ़ की ज्यादती की वजह से कट गईं या पुल की गड़बड़ी की वजह से कट गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---पहली सड़क जो बताई गई वह तो पुल के पास से कट गई थी, वहां अभी एक्सट्रा वाटर-वे बना देंगे ताकि पानी की काबट न हो और दूसरी सड़क जिसका नाम लिया गया वह कटी नहीं थी, उस में कुछ पानी रुक गया था ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या माननीय मन्त्री जी बतायें कि सिसवा-निचलौल सड़क का नया निर्माण हुआ था और बनाने की गड़बड़ी से ही वाटरलागिंग हुआ और सड़क कट गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह सड़क कटी तो नहीं थी, और उसका नया निर्माण हुआ था, इस से ज्यादा जानकारी के लिये तो नोटिस चाहिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में जो पी० डब्ल्यू० डी० की मोटर सड़कें हैं उनकी मरम्मत आदि का काम स्वायत्त शासन विभाग को दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---स्वायत्त शासन विभाग को नहीं दिया गया है बल्कि बहुत सी सड़कें अन्तरिम जिला परिषद् की थीं, उन पर कहा गया कि मोटर नहीं चल सकी थी इस वजह से उन सड़कों का भी बनाना जरूरी है जहां मोटर नहीं चल सकी थीं ।

श्री उग्रसेन---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अन्तरिम जिला परिषद् की सड़कें हैं और उन में से जो कट गई हैं उनको बनाने की क्या व्यवस्था हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इन सड़कों के बारे में उन्होंने ऐसा कहा कि उन के पास पैसा नहीं है उनको ठीक करने के लिये २७,००० रुपये के लगभग चाहिये ।

श्री उग्रसेन---क्या मन्त्री महोदय गोरखपुर अन्तरिम जिला परिषद् को २७,००० रुपये का विशेष अनुदान देंगे ताकि वह सड़कें बन जायं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस वर्ष तो ऐसा सम्भव नहीं है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि यह जो अन्तरिम जिला परिषद् की सड़कें हैं और जो हर साल खराब हो जाती हैं, उन के खराब होने का मुख्य कारण यह है कि उन में पुल नहीं हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह सड़कें ज्यादातर कच्ची हैं और उनका खराब हो जाना मुश्किल नहीं है, पहले भी हो जाया करती होंगी और ज्यादातर वह बरसात में ही खराब होती हैं ।

नोटीफाइड एरिया रुदौली, जिला बाराबंकी को अनुदान

*३५---श्री मुकुट बिहारीलाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुदौली बाराबंकी नोटीफाइड एरिया को १९५७-५८ के वर्ष में कितना अनुदान दिया गया और उसके अन्तर्गत अब तक क्या कार्य हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव---वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में नोटीफाइड एरिया कमेटी रुदौली को सड़कों की मरम्मत तथा नव-निर्माण के लिये १०,००० रुपये का शासकीय अनुदान दिया गया है । उक्त अनुदान से संबंधित कार्यवाही की जा रही है और आशा है कि अनुदान का उपभोग नियत समय में हो जायगा ।

श्री मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दस हजार रुपया सरकार ने नोटिफाइड एरिया को स्वयं दिया है या उस की नोटिफाइड एरिया ने मांग की थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--नोटिफाइड एरिया की दिक्कतों को देखकर शासन से दिया गया है।

श्री मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस रुपये के अन्तर्गत अबतक कौन सा कार्य हो चुका है और कौन नवनिर्माण कार्य होना बाकी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--शोखाना लेबर स्कूल रोड की मरम्मत, शोखाना सुफियाना रोड और पुराना बाजार, टेढ़ी बाजार मुख्य सड़क, यही मुख्य सड़कें हैं जिनका काम होना है।

प्रतापगढ़ जिले में सई नदी पर घुइसरनाथ घाट का पुल बनवाने की प्रार्थना

*३६--श्रीमती अमोला देवी (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह प्रतापगढ़ जिले में सई नदी के घुइसरनाथ घाट पर पुल बनवाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल--इस पुल के निर्माण का अभी कोई योजना नहीं है।

बदायूं जिले में सहसवान-गुन्नौर सड़क पर पुलिया तोड़ी जाना

*३७--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बदायूं में सहसवान से गुन्नौर जाने वाली सड़क पर बरसात में १४ मील पर कोई पुलिया सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तोड़ दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल--हां, क्योंकि यह पुलिया कमजोर थी और भारी यातायात के लिये सुरक्षित नहीं थी।

मिलावटी सीमेंट का कथित व्यापार

*३८--कुंवर श्रीपाल सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रदेश में मिट्टी मिला कर विशुद्ध सीमेंट के नाम से सीमेंट का अनैतिक व्यापार करने वाला कोई अन्तर प्रांतीय दल कार्य कर रहा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी नहीं। ऐसा कोई दल नहीं है।

नजीबाबाद, जिला बिजनौर की कत्था फैक्टरी को खैर के पेड़ देने की योजना

*३९--श्री भगवती सिंह विशारद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या नजीबाबाद, जिला बिजनौर में खुलने वाली कत्था की फैक्ट्री के लिये वन विभाग द्वारा खैर के पेड़ देने की सरकार की कोई योजना है ?

श्री सैयद अलीजहीर--जी हां।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में पिछड़े तथा परिगणित वर्ग के लोग

*४०--श्री भगौतीप्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश पी०डब्ल्यू० डी० विभाग में नीचे लिखे पदों पर कितने-कितने व्यक्ति कार्य करते हैं, उनमें से क्रमशः कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग से हैं--

(अ) पी० ए०,
(ब) सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर,

नोट--तारांकित प्रश्न ३६ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

(स) एक्जीक्यूटिव इंजीनियर,
(द) असिस्टेंट इंजीनियर,
(क) असिस्टेंट इंजीनियर, ब्रिज एन्ड प्लानिंग,
(ख) डिवीजन रिसर्च इंजीनियर,
(ग) असिस्टेंट रिसर्च आफिसर,
(घ) डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर,
(ङ) ओवरसियर,
(च) वर्क सुपरवाइजर,
(छ) आफिस सुपरिंटेंडेंट, हेड क्लर्क, क्लर्क,
(ज) मेट।

श्री गिरधारीलाल--उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग में पूछे गये पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा उनमें से परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की संख्याओं की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १००२ पर)

अलीगढ़ जिले में ईंट के भट्ठों को कोयले का कोटा

*४१--श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ शहर तथा जिले में तहसीलवार कितने ईंट के भट्ठे हैं और उनको कितना-कितना कोयला का कोटा दिया गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १००३-१००४ पर)

*४२-४४--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--[स्थगित किये गये।]

नगरपालिका गाजियाबाद की सीवेज योजना के लिए ऋण

*४५--श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर-पालिका गाजियाबाद की सीवेज योजना के लिये कितना ऋण सरकार द्वारा दिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--गाजियाबाद नगरपालिका को उनके सीवेज (ड्रेनेज) योजना के लिये सरकार ने अब तक कुल २,८५,००० रुपये का ऋण दिया है।

फतेहपुर जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

*४६--श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के अभावग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें खोली गई हैं तथा जिले में प्रतिदिन कितने व्यक्तियों को अनाज प्राप्त होता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--फतेहपुर जिले में सस्ते गल्ले की २८ दुकानें अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में खोली जा चुकी हैं। इन दूकानों से प्रतिदिन लगभग ४,२५० व्यक्तियों को अनाज मिलता है। लगभग ५२५ खरीदारों को प्रतिदिन आटा भी दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त चार दुकानें खोलने का और प्रबन्ध किया जा रहा है।

नगरपालिका आंवला, फरीदपुर, बहेड़ी जिला बरेली को अनुदान

*४७--श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नये चुनाव के बाद से आज १०-९-५८ ई० तक उसने नगरपालिका आंवला, फरीदपुर, बहेड़ी, जिला बरेली को कितनी सहायता किस-किस मद में दी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १००५ पर)

खीरी जिले में ग्राम सभा पिपरागूम के प्रधान का अवैध चुनाव

*४८--श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी, परगना श्रीनगर, ग्राम सभा पिपरागूम का एलेक्शन पेटीशन द्वारा अवैधानिक करार दिया जा चुका है? यदि हां, तो चुनाव कब होना निश्चित किया गया है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--गांव सभा पिपरागूम का निर्वाचन अवैधानिक घोषित नहीं किया गया है। हां, उसके प्रधान का निर्वाचन परगनाधिकारी द्वारा अवैध घोषित किया जा चुका है। पुनः निर्वाचन के लिये कार्यवाही की जा रही है किन्तु तिथियां अभी निश्चित नहीं हैं।

बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में सस्ते अनाज की दूकानें

*४९--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला की तहसील खलीलाबाद में सस्ते गल्ले की दूकानें कितनी हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--तहसील खलीलाबाद में खुली हुई सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या ४४ है।

*५०--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार दूकानों की सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--दूकानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १००६ पर)

बस्ती जिले के आनरेरी मैजिस्ट्रेट

*५१--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में कितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं और कितने व्यक्ति जज के पास असेसर नियुक्त हैं?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--चार आनरेरी मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं। जिला जज के पास कोई असेसर नियुक्त नहीं है।

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में वन विभाग द्वारा अधिकृत भूमि पर वृक्षारोपण

*५२--श्री मथुराप्रसाद पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जमींदारी उन्मूलन के बाद बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में वन विभाग ने कितनी-कितनी जमीन व जंगल किस-किस गांव में ली है?

श्री सैयद अलीजहीर--आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दर्ज है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १००७ पर)

*५३--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त तहसील में जो जमीन व जंगल वन विभाग ने लिया है उसमें खाली जमीनों पर कितने ेड़ कहां-कहां लगाये गये हैं?

श्री सैयद अलीजहीर--१४० एकड़ भूमि में पेड़ लगाये हैं, लगे हुये पेड़ों की संख्या शुमार नहीं की गई है।

इलाहाबाद जिले के लिये कोयले का कोटा

*५४--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर में कोल डिपो की संख्या क्या है? उन्हें कितना-कितना कोटा मिलता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इलाहाबाद नगर में कोल डिपो की संख्या ४९ है। प्रत्येक कोल डिपो होल्डर को लगभग २५ वैगन वार्षिक कोल का कोटा मिलता है।

*५५--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो कोयले का कोटा लोगों को दिया गया है उसमें शरणार्थी तथा राजनैतिक पीड़ितों की संख्या क्या है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--उपरोक्त कोल डिपो होल्डरों में से शरणार्थियों की संख्या ४ और राजनैतिक पीड़ितों की संख्या १२ है।

*५६--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में तहसीलवार कितने कोयले के कोटे वाले हैं और उनको कितना-कितना कोटा दिया गया है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इलाहाबाद के अतिरिक्त, जिले की किसी अन्य तहसील में कोई कोल डिपो नहीं है। इसलिये अन्य तहसील में कोटा देने का प्रश्न नहीं उठाता।

बुलन्दशहर जिले के कोल डिपो

*५७--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में तहसीलवार कितने कोल डिपो हैं तथा उनमें से हर एक का कोटा क्या है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--बुलन्दशहर नगर में ६ कोल डिपो, तहसील खुर्जा में २ कोल डिपो, तहसील सिकन्दराबाद में २ कोल डिपो और तहसील अनूपशहर में ३ कोल डिपो हैं। प्रत्येक कोल डिपो होल्डर को औसतन १४.७ वैगन वार्षिक कोयले का कोटा मिलता है।

हाथरस नगरपालिका को अनुदान व ऋण

*५८--श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी नगरपालिका हाथरस, जिला अलीगढ़ को सन् १९५६-५७ व १९५७-५८ में किन-किन मदों के अन्तर्गत कितना-कितना पया अनुदान व ऋण के रूप में दिया गया?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--नगरपालिका, हाथरस को उक्त काल में निम्नलिखित अनुदान व ऋण दिया गया।

अनुदान			वर्ष १९५६-५७	वर्ष १९५७-५८
			रुपया	पया
शिक्षा अनुदान	..	..	५८,०८३	६४,१०४
मोटर वेहिकिल ऋण	..	..	१,४७०	१,४७०
जल-कल योजना	..	..	..	५५,०००

बरेली जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

*५९—श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली की हर एक तहसील में सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें खोली गई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—बरेली जिले की विभिन्न तहसीलों में खोली गई सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या निम्नलिखित है—

तहसील का नाम	दूकानों की संख्या
बरेली नगर	७१
बरेली उद्योगक्षेत्र	४
आंवला	३
बहेड़ी	२
योग ..	८०

अलीगढ़ जिले में कोल डिपो

*६०—श्री अनन्तराम वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले तथा शहर में कितने कोल डिपो हैं और हर एक को कितना-कितना कोटा मिला है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अलीगढ़ शहर में १६ कोल डिपो व जिले की अन्य तहसीलों में ८ कोल डिपो हैं। प्रत्येक डिपो होल्डर को औसतन २१ वैगन वार्षिक कोयल का कोटा मिलता है।

मुहम्मदी नगरपालिका, जिला खीरी के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी

*६१—श्री जगन्नाथप्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मोहम्मदी नोटिफाइड एरिया, जिला खीरी म्युनिसिपैलिटी में बदल गई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

*६२—श्री जगन्नाथप्रसाद—यदि हां, तो इसका चुनाव कब तक कराया जायेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इस नगरपालिका की सीमायें बढ़ाई जांय। सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है तथा इस विषय पर निर्णय होते ही वहां चुनाव कराने के आदेश देगी।

गोंडा जिले के आनरेरी मैजिस्ट्रेट

*६३—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं, उनकी संख्या क्या है और उनमें कितने हरिजन आनरेरी मैजिस्ट्रेट के पद पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तीन आनरेरी मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं। इनमें कोई हरिजन नहीं है।

*६४—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कितने व्यक्ति जज के पास असेसर नियुक्त हैं, उनमें से कितने असेसर हरिजन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला गोंडा में कोई व्यक्ति जज के पास असेसर नियुक्त नहीं है। अतः हरिजन असेसर का प्रश्न नहीं उठता।

बदायूं जिले की सहसवान तहसील में सस्ते अनाज की दूकानें

*६५--श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)--क्या सरकार सस्ते गल्ले की दुकानें बदायूं जिल की तहसील सहसवान में खोलेगी ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--बदायूं जिले की सहसवान तहसील में सस्ते गल्ले की तीन दूकानें खोल दी गई हैं जो निम्नलिखित स्थानों में हैं :

सहसवान खास	..	..	..	२	दूकानें
देहगवां	..	..	..	१	दूकान

लखनऊ में पानी की सप्लाई

*६६--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि लखनऊ शहर में पानी के संकट के बारे में जो शिकायतें उसे हाल में प्राप्त हुई हैं उन पर उसने क्या कार्यवाही की और क्या अब शहर क सभी मोहल्लों में पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--हाल में लखनऊ शहर में पानी की कमी की जो शिकायतें सरकार के पास आईं उन्हें लखनऊ नगरपालिका को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया गया था ।

इस समय लगभग सभी मुहल्लों में पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जा रहा है ।

मेरठ जिलान्तर्गत गाजियाबाद नगरपालिका तथा मुरादनगर टाउन एरिया में कोल डिपो

*६७--श्री तेजासिंह--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नगरपालिका गाजियाबाद व टाउन एरिया मुरादनगर, जिला मेरठ में कितने-कित कोल डिपो हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--नगरपालिका गाजियाबाद में ४ कोल डि ो और टाउन एरिया मुरादनगर में केवल १ कोल डिपो है ।

*६८--श्री तेजासिंह--क्या सरकार इस समय और नये कोल डिपो बढ़ाने का भी विचार रखती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी नहीं ।

धोबी घाटों के सुधार के लिये प्रार्थना

*६९--श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुछ वर्ष पूर्व भारत सरकार द्वारा नियुक्त Environmental Hygiene Committee के सुझावों को प्राप्त करने पर प्रदेशीय सरकार ने जहां तक उनका सम्बन्ध धोबी घाटों से है (पैरा १८-१९) उस पर क्या कार्यवाही की ?

*७०--यदि उक्त सुझावों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--शासन द्वारा इस सुझाव पर विचार किया गया था । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा प्रस्तावित सुधारों को प्राथमिकता देनी होगी इस सुझाव पर तुरन्त कार्यवाही करना वांछनीय नहीं समझा गया । यदि भविष्य में धोबी घाटों से सम्बन्धित कोई योजना कार्यान्वित की गई तो कमेटी के सुझावों को ध्यान में रखा जायगा ।

*७१--श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--[स्थगित किया गया ।]

फैजाबाद जिले में सड़कें पक्की करने की योजना तथा पिकिया नदी पर पुल की आवश्यकता

*७२—श्री सुखराम दास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला फैजाबाद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सड़कें पक्की कराने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—जिला फैजाबाद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिन सड़कों को पक्का करने की योजना है उनकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १००८ पर)

*७३—श्री सुखराम दास—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या फैजाबाद जिले के अन्तर्गत तहसील टांडा में पिकिया नदी पर पुल बनाने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर-लखनऊ सड़क का आधुनिकीकरण

*७४—श्री गुरुप्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर-लखनऊ रोड पर इस वर्ष कितने मील सड़क तार रोड बनायी जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—१९५८-५९ में इस सड़क के १४ मीलों का आधुनिकीकरण हो जाने की आशा की जाती है ।

*७५—श्री गुरु प्रसाद सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर-लखनऊ रोड के सुल्तानपुर से ३९ और ४० मील के अन्दर किसी नयी पुलिया का निर्माण हुआ है जिस पर अब भी बसें और ट्रकें फंस जाती हैं और दिन-दिन भर वहीं पड़ी रहती हैं ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी हां ।

द्वितीय भाग—नयी मिट्टी होने के कारण शुरू बरसात में भारी गाड़ियों के निकलने में कुछ असुविधा हुई थी, किन्तु अब कोई कठिनाई नहीं हो रही है तथा बसें व ट्रकें पुलिया पर जा रही हैं ।

इटावा और शाहजहांपुर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ठेकेदारों का बकाया

*७६—श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यु० डी० विभाग, इटावा और शाहजंहापुर में ऐसे कितने ठेकेदार हैं जिनका पेमेंट २ या ३ साल से नहीं हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल—तीन ठेकेदार ।

*७७—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—[स्थगित किया गया ।]

गृह-कर तथा जल-कर बकाया वाली निष्क्रांत सम्पत्तियां

*७८—श्री गनेशचन्द्र काछी—लखनऊ में निष्क्रांत सम्पत्ति सम्बन्धी गृह तथा जल-कर के बकाये के सम्बन्ध में १८-३-५८ के प्रश्न १५६ के क्रम में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन निष्क्रांत सम्पत्तियों पर गृह-कर तथा जल-कर के निमित्त १ अप्रैल, ५२

से ३० सितम्बर १९५४ की कालावधि का ११,०५३ रुपये ७० नये पैसे बाकी हैं वे सम्पत्तियां कौन-कौन सी हैं और प्रत्येक के सम्बन्ध में अलग-अलग कितना-कितना गृह-कर तथा जल-कर बकाया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इन सम्पत्तियों तथा गृह-कर एवं जल-कर के बकाये की †सूची तालिका १-२ में दी हुई है।

*७९--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त सम्पत्तियों में से कुछ सम्पत्तियां ३०-९-१९५४ के उपरान्त अन्य व्यक्तियों के नाम में mutate हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन सम्पत्तियों तथा जिनके व्यक्तियों के नाम में वे mutate की गयी हैं उनकी सूची सदन के मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां। ऐसी सम्पत्तियों तथा जिन व्यक्तियों के नाम वे mutate की गयी हैं उनकी †सूची तालिका ३ में संलग्न है।

ओवरसियरों की कथित नियुक्ति

*८०--श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सितम्बर मास १९५८ में कुछ दिन पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कुछ नये ओवरसियरों की नियुक्ति हुई है ? यदि हां, तो कितनों की ?

श्री गिरधारीलाल--सितम्बर मास, १९५८, में कुछ दिन पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग में नये ओवरसियरों की नियुक्ति नहीं हुई है।

मैनपुरी की सस्ते अनाज की दूकानों से संबंधित शिकायत

*८१--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके पास मैनपुरी जिले में नगरपालिका मैनपुरी के अन्दर जो सरकारी दूकानें पब्लिक को गल्ला देने को दी गई हैं उनके मुताल्लिक अगस्त, १९५८ में शिकायतें आई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, मैनपुरी नगर के अनाज बिक्रेताओं की केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी और जांच करने पर वह निराधार पाई गई।

बस्ती जिले में बालूसासन पुल पर यात्रिक कर

*८२--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में जो पी० डब्लू० डी० का पुल बालूसासन घाट पर बना है, उस पर पार करने के लिए रोडवेज के यात्रियों से १९ नया पैसा हर फेरे के लिये लिया जाता है, चाहे यात्री एक दिन में कई फेरे करें ?

श्री गिरधारीलाल--रोडवेज की प्रत्येक गाड़ी को कथित पुल पार करने के लिय हर फेरा ३ रु० ७५ नये पैसे देने पड़ते है जिसकी पूर्ति रोडवेज के यात्रियों से हर फेरा १९ नये पैसे लेकर की जाती है।

*८३--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार बोर्ड के घाटों पर जो व्यवस्था है कि यदि यात्री दिन डूबने के पहले यात्रा कर के लौट जाय तो उसे एक ही दफा मल्लाही देनी पड़ती है उसे बालूसासन घाट के पुल पर भी लागू करने जा रही है ?

श्री गिरधारी लाल--जहां तक पैदल अथवा साइकिल सवारों का सम्बन्ध है वे कथित कर से मुक्त हैं, परन्तु रोडवेज आदि को दिन डूबने से पहले लौटने पर कोई छूट देने का विचार नहीं है।

---

†सूची छापी नहीं गयी।

ग्राम सभा डंडेसरी, जिला अलीगढ़ में भ्रष्टाचार की शिकायतें

*८४--श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा डंडेसरी, तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में भ्रष्टाचार की शिकायतें उसके पास कुछ मास पूर्व आई हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां।

*८५--श्री हरदयालसिंह पिपल--यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कर्यवाही की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--शिकायतों की जांच की गई।

लखनऊ में निष्क्रांत सम्पत्ति पर जल-कर तथा गृह कर का बकाया

*८६--श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)-- लखनऊ में निष्क्रांत सम्पत्ति सम्बन्धी गृह तथा जल-कर के बकाया के सम्बन्ध में १८-३-१९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर के क्रम में क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कस्टोडियन १५६ लखनऊ से १-४-१९५२ से ३०-९-१९५४ तक की निष्क्रांत सम्पत्तियों के गृह तथा जल-कर के ११,०५३ रु० ७० नये पैसे अब वसूल हो गये हैं ? यदि नहीं, तो उक्त धनराशि की वसूली में क्या विधिक कठिनाइयां हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं, उक्त धनराशि में से कुछ अब भी बाकी है और उसे वसूल करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

*८७--श्री चिरंजीलाल जाटव--लखनऊ में निष्क्रांत सम्पत्ति सम्बन्धी गृह तथा जल-कर के बकाया के सम्बन्ध में १८-३-१९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५८ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सम्पत्ति जिन व्यक्तियों को बेची गई है क्या उनके पास जो गृह-कर व जल-कर के बिल भेजे जाते हैं उनमें वह धनराशि भी सम्मिलित रहती है जो कस्टोडियन लखनऊ की ओर बकाया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं, जो सम्पत्ति खरीदारों के नाम परिवर्तित कर दी गयी है, उनके बिल खरीदारों को भेजे जाते हैं और उनमें कस्टोडियन के नाम बाकी धनराशि सम्मिलित नहीं की जाती।

रेंट कण्ट्रोलर ऐण्ड एविक्शन आफिसर, लखनऊ के विचाराधीन पुराने मुकदमे

*८८--श्री चन्द्रसिंह रावत--क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेंट कण्ट्रोलर ऐण्ड एविक्शन आफिसर, लखनऊ के पास रेंट कण्ट्रोल ऐक्ट के सेक्शन ३ के अन्तर्गत कितने मामले ६ मास से अधिक समय से पड़े हुए हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--ऐसे ५५ मामले हैं।

*८९--श्री चन्द्रसिंह रावत--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुछ मामले गत १२ अगस्त तक उससे भी अधिक समय से अनिर्णीत एवं स्थगित पड़े हुए हैं और उनकी शिकायत न्याय मन्त्री के पास भी गयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--ऐसे १४ मामले हैं। केवल एक शिकायत आई थी।

*९०-९१--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--[स्थगित किये गये।]

सस्ते अनाज की सरकारी दूकानों पर खराब गेहूं की शिकायत

*९२--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके पास किन-किन जिलों से इस बात की रिपोर्ट आई है कि सस्ते गल्ले की दूकानों पर बंटने वाले गेहूं के खाने से लोगों को रक्तामाशय का रोग हो रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जहां तक सरकार को ज्ञात है ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है ।

बदायूं जिले में नरहा नाले के पुल की खराब हालत

*९३--श्री टीकाराम--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं, तहसील दातागंज में नरहा नाले का पुल कब बना और उस पर से सवारियां उतरती हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--नरहा नाले का पुल सन् १९४२ में बना था। इस पर से इस समय सवारियां नहीं उतर पातीं कारण कि अधिक वर्षा तथा बाढ़ के कारण पुल के पक्खे झुक गये हैं तथा दोनों ओर की सड़क बह गयी है ।

श्रमिक सहयोग समितियों द्वारा निर्माण-कार्य

*९४--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में श्रमिक सहयोग समितियों द्वारा निर्माण-कार्य करवाये जा रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल--फैजाबाद तथा कानपुर में ।

बरेली--बदायूं सड़क में ली गयी जमीन का मुआवजा

*९५--श्री नत्थूसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली-बदायूं सड़क के लिये जमीन कब किसानों से ली गई थी और उनको मुआवजा व जब से जमीन ली है तब से लगान में छूट कब तक मिल जायगी ?

श्री गिरधारीलाल--बरेली-बदायूं सड़क पर राम गंगा नदी पर पुल के उपगमन मार्गों के लिये जमीनें जून, १९५७ में ली गई थीं तथा जमीनों के मालिकों को सितम्बर, १९५८ के अन्त तक ४५१३·५८ रु० मुआवजे के रूप में दिये जा चुके थे। आशा है कि शेष धनराशि का भुगतान भी अब तक कर दिया गया होगा। लगान में छूट चालू फसली वर्ष के अन्तर्गत १ जुलाई, १९५७ से दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में जिलाधीश बरेली द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

वाराणसी जिले में धानापुर--महुजी सड़क पर दो पुलों का टूट जाना

*९६--श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला वाराणसी से धानापुर-महुजी सड़क पर अटौली तथा सिसौड़ा के पास दो पुल हैं, जो टूट कर धंस गये हैं, जिससे यातायात में अत्यन्त कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया उस कठिनाई को शीघ्र दूर करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा-- सड़क अन्तरिम जिला परिषद्, वाराणसी की है। अतः पुलों के निर्माण का दायित्व परिषद् का है ।

चकराता, जिला देहरादून का कथित डाक बंगला

*९७--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे-- क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चकराता, जिला देहरादून में कोई सरकारी डाक बंगला है ? यदि हां, तो वह किस [illegible] के अधीन है ?

श्री गिरधारीलाल--कोई भी नहीं है।

*९८--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में डाक बंगले की मरम्मत रखरखाव तथा सजावट यानी कालीन, पर्दे, प्लेट वगैरह में कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल--प्रश्न नहीं उठता।

*९९--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बतायेगी कि १९५५-५६, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में चकराता डाक बंगले में कितने लोग ठहरे तथा सरकार को प्रति वर्ष में कितना किराया केवल ठहरने के लिए तथा कितना भोजन सहित ठहरने का मिला ?

श्री गिरधारीलाल--प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर जिलान्तर्गत सिकन्दरा-अकबरपुर सड़क पर व्यय

*१००--श्री भजनलाल (जिला इटावा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर में सिकन्दरा से अकबरपुर का जो ३४ मील का सड़क का टुकड़ा बन रहा है उस पर सरकार का अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है ?

श्री गिरधारी लाल--इस सड़क की लम्बाई २६ मील है तथा इस पर अक्तूबर, १९५८ तक ७,७१,३६१ रुपये का व्यय हुआ है।

*१०१--श्री भजनलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह टुकड़ा कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--सेंगुर नदी के पुल को छोड़कर इस सड़क के, ३१ मार्च, १९६० तक बन कर तैयार हो जाने की आशा की जाती है।

गरुड़-कपकोट तथा रानीखेत-द्वाराहाट मार्ग में ली गई जमीन का मुआवजा

*१०२--श्री गोविंदसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गरुड़-कपकोट तथा रानीखेत-द्वाराहाट मोटर मार्ग बनाने में जिन लोगों की जमीने कटीं उन में से किस-किस को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया और क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--गरुड़-कपकोट मार्ग में ली गयी भूमि का मुआवजा अब तक न दिये जाने का मुख्य कारण यह था कि इस मार्ग का संरेखण परिवर्तित हो गया था और मुआवजा देने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अब तक नहीं की जा सकी।

रानीखेत-द्वाराहाट मार्ग के लिए ली गयी भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। इस का कारण यह है कि इस सदन के भूतपूर्व सदस्य ने सरकार को आश्वासन दिया था कि वह इस मार्ग के लिए ली गयी भूमि बिना किसी मूल्य के दिलवा देंगे। अब सरकार ने आदेश दे दिये हैं कि इस मार्ग के लिए ली गयी भूमि के उन मालिकों को जिन्होंने मुआवजे के लिए दरख्वास्तें दी हैं, उनको शीघ्र मुआवजा दिये जाने का प्रबन्ध किया जाय।

बाराबंकी जिले में सेशन व मुन्सफी के मुकदमे

*१०३--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी सेशन कोर्ट के अन्तर्गत सन् १९५६-५७ तथा १९५८ में अब तक कितने मुकदमों के फैसले किये गये और इस समय कितने मुकदमे विचाराधीन हैं और उन में १/२, १, २, ३ वर्ष से अधिक के कितने मुकदमे विचाराधीन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कुल ३८८ मुकदमों के फैसले हुए। १३ सितम्बर, १९५८ को २९ मुकदमे विचाराधीन थे, जिसमें केवल २ मुकदमे ६ मास के हैं।

*१०४---श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत मुन्सफी रामसनेही घाट व नवाबगंज मुन्सफी में सन् १९५६, १९५७ तथा १९५८ में अब तक कितने मुकदमों के फैसले किये गये और १, २ तथा ३ वर्ष से अधिक के कितने मुकदमे विचाराधीन हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बाराबंकी जिले में वास्तव में दो मुंसफी अदालतें मुंसफी बाराबंकी तथा मुंसफी रामसनेहीघाट स्थित बाराबंकी हैं। मुंसफी नवाबगंज नाम की कोई भी अदालत नहीं है। प्रश्न का उत्तर जैसा कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने भेजा है निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

अदालत का नाम	वादों की संख्या फैसल हुए			निलम्बित वादों की संख्या		
	१९५६	१९५७	१९५८	१ वर्ष	२ वर्ष	३ वर्ष
मुंसफी रामसनेहीघाट ..	१,१३१	७९८	६३३	२९५	११५	३५
मुन्सफी बाराबंकी ..	१,६२१	१,४६८	१,०२७	५३३	२७६	१३६

गोरखपुर नगरपालिका का आडिट

*१०५---श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर म्युनिसिपैलिटी का १९५७-५८ के हिसाब-किताब का आडिट हो गया है? यदि हाँ, तो कुल कितने रुपये की गड़बड़ी मिली है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी नहीं। दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

*१०६---श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ तथा १९५७-५८ के आडिट में रुपयों की गड़बड़ियों के जिम्मेदार अधिकारी को क्या सजा दी गयी है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---१९५६-५७ का आडिट समाप्त हो चुका है, परन्तु आडिट की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि कोई रुपये की गड़बड़ी होगी तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। १९५७-५८ का आडिट अभी समाप्त नहीं हुआ है अतः किसी को सजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग में तराई-भावर डिवीजन के कर्मचारियों की कथित अपीलें

*१०७---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वन विभाग में तराई-भावर डिवीजन के भूतपूर्व कर्मचारियों की कितनी अपीलें विचाराधीन हैं और कब से?

श्री सैयद अली जहीर---कोई नहीं।

लखनऊ नगरपालिका के कलेक्शन विभाग में हिसाब की गड़बड़ी की शिकायत

*१०८--श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड, लखनऊ में कलेक्शन विभाग में पिछले कितने वर्षों से सालाना हिसाब नहीं बनाया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--हिसाब प्रतिवर्ष बनाया जाता है। अतएव यह प्रश्न नहीं उठता।

*१०९--श्री अवधेशकुमार सिनहा--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १९५२-५३ व १९५३-५४ का हिसाब अब तक इस कारण नहीं बन सका कि इन वर्षों की रसीद की किताबें जिनमें करदाताओं को रसीद दी जाती है अथवा वे रजिस्टर जिन पर कर की वसूलयाबी दर्ज की जाती है कार्यालय से गायब हैं ? यदि हां, तो जो कर्मचारी इससे सम्बन्धित हैं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्रश्न संख्या १७ के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। केवल एक किताब को छोड़कर जो कोर्ट में तलब की गई है, शेष सभी किताबें व रजिस्टर कार्यालय में सुरक्षित हैं।

आजमगढ़ जिले में सूरजपुर दुवारी बांध चौड़ा करने की आवश्यकता

*११०--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ सूरजपुर दुवारी में निर्माण विभाग द्वारा पुराने बने हुए बांध को चौड़ा करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से एवं उस पर कितने रुपये व्यय होंगे ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी नहीं।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता।

रुदौली, जिला बाराबंकी में गैर कानूनी ढंग से प्राप्त कोयला पकड़ा जाना

*१११--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २३-८-१९५८ को रुदौली, जिला बाराबंकी के कोल इन्स्पेक्टर ने कुछ कोयले के व्यापारियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से मंगाया हुआ काफी मात्रा में डस्ट कोल (Dust coal) सीज (seize) कर लिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां।

*११२--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुदौली में डस्ट कोल तथा साफ्ट कोक के कितने परमिट होल्डर (लाइसेन्सी) हैं और उन्हें जनवरी, १९५८, से अब तक कितने वैगन कोयला प्राप्त हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--रुदौली में केवल एक ही कोल डिपो होल्डर मेसर्स देवकाली दीन लाल बहादुर के नाम से है। इन को जनवरी, १९५८ से अब तक कुल २५ वैगन कोयला प्राप्त हुआ। इसमें से २२ वैगन साफ्ट कोक और ३ वैगन डस्ट कोल था। इनके अलावा रुदौली में और कोई कोयले का लाइसेंन्सी नहीं है।

प्रतापगढ़ जिले में सड़कें बनाने की योजना

*११३--श्री नन्दराम--क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रतापगढ़ जिले की कौन-कौन सी कच्ची सड़कों को पक्की कराने की तथा कौन-कौन सी सड़क नयी बनाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल--जेठवारा-लालगोपालगंज नयी पक्की सड़क (लम्बाई १७ मील ७ फर्लांग) के निर्माण तथा चांदा-पट्टी कच्ची सड़क (लम्बाई १० मील) को पक्का करने की योजना है।

छिबरामऊ टाउन एरिया, जिला फर्रुखाबाद

*११४--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ टाउन एरिया को ७ दिसम्बर, १९५७ के गजट में म्युनिसिपल बोर्ड घोषित किया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त टाउन एरिया को म्युनिसिपल बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में उक्त घोषणा के बाद से अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---७ दिसम्बर, १९५७ के गजट में छिबरामऊ टाउन एरिया को नगरपालिका बनाने के प्रस्ताव की विज्ञप्ति अवश्य प्रकाशित की गयी थी, परन्तु उस पर प्राप्त सुझावों व आपत्तियों पर विचार करने के उपरान्त शासन इस निर्णय पर पहुंचा कि इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप इस स्थानीय निकाय (Local Body) का व्यय उस की expected income में पूरा नहीं हो सकेगा। अतः प्रस्ताव अभी स्थगित कर दिया गया है।

पंचायत मंत्रियों को प्रत्येक गांव से भत्ता लेने का आदेश

*११५--श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री ने पंचायत मंत्रियों की अदालत पंचायत के क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम से २ रुपये मासिक भत्ता लेने का आदेश जारी किया है? यदि हां, तो क्यों और कब से?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां। दिनांक १ अप्रैल, १९५० से पंचायत मंत्रियों को अपने क्षेत्र की समस्त गांव सभाओं में दौरा करने, तहसील हेडक्वार्टर्स और पंचायत इन्स्पेक्टर के कार्यालय को आने जाने आदि के लिए मार्ग व्यय का भत्ता दो रुपये प्रति गांव सभा प्रति मास के हिसाब से दिये जा रहे हैं।

बाराबंकी जिले में अदालती पंचायतों का चुनाव

*११६---श्री भगौती प्रसाद वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी में कितनी अदालती पंचायतों का चुनाव पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से अभी नहीं हो पाया है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जिला बाराबंकी में समस्त अदालती पंचायतों का चुनाव पूर्ण रूप से हो चुका है।

*११७--श्री भगौती प्रसाद वर्मा---उक्त चुनाव क्यों नहीं हुए और कब तक होने की आशा है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्रश्न ही नहीं उठता।

सदर पंचायत दफ्तर लखीमपुर के क्लर्क

*११८--श्री छेदीलाल (जिला खीरी)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस समय सदर पंचायत दफ्तर-लखीमपुर में कितने क्लर्क हैं तथा उन में कितने हरिजन हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सदर पंचायत दफ्तर, जिला लखीमपुर-खीरी, के पंचायत सेक्शन में इस समय ४ क्लर्क हैं जिन में कोई हरिजन नहीं है।

झांसी व ललितपुर नगरपालिका के कुछ भूतपूर्व सदस्यों पर मुकदमा

*११९--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी म्युनिसिपल बोर्ड से फर्जी वापसी वसूल करने के सम्बन्ध में झांसी व ललितपुर (झांसी) के कुछ भूतपूर्व म्युनिसिपल मेम्बरों व अन्य कुछ लोगों के विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है ? यदि हां, तो कहां ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां। जूडीशल आफिसर, कानपुर के न्यायालय में।

*१२०--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मामले की जांच कब शुरू हुई और अदालत में मामला कब भेजा गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--उक्त अभियोग में प्रथम सूचना की रिपोर्ट दिनांक ३० अप्रैल, १९५६ को थाना कोतवाली झांसी में हुई और अभियोगपत्र जांच के बाद अतिरिक्त जिलाधीश, जूडीशल, झांसी के न्यायालय में दिनांक २१ जूलाई, १९५७ को प्रस्तुत हुआ।

*१२१--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मामले में कितने म्युनिसिपल मेम्बर, कितने म्युनिसिपल कर्मचारी तथा कितने अन्य लोग मुलजिम हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--उक्त अभियोग में झांसी नगरपालिका तथा ललितपुर नगरपालिका के क्रमशः ३ तथा १ सदस्य अभियुक्त हैं। ६ अभियुक्त नगरपालिका, झांसी के कर्मचारी हैं तथा ३ अभियुक्त अन्य लोग हैं।

उन्नाव जिलान्तर्गत ग्राम नवई ग्रामवासियों का वन विभाग में ली गयी जमीन के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*१२२--श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव के अन्तर्गत तहसील हसनगंज, ग्राम नवई के किसानों का प्रार्थना-पत्र १९५६ में ग्राम के निवासियों की तरफ से वन विभाग में ली जाने वाली जमीन के विषय में डिप्टी कमिश्नर को दिया गया था जिसमें यह मांग की गयी थी कि यह जमीन वन विभाग में न ली जाय ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं।

गांव पंचायत लोहरियासाल मल्ला, जिला नैनीताल में दो सदस्यों का चुनाव

*१२३--श्री प्रतापसिंह--विधान सभा की बैठक दिनांक २५ मार्च, १९५७ ई० के प्रश्न संख्या ५४ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव पंचायत लोहरियासाल मल्ला हल्द्वानी, नैनीताल में जो दो सदस्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु दो बार उप-चुनाव की कार्यवाही हुई, वह किन-किन तारीखों में किस स्थान पर की गयी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--केवल इन दो पदों के लिए अलग से कोई निर्वाचन की कार्यवाही नहीं हुई। वरन् इस गांव सभा के रिक्त पदों के भरने के लिए दो बार निर्वाचन की कार्यवाही हुई। उक्त पदों में वे दो पद भी सम्मिलित थे जिनका प्रश्न में उल्लेख है।

प्रथम निर्वाचन २४-१२-१९५५ को हुआ।

दूसरा निर्वाचन करने के लिये दिनांक २०-१-१९५६ निश्चित किया गया था। पर केवल ३ वैध नाम-निर्देशन-पत्र दाखिल होने के फलस्वरुप १२-१-१९५६ को उन्हीं तीन व्यक्तियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

उपरोक्त दोनों निर्वाचनों की कार्यवाही लोहरियासाल के पंचायतघर में हुई।

गोंडा जिले के बूढ़ापार तथा सादुल्लानगर परगनों में सस्ते अनाज की दूकानें

*१२४—श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा में परगना बुड़ापार व सादुल्लानगर में कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गईं और अब तक कितना अनाज उन पर बिका ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार परगना बुड़ापार व सादुल्लानगर में निम्नलिखित सस्ते गल्ले की दूकाने हैं—

	दूकान
परगना बुड़ापार	१
परगना सादुल्लानगर	२
योग ..	३

इन दूकानों पर २९-११-१९५८ तक बिक्री किये गये गल्ले की मात्रा निम्नलिखित है :

	गेहूं मन	चना मन	चावल मन
परगना बुड़ापार ..	४००	१८०	..
परगना सादुल्लानगर ..	१,३४०	३५५	१९०
योग ..	१,७४०	५३५	१९०

कुमायूं डिवीजन में पुल निर्माण योजना तथा सरगाखेत-पहाड़ पानी सड़क पर फीडर रोड बनाने का विचार

*१२५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल जिले में सरगाखेत-पहाड़ पानी रोड पर "फीडर-रोड" तैयार करने के हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—"फीडर रोड" के निर्माण का कार्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है और आशा है कि कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायगा।

*१२६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुमायूं डिवीजन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पैदल अथवा मोटर सड़कों पर स्थित किन-किन स्थानों पर पुल बनाये जाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—कुमाऊं डिवीजन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो पुल बनाये जाने की योजना है उनकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १००९-१०१० पर।)

लखनऊ जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

*१२७—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ जिले की तहसील लखनऊ व मोहनलालगंज में कितनी, कहां-कहां और कब से सस्ते गल्ल की दूकान खोली गई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—लखनऊ जिले की तहसील लखनऊ तथा मोहनलालगंज में सस्ते गल्ले की क्रमशः ४ और ६ दुकानें खुली हैं। उनका विवरण संलग्न तालिका में है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १०११ पर।)

*१२८—श्री रामशरण यादव—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त सस्ते गल्ले की दूकानों पर कितने व्यक्तियों को मुफ्त गल्ला दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—लखनऊ जिले में मुफ्त गल्ला कहीं पर नहीं दिया गया।

शाहजहांपुर जिले में सस्ते अनाज की दुकानें

*१२९—श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर में कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें सरकार ने खोली हैं और वे कहां-कहां खुली हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिला शाहजहांपुर में सस्ते गल्ले की १५ दुकानें खुली हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है—

	दुकानें
१—शाजहांपुर शहर क्षेत्र के लिये	१३
२—गवर्नमेंट आर्डनेन्स फैक्टरी के कर्मचारियों तथा कैण्टोनमेण्ट क्षेत्र के निवासियों के लिये ..	१
३—रेलवे कालोनी रोजा के लिये	१
योग ..	१५

पीलीभीत जिले में सस्ते अनाज की दुकानें

*१३०—श्री मुनीन्द्रपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीलीभीत जिले में इस समय तक कितनी दुकानें सस्ता गल्ला बिक्री के लिये खोली गई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पीलीभीत जिले में इस समय तक ७ सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने के आदेश दिये जा चुके हैं।

*१३१—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीलीभीत नगर के अलावा अन्य स्थानों पर भी सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने का विचार वह रखती है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

काला ढूंगी-नैनीताल, भीमताल-रानीबाग मोटर मार्गों का निर्माण

*१३२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले बजट वर्ष में कालाढूंगी-नैनीताल मोटर रोड के निर्माण हेतु बजट में निर्धारित धन में से कुल कितना खर्च हो सका ?

श्री गिरधारीलाल—गत वित्तीय वर्ष में इस मार्ग पर ११,५४५ रुपया व्यय हुआ था।

*१३३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भीमताल-रानीबाग मोटर रोड के शेष तीन मीलों का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के बाद इस मीलों के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

*१३४--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को ज्ञात है कि पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा भीमताल में मल्लीताल से तल्लीताल तक पौन मील लम्बी सड़क को पक्का करने के हेतु नियोजन विभाग से मिले रुपये का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--इस सड़क पर कार्य प्रगति में है और शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है ।

गोंडा जलान्तर्गत मनकापुर-मसकन्वा सड़क पर लगे पेड़ों का पट्टा

*१३५--श्री बलदेवसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में मनकापुर-मसकन्वा रोड पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अनुमति लेकर जो पेड़ काश्तकारों ने लगाये थे उसका पट्टा क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री गिरधारीलाल--जिला परिषद्, गोंडा से इन वृक्षों की कोई सूची उनके स्वामित्व के विवरण सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग को न मिलने के कारण अभी तक वृक्षों के स्वामित्व की सनदें जारी करना सम्भव नहीं हुआ है ।

गोंडा जिलान्तर्गत बलरामपुर तहसील में बिना गोचर भूमि की ग्राम-सभाएं

*१३६--श्री दशरथप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला गोंडा तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत कितनी ऐसी ग्राम सभाएं हैं जिनमें गोचर भूमि नहीं है ? क्या सरकार कृपा करके उन ग्राम सभाओं में चरागाह के लिये कोई योजना बनायेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां, ५५१ गांव सभाओं में गोचर भूमि नहीं है ।

जी नहीं, इन गांव सभाओं में चरागाह के लिये योजना बनाने की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं हुई ।

कानपुर की अन्तरिम जिला परिषद् में प्रश्न पूछने के सम्बन्ध में व्यवस्था

*१३७--श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत २ अगस्त, १९५८ को कानपुर की अन्तरिम जिला परिषद् की बैठक में परिषद् के अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी है कि कोई भी सदस्य किसी बैठक में एक से अधिक प्रश्न अथवा प्रस्ताव उपस्थित न करे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं । अन्तरिम जिला परिषद्, कानपुर में केवल एक प्रस्ताव द्वारा सदस्यों से यह अनुरोध किया है कि वे कम प्रश्न पूछने का प्रयत्न करें और अच्छा हो, यदि वे एक बैठक के लिए एक ही प्रश्न पूछें ।

*१३८--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि यदि उपर्युक्त सूचना सही है तो यह अन्तरिम जिला परिषद् की किस नियमावली के अन्तर्गत होगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्रश्न नहीं उठता ।

बद्रीनारायण मार्ग में जोशीमठ मार्ग तक यातायात

*१३९--श्री बलदेवसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बद्रीनारायण मार्ग में जोशीमठ तक सड़क यातायात के लिये कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल--आशा है कि जोशीमठ तक की पूरी सड़क अप्रैल, १९५९ तक मोटर यातायात के लिये खोल दी जायगी ।

*१४०--श्री बलदेवसिंह--क्या इस सड़क को आगे बद्रीनारायण तक मोटर यातायात के लिये ले जाने का इरादा है ?

श्री गिरधारीलाल—अभी कोई पक्का निश्चय नहीं हुआ है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच लिखा-पढ़ी हो रही है।

अतारांकित प्रश्न

सोनारीपुर रेंज, जिला खीरी का जंगल

१—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सोनारीपुर रेंज, जिला खीरी में कितनी जमीन में जंगल है और कितनी परती है ?

श्री सैयद अली जहीर—सोनारीपुर रेन्ज, जिला खीरी में सब जमीन में जंगल है, परती कुछ भी नहीं है।

पंचायत इन्सपेक्टर

२—श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने पंचायत इंस्पेक्टर हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रदेश में कुल ४४४ पंचायत इंस्पेक्टर हैं।

बस्ती जिले में पंचायत मंत्रियों को ग्राम-सेवकों की ट्रेनिंग

३—श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती के कितने पंचायत मन्त्री V. L. W. की ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं और उन्हें कहां-कहां V. L. W. की जगह पर नियुक्त किये जाने के लिये तय किया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बस्ती जिले में ४१ पंचायत मन्त्री V. L. W. की ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से ३ बहराइच जिले में V. L. w. के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। शेष ३८ की इस पद पर नियुक्ति की संभावना निकट भविष्य में नहीं है।

गोरखपुर जिले की बरहज व फरेंदा तहसील में सस्ते अनाज की दुकानें

४—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की तहसील बरहज में कुल कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं और उन्हें इस महीने में (अगस्त में) रोजाना कितना गल्ला बेचने की आज्ञा दी गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—गोरखपुर जिले में बरहज नाम की कोई तहसील नहीं है। बरहज देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में नगरपालिका है और उसमें सस्ते गल्ले की कुल ११ दुकानें हैं। इन दुकानों पर अगस्त, १९५८ में प्रति दिन प्रति दुकान पर बेचे जाने वाले गल्ले की मात्रा निम्नलिखित है :

दिनांक	क्षेत्र	गेहूं	मोटा अनाज
१-८-१९५८ से	शहर	३० मन	..
५-८-१९५८	देहात	२० मन	२० मन
६-८-१९५८ से	शहर	२० मन	..
१५-८-१९५८	देहात	१५ मन	५ मन
१६-८-१९५८ से	शहर	१५ मन	..
२२-८-१९५८	देहात	१० मन	५ मन
२३-८-१९५८ से	शहर	२० मन	..
३१-८-१९५८	देहात	१५ मन	५ मन

५—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त जिले की फरेंदा तहसील में इस महीने में (अगस्त) कुल कितना गल्ला वहां की सस्ते गल्ले की दुकानों को दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अगस्त, १९५८ में तहसील फरेंदा के सस्ते गल्ले के दूकानदारों को निम्नलिखित मात्रा में गल्ला दिया गया—

	मन
गेहूं	१५०७७ १/२
चना	३,३०१
बाजरा	३,३३०

६—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या न्याय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त दुकानों में कितने के खिलाफ गल्ला किसानों को न देने व चोर बाजार में बेंच लेने की शिकायत सम्बन्धित अधिकारियों के पास आई और उनमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—बरहज की दुकानों के प्रति इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई थी। केवल बरगदवा विशुनपुर के दुकानदार के विरुद्ध कुछ शिकायतें आई थीं और जांच करने पर शिकायत में दिये गये आरोप सिद्ध नहीं हुये अतः मामले को समाप्त कर दिया गया। जांच के दौरान में ही व्यक्तिगत कारणों से दुकानदार ने इस्तीफा दे दिया जिसे मंजूर कर लिया गया।

[९ दिसम्बर, १९५८ के लिये निर्धारित प्रश्न जो पहले १० दिसम्बर, १९५८ के लिए निर्धारित थे]

तारांकित प्रश्न

* * *

तहसीलों में खजांचियों के रोकड़ कर्मचारियों को सरकारी मुलाजमत में लेने की मांग

*६८—श्री धनुषधारी पाण्डेय—क्या प्रदेश के तहसीलदारों की जो सरकारी खजानों में कार्य करते हैं कोई मांग पिछले दिनों सरकार के पास आई थी ? यदि हां, तो वह क्या थी और उस पर सरकार ने क्या किया ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, १९५७ में सरकार के पास एक प्रार्थना सरकारी खजाञ्ची (Govt. treasurer) के रोकड़ सम्बन्धी कर्मचारियों (cash staff) के सरकारी कर्मचारी (Govt. servants) घोषित करने के लिए प्राप्त हुई थी। सरकार ने इस सवाल पर विचार करने के लिए एक समिति (committee) नियुक्त की और मामले पर, उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए बखूबी विचार किया गया। मामले पर पूर्ण रूप से विचार करने के बाद सरकार के लिये यह सम्भव न हो सका कि वह उक्त प्रार्थना को मंजूर करे।

लखनऊ के बिक्री-कर सहायक अधिकारी

*६९—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के बिक्री-कर विभाग में कितने सहायक बिक्री-कर अधिकारी हैं ? उनमें से कितने पब्लिक सर्विस कमीशन से अप्रूव्ड हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—लखनऊ के बिक्री-कर कार्यालय में चार सहायक बिक्री-कर अधिकारी हैं जिनमें एक पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अप्रूव्ड है।

* * *

[९ दिसम्बर, १९५८ के लिए निर्धारित प्रश्न जो पहले १० दिसम्बर, १९५८ के लिए निर्धारित थे।]

* * * *

सदर रजिस्ट्रेशन दफ्तर, पीलीभीत का निरीक्षण

*७—श्री हरदयालसिंह—क्या मंत्री, परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या सदर रजिस्ट्रेशन दफ्तर, पीलीभीत का निरीक्षण दिसम्बर सन् १९५५ में किया गया था? यदि हां, तो निरीक्षण रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। निरीक्षण रिपोर्ट में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जो सदन के सामने रक्खी जाय।

* * * *

मैनपुरी जिलान्तर्गत भोगांव तहसील के रजिस्ट्रेशन दफ्तर के लिए स्टाम्प-वैण्डरों के प्रार्थना-पत्र

*२०—श्री रत्नेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में तहसील भोगांव में सन् १९५८ में अब तक रजिस्ट्री के दफ्तर में स्टाम्प-वैन्डरों (बेचने वालों) के कितने नामों को तहसीलदार भोगांव ने जिलाधीश, मैनपुरी के पास शिफारिश की और जिलाधीश ने कितनों को स्वीकार किया है?

श्री सैयद अली जहीर—तहसील भोगांव ने स्थानीय रजिस्ट्रेशन दफ्तर में स्टाम्प-वैन्डरों का काम करने के लिए दो प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, मैनपुरी के पास भेजे थे परन्तु अतिरिक्त स्टाम्प-वैन्डरों की आवश्यकता न होने के कारण जिलाधीश ने कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री रामचन्द्र उनियाल ने सदस्यता की शपथ ग्रहण की।

प्रश्नों के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)—इस एजेंडे में १४० प्रश्न हैं और केवल ३८ लिये गये हैं, तो मेरा सुझाव है कि आगे से कम प्रश्न रखे जायं जिसमें सब को उत्तर मिल सके।

श्री अध्यक्ष—अगर संख्या बहुत होती है तो कार्यक्रम में उसी हिसाब से बटवारा करना होता है। एक निश्चित दिन प्रत्येक मंत्री सदन में उपस्थित रहते हैं और उसके सम्बन्ध के प्रश्न उस दिन रखे जाते हैं इसलिये आपका सुझाव स्वीकृत हो नहीं सकता।

श्री मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल—अगर इसमें ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि जो बाकी रह जायं तो अगले दिन कुछ समय बढ़ा कर उनको ले लिया जाय?

श्री अध्यक्ष—इसका मतलब यह होगा कि जो बाद में प्रश्न बच जाते हैं उनके प्रश्न कभी आयेंगे ही नहीं सदन के सामने। वह आगे के लिए ढकेले ही जाते रहेंगे। यह बात अनुचित होगी।

कानपुर में कुछ कपड़ा मिलों के बन्द होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—निम्न कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय जी ने भेजा है, "इस समय कानपुर में सात कपड़ा मिलें पूर्णतया बन्द हैं, जिनमें १६ शिफ्टें हैं। इनके अलावा पांच अन्य मिलों में आठ शिफ्टें बन्द हैं। यह स्थिति औद्योगिक संकट एवं संकटमय श्रम-स्थिति को द्योतक है।

इस स्थिति को संभालने एवं बन्द कपड़ा मिलों को खुलवाने में राज्य सरकार असमर्थ सिद्ध हुई है। इससे कानपुर के मजदूरों एवं बेकारों में तीव्र असन्तोष व्याप्त है। अतः इस सार्वजनिक हित एवं निश्चित विषय पर विचार हेतु सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह कोई तात्कालिक प्रश्न नहीं है। कई महीनों से यह प्रश्न चला आया है, इसलिए इसमें अर्जेन्सी तो नहीं है, इस कारण कामरोको प्रस्ताव का विषय यह नहीं हो सकता। लेकिन झारखंडे राय जी इसमें चाहते हैं कि सम्बन्धित मंत्री जी इस विषय पर, कुछ सूचना सदन को दे दें तो उचित होगा। मैं उसके लिए इजाजत दे दूंगा अगर वह सूचना देने के लिए तैयार हों।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि इस कामरोको प्रस्ताव के उपस्थित होने से पहले श्री झारखंडे राय जी को चाहिए था कि कम से कम वस्तुस्थिति से तो अपने को अवगत करा लेते। कानपुर में सात कपड़े की मिलें बन्द नहीं हैं, कुल वहां दो बन्द हैं। उन्होंने किसी से सुन लिया होगा, क्योंकि प्रदेश भर में सात बन्द हैं, कानपुर में दो बन्द हैं। तो एक तो यह सूचना मैं दे देना चाहता हूं।

दूसरी यह है कि मेरा खयाल है कि इस प्रश्न पर पहले भी विचार हो चुका है और जो बात उस वक्त कही गयी, वही बात, मैं मजबूर हूं आज कहूंगा और शायद दो-तीन-चार महीने तक वही जवाब दिया जा सकता है। केवल कानपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि सारे देश में जहां-जहां भी कपड़े की मिलें हैं, अनेक कारणों से कपड़े का स्टाक उनके यहां बहुत जमा है जो निकल नहीं रहा है। किसी में कम निकला, किसी में ज्यादा निकला, लेकिन ऐसी कोई ही मिल होगी जिसके सामने यह मुसीबत न हो। उत्तर प्रदेश में ही नहीं और जगहों में भी कुछ मिलें बन्द पड़ी हैं और इस वक्त तक उनके चलाने की व्यवस्था आसाननहीं हो सकी।

जहां तक कानपुर की दो मिलों की बात का सम्बन्ध है जो बन्द हैं, उनमें एक तो कानपुर काटन मिल और एक अथर्टन वेस्ट है। कानपुर काटन मिल को चलाने की काफी कोशिश की गयी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी की, कुछ थोड़ी सी कोशिश केन्द्रीय सरकार ने भी की, लेकिन उसको चलाने के लिए कम से कम ६०-७० लाख रुपया चाहिए और न तो इस वक्त रुपया सरकार लगा सकती है और न कोई दूसरा उद्योगपति लगाने को तैयार है। जो लगाने को तैयार हो जाता है वह यह कहता है कि अगर सरकार हमको रुपया दे दे तो हम चलाने की कोशिश करें, वर्ना नहीं चला सकते। इस वास्ते वह बन्द है। अथर्टन वेस्ट में शायद थोड़े रुपये की जरूरत हो। इसके लिये हमारे कहने से केन्द्रीय सरकार ने जांच करायी है कि उसकी मैशीनरी कैसी है। चलने के लायक है या नहीं और उसके चलाने में कितना खर्चा और होगा।

यदि रिपोर्ट संतोषजनक हुई तो भी निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम स्वयं उसको सरकार की तरफ से चलायें। अभी तक हमारे प्रदेश में ऐसा प्रयोग नहीं हुआ है, एक-आध और प्रदेश में तो हुआ है। यदि यह प्रयोग सफल हुआ तो आगे चल कर ऐसी परिस्थिति में हमको आसानी होगी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---मैं एक बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि मैंने पहले इस बात की पूरी जानकारी कर ली होती कि क्या स्थिति है, तब ऐसी बात लिखता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ३ दिसम्बर, ५८ का एक प्रश्नोत्तर मेरे पास श्री चन्द्रजीत यादव जी का है जिसके जवाब में आचार्य जुगल किशोर, भूतपूर्व श्रम मंत्री जी ने यह कहा था---"इस समय कानपुर में सात मिलें पूर्णतया बन्द हैं जिनमें १६ शिफ्टें हैं। इसके अलावा पाँच अन्य मिलों में आठ शिफ्टें बन्द हैं"। इन्हीं शब्दों को मैंने कोट किया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---क्या वे सभी कपड़ा मिलें हैं, ऐसा उत्तर में है ?

श्री झारखंडेराय---उसमें सात मिलें लिखा है।

श्री अध्यक्ष---तो आपने तो कपड़ा मिलें लिखा है।

श्री झारखंडेराय---हां, प्रश्नोत्तर से तो यही भास होता है।

श्री अध्यक्ष---कपड़ा मिलें सात नहीं हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---कहिये।

श्री भगवतीसिंह विशारद---जो प्रस्ताव माननीय झारखंडे राय जी ने प्रस्तुत किया है और जिसके सम्बन्ध में अभी आपने निर्णय दिया है कि वह विषय कामरोको प्रस्ताव का भले ही न हो, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस समय वहां पर यह ठीक है कि दो मिलें बन्द हैं, लेकिन अन्य मिलों में भी बराबर बन्दी होती रहती है, तो इसके लिये मैं चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी तैयार हों तो कोई समय निश्चित कर दिया जाय, जिससे इस सम्बन्ध में एक दिन विवाद हो जाय।

श्री अध्यक्ष---यह आपका कोई मोशन नहीं है। मैं जब कामरोको प्रस्ताव नामंजूर कर चुका हूं तो उसके बारे में कोई सुझाव नहीं आ सकता।

श्री भगवतीसिंह विशारद---एक आम वाद-विवाद हो जाय।

श्री अध्यक्ष---उसके लिये आपका प्रस्ताव होता तो उस पर विचार किया जाता।

बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ व रामसनेही घाट तहसीलों में गोमती की बाढ़ से कटी भूमि के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब श्री जंगबहादुर वर्मा जी का एक कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है--"जिला बाराबंकी, तहसील हैदरगढ़ व रामसनेही घाट में गोमती नदी की बाढ़ से कई गांव बह गये और काश्तकारों की भूमि जो नदी कटने से दूसरी तरफ चली गयी उस पर पानी हटने पर नाजायज लोगों ने जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है। परन्तु उन्हीं पहले वाले किसानों से लगान वसूल किया जा रहा है..।"

इस विषय से सरकार से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। यह प्रश्न केवल स्थानीय शासन से सम्बन्धित है और दूसरी बात यह है कि यह तात्कालिक भी नहीं है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---सारे सूबे में यही स्थिति है।

श्री अध्यक्ष---तो यह पहले ही रोज लाना चाहिये था। तो दोनों दृष्टियों से यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता, मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

मंड़ियाहूं के थानेदार के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---उग्रसेन जी का एक कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार आरम्भ होता है---"जिला लखनऊ के थाना मंडियाहूं के एक सब-इन्स्पेक्टर....।"

यह तो वैयक्तिक विषय और आक्षेप है। मैं समझता हूं इसके लिये उनको चाहिये कि यह शिकायत माननीय मंत्री जी के पास भेज दें तो उचित हो। अगर कहीं पर किसी सरकारी अधि-

कारी ने ज्यादती की हो और अगर उस पर कोई चार्ज लगाया जाता है तो उसका यही तरीका हो सकता है। कामरोको प्रस्ताव का यह विषय नहीं हो सकता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--मैं निवेदन....

श्री अध्यक्ष--जी नहीं।

साहू केमिकल्स फैक्टरी से सम्बन्धित ४ दिसम्बर के कार्य-स्थगन प्रस्ताव के विषय पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन की जानकारी के लिए एक वक्तव्य देने के लिये कहा था। वह आज कृपा करके दे दें।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस आदरणीय सदन को ज्ञात है हम लोग पिछले कई वर्षों से इस बात का प्रयास करते रहे हैं कि हमारे प्रदेश में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में उद्योग कायम हों बड़े भी और छोटे भी, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि प्रदेश की प्रगति के लिये, उसके आर्थिक जीवन के लिये यह नितान्त आवश्यक है। सन् १९५५-५६ में कुछ उद्योग चलाने वालों ने उत्तर प्रदेश में कुछ उद्योगों को चलाने की इच्छा प्रकट की थी, परन्तु उन्होंने यह चाहा कि उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाय। इसी बात को ध्यान में रख कर इस सदन ने १९५५-५६ में ३ करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान स्वीकार किया कि इसमें से इस तरह से रोजगार चलाने वालों को सहायता दी जाय। जो इस किस्म की सहायता लेकर हमारे यहां रोजगार चलाना चाहते थे उनमें न्यू सेंट्रल जूट मिल्स लिमिटेड भी एक कम्पनी थी। उसको २९ मार्च, १९५६ को १,४५,००,००० रुपये का ऋण दिया गया। इसी को संक्षेप में सोडा ऐश फैक्ट्री भी कह देते हैं। क्योंकि वह सोडा और एमोनियम क्लोराइड पैदा करती है जो खाद के काम में आती है। उनको जिन शर्तों पर रुपया कर्ज दिया गया उनमें मुख्य यह हैं कि एक तो कलकत्ते में जो उनकी प्रापर्टी है, उनकी जूट मिलें थीं, उनके आधार पर २ करोड़ २० लाख रुपये की सिक्योरिटी वह गवर्नमेंट को दे दे ताकि यदि वसूली में कोई दिक्कत हो तो रुपया उससे वसूल किया जा सके। कुल ऋण मय ब्याज के सितम्बर, १९६७ तक अदा कर दिया जाय छः छः महीनों की किस्तों में।

इसके अलावा कम्पनी के डायरेक्टरों में दो प्रतिनिधि गवर्नमेंट के होंगे। कम्पनी ने अपना काम शुरू किया और इस समय उनकी इमारत बन कर तैयार है, उनकी मशीनरी तैयार है और ऐसी आशा की जाती है कि अगली फरवरी तक उनका काम शुरू हो जायगा। चूंकि फर्टीलाइजर्स की देश को बहुत आवश्यकता है इसलिये भारत सरकार ने इच्छा प्रकट की कि वह जितना माल तैयार करना चाहते हैं उसको दुगना कर दें। अभी तो नहीं, लेकिन ऐसा खयाल है कि वह एक साल के अन्दर दूना खाद तैयार करेगी और बाहर जो रुपया एमोनियम क्लोराइड के लिये भेजा जाता है उसमें कुछ न कुछ कमी आ जाय। कम्पनी को साधारण-तौर से रिहन्द बांध के बाद बिजली देने की बात थी, लेकिन उससे बिजली तो १९६१ तक मिलेगी और माल तैयार फरवरी से होना है इसलिये उन्होंने अपना पावर हाउस बनाया और वह उससे बिजली तैयार करेंगे।

उन्होंने इस वित्तीय वर्ष में गवर्नमेंट से यह कहा कि सब चीजों के दाम बहुत बढ़ गये हैं। दूसरे मशीनरी बाहर से मंगानी पड़ती है उस पर कस्टम ड्यूटी बहुत बढ़ गई है इसलिये हमारा खर्चा बढ़ गया है। इसलिये हमको १ करोड़ रुपया और कर्ज दिया जाय। हमने इन्कार कर दिया कि हम नहीं देंगे। आप जैसे चाहें अपना इंतजाम करें। इसके बाद उन्होंने दूसरी दरख्वास्त भेजी है कि अगर सरकार कर्ज नहीं दे सकती है तो हमें इस तरह से सहायता हो जायगी कि हमारी बिजली की मशीन खरीद ली जाय।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

यह सवाल हमारे सामने विचाराधीन है । अभी हमने कुछ फैसला नहीं किया है । इसके कई पहलू हो सकते हैं । कुछ हद तक यह हमारे काम की चीज हो सकती है, क्योंकि हमें अपने प्रदेश में रोजगार चलाने के लिये बिजली की सख्त जरूरत है । इस समय प्रायः सभी जगह मार्टिन कम्पनी के बिजली के ठेके हैं, लेकिन उनके सामने दिक्कत होगी । उनके ब्योरे में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ऐसी सूरत हो सकती है कि एक तरफ हम व्यापार बढ़ाना चाहते हैं दूसरी तरफ बिजली न मिलने के कारण लोग यहां से भागे जा रहे हैं । नैनी में, गाजियाबाद में, मुगलसराय और कुछ हद तक लखनऊ में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो यह हो सकता है कि अगर हमारे पास बिजली की एक ऐसी मशीन हो तो उससे हम काम ले सकते हैं । माताटीला बांध, यह खयाल था कि सिंचाई और बिजली दोनों का काम देगा। सिंचाई का काम तो शुरू हो गया, लेकिन फारेन एक्सचेंज के न मिलने की वजह से बिजली का काम रुका हुआ है । ये ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से यह विचार करना है कि अगर यह मशीन हमारे पास हो जाय तो उससे हमारा काम चले । लेकिन सोचने की बात होगी कि सचमुच यह काम कर देगी, मशीन कैसी है, इसकी लाइफ और इफीशेंसी कैसी है और कीमत क्या होगी। यह सब चीजें अभी तय नहीं हुई हैं । इन सब बातों पर गौर करना है तब तय करेंगे कि लेना है या नहीं । कुछ हमारे अफसर होंगे और हमने सोचा है कि केन्द्रीय सरकार का जो विद्युत् का विभाग है इसके भी विशेषज्ञ होंगे । उन लोगों की राय से तय करेंगे कि इसकी क्या कीमत होगी । इस वक्त मौजूदा अवस्था इतनी ही है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार इसे लेने का अन्तिम निर्णय करेगी तब इस सदन को कान्फीडेंस में लेगी और बतायेगी कि उसका निर्णय क्या है और किन कारणों से वह निर्णय किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं सदन को खबर कर दूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पावर हाउस उन्होंने बनाया था वह अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिये बनाया था या और एक्सट्रा बिजली भी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह भी देखने की बात होगी । जहां तक मैं समझता हूं ६ हजार किलोवाट की उनको जरूरत पड़ेगी । हमको ऐसा बताया गया है । इस प्रयोजन के अतिरिक्त भी बिजली हो सकती है इस बात की भी जांच करने की जरूरत होगी । वह कहते हैं कि अगर आप ले लें तो २५ वर्ष तक हम आपसे ही बिजली लेते जायेंगे और ऐसे भाव से लेंगे कि जितना आपका खर्चा है वह निकल आये प्लस दो प्रतिशत प्राफिट हो जाय । लेकिन सब विचारने की बातें हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अब से पांच-छः महीने पहले इसी साहू जैन फैक्टरी के सम्बन्ध में जो मशीन खरीदने के लिये विचार कर रहे हैं उसको देखने के लिये गवर्नमेंट की तरफ से इंजीनियर्स गये थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि एक करोड़ में क्या ४० लाख में भी खरीदने के काबिल नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक करोड़ या ४० लाख का सवाल ही इस वक्त नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह भी स्पष्ट कर देंगे कि यह पावर हाउस कितनी लागत में बनाया गया था, कितने वर्ष चला और कितने में देने का विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक उनका कहना है, उन्होंने एक दिन भी नहीं चलाया। एक मशीन डालमिया नगर में है, जो पुरानी है। उससे कोई मतलब नहीं है। इस मशीन को उनका कहना है कि एक दिन भी नहीं चलाया है। यह देखना होगा। यह भी देखेंगे कि उस पर कितना खर्चा पड़ा है। उन्होंने विलायत से मंगाया होगा। इनवायस वगैरह देखेंगे।

विभिन्न समितियों के निर्वाचन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--अब मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं। स्टेट हेल्थ बोर्ड, विभिन्न मंत्रियों की परामर्शदात्री समितियों, जिनमें स्थान रिक्त हैं और १९५७-५८ के लिये २५ मंत्रियों की परामर्शदात्री समितियों के लिये दो-दो अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति से सम्बन्धित निर्वाचनों के लिये प्राप्त नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म-परीक्षा दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८ को सायंकाल ५ बजे की गयी और प्राप्त नाम-निर्देशन-पत्र वैध पाये गये। इन सबकी नाम वापसी के लिये अन्तिम तिथि तथा समय दिनांक १२ दिसम्बर, १९५८ के मध्याह्न १ बजे तक के लिये नियत है। अतः यदि उस समय तक उपर्युक्त निर्वाचनों से सम्बन्धित अतिरिक्त अभ्यर्थियों के नाम वापस न ले लिये गये तो निर्वाचन दिनांक १३ दिसम्बर, १९५८ को अपराह्न २ बजे से ५ बजे तक विधान वाचनालय में होगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची माननीय सदस्य, सचिव, विधान सभा के पास देख सकते हैं।

गया प्रसाद लाइफ सेविंग ट्रस्ट, फंड कानपुर की समिति के लिये नियत अवधि के अन्दर कोई भी नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं अतः उसके लिये निम्नलिखित कार्यक्रम पुनः निर्धारित किया जाता है

नाम-निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय १० दिसम्बर, १९५८ को सायंकाल ४ बजे तक।

नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म-परीक्षा का समय १० दिसम्बर, १९५८ को सायंकाल ५ बजे, सचिव के कमरे में।

नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय १२ दिसम्बर, १९५८ को १ बजे तक।

निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो १३ दिसम्बर, १९५८ को २ से ५ बजे तक विधान वाचनालय में होगा।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २४ सितम्बर, १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३० सितम्बर, १९५८ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १९ नवम्बर, १९५८ को प्राप्त हो गई और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का ३८वां अधिनियम बन गया।

कार्यक्रम के बारे में पूछताछ

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, कार्यसूची के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यदि आपकी आज्ञा हो, तो कर दूं।

श्री अध्यक्ष--कहिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मैंने देखा कि आज की कार्यसूची में तीन विधेयक हैं- स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक और कुमायूं

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

जमींदारीविनाश विधेयक। इन तीनों विधेयकों के लिये क्रमशः ४ घंटे, १० घंटे और १६ घंटे का समय नियत है। यह मिलाकर ३० घंटे हो जाते हैं। एक दिन में ४ घंटे से अधिक नहीं होते। तो इन तीनों विधेयकों के लिये साढ़े सात दिन लगेंगे। १२ तारीख का दिन शुक्रवार असरकारी दिवस है। तो इस तरह से साढ़े आठ दिन चाहिये जिसका मतलब यह है कि तीनों विधेयक बृहस्पतिवार के अगले आधे दिन तक पूरे हो पायेंगे। इसके अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण कार्य और हैं, सरकारी घोषणा के अनुसार। एक कृषि विश्वविद्यालय विधेयक और दूसरी प्रक्रिया नियमावली पर भी विचार करना होगा। तो मैं सदन के नेता से यह जानना चाहता हूं कि इन पांचों के कार्यक्रम को पूरा करने के लिये क्या वह यह अधिवेशन तीसरे सप्ताह के २० तारीख तक चलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं, इस सम्बन्ध में मैं कल जिक्र कर चुका था कि यह तो निश्चय करना सदन की इच्छा पर है कि कितने दिन तक सदन बैठे। यदि काम सामने होगा, जो कि इस बैठक के लिये निर्धारित कर दिया है अगर वह इस सप्ताह में पूरा नहीं होगा और अगले सप्ताह में सरकार काम करना नहीं चाहती है तो वे शेष काम बाकी रह जायेंगे। इस सप्ताह का काम बता दिया गया है कि यह दोनों विधेयक इस सप्ताह ले लिये जायेंगे। उत्तर प्रदेश स्टैम्प और उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस विधेयक, यह दोनों इस सप्ताह ले लिये जायेंगे। इसके बाद कृषि विश्वविद्यालय विधेयक आयेगा और कुमायूं जमींदारी विनाश अन्त में लाने को रखा गया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि प्रक्रिया नियमावली के सम्बन्ध में क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष--प्रक्रिया नियमावली के लिये ११ तारीख रखी गई है। ११ तारीख जब आयेगी उस वक्त आप प्रश्न पूछ लीजियेगा कि वह उस रोज ली जा सकती है या नहीं।

कार्यक्रम में परिवर्तन करने पर आपत्ति

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं और इस संबंध में मैं आपका ध्यान नियमावली के रूल १७५ की ओर दिलाऊंगा जो इस प्रकार है --

"175. MOTION FOR POSTPONEMENT OF BUSINESS---

(1) A motion that consideration of a Bill, other than an Appropriation Bill under Article 204 of the Constitution, which has been introduced or of a motion other than a motion for adjournment, or of a resolution, be adjourned to any future day in the same session available for such business or to any future session *sine die*, may be made by any member at any time, and such motion shall take precedence of any other motion then before the Assembly. The Speaker after permitting a brief explanatory statement from the mover and from the member opposing, if the motion is opposed, may, without further debate, put the question thereon."

श्रीमन्, इस के साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि कल बिजनेस कमेटी की ओर से जो सिफारिश आई थी उस पर जो प्रस्ताव था उसमें जो एतराज हुये थे वह बाद में गिर गये और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि जो प्रोग्राम है हमारे सामने वह इस सप्ताह का प्रोग्राम है और आपने उस समय व्यवस्था दी थी कि प्रक्रिया नियमावली के बिजनेस को सदन के सामने कार्य से प्राथमिकता दी जायगी. . . . . .

श्री अध्यक्ष--आपका आशय क्या है ?

श्री प्रतापसिंह---मेरा मोशन यह है कि यह जो बिजनेस का क्रम बदला गया है यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उधर से कोई मोशन इस आशय का न आ जाये कि कुमायूं जमींदारी बिल तथा दूसरा काम ड्राप किया जाय । कोई भी रेजोल्यूशन वहां से नहीं आया है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से क्या कोई पत्र आया है कि जिसके अनुसार यह नया कार्यक्रम निर्धारित हुआ है अथवा बिजनेस कमेटी ने जो सिफारिश की थी उसमें कुछ तब्दीली हुई है ? और क्या इसके लिये कोई मोशन आयेगा ?

श्री अध्यक्ष---कल मैंने व्यवस्था दे दी थी और इसलिये इसमें अव्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता । नियम १९ में यह दिया हुआ है कि सरकार अपने कार्य के सम्बन्ध में, जो क्रम होगा उसे निश्चित करेगी । अगर उस क्रम में कोई परिवर्तन करना है तो उस के लिये एक रोज पहले, जहां तक सम्भव हो, सरकार नोटिस दे देगी । एक रोज पहले, कल नोटिस दे दिया गया था कि आज यह कार्य लिया जायगा । उसके हिसाब से वह कार्य लिया जा रहा है । मैंने पहले ही उसका फैसला दे दिया था । इसलिये आज कोई वैधानिक आक्षेप इसके संबंध में उठाया नहीं जा सकता ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं कल की बात आपको याद दिलाना चाहूंगा । कल आपको गलत सूचना दी गई । कल आपको सचिव द्वारा सूचना दी गयी थी कि ६ दिसम्बर के लिये पहले से भेज दिया गया था स्टैम्प ड्यूटी बिल और कोर्ट फीस के बारे में । मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि ६ तारीख के पहले जरूर लिखा हुआ था लेकिन यह ८ तारीख को पुरःस्थापित किये गये, इसलिये हमको तीन दिन का मौका नहीं मिल रहा है ।

श्री अध्यक्ष---सूचना गलत भी हो लेकिन उसका कोई महत्व आज नहीं है । कल एक दिन पहले नोटिस दे दिया गया कि आज यह बिजनेस लिया जायगा और उसी के हिसाब से कार्य हो रहा है ।

उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८*

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, स्टैम्प ऐक्ट बहुत अरसे से यहां लागू है और वक्तन-फवक्तन उसमें जो रकमें निर्धारित हैं कि कागजों पर किस किस्म का स्टैम्प लगेगा और उनकी मालियत क्या होगी उसमें अदला-बदली होती रही है । आज वह जमाना आया है कि जब हमको कहीं न कहीं से रुपया हासिल करना है, जनता से रुपया लेना है और लेकर अपने सूबे की हालत को बेहतर बनाना है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारे बीच में है और उसके सिलसिले में तीसरा वर्ष खत्म होने आ रहा है, दो वर्ष और बाकी हैं । तो उस के लिये बहुत-सी बातों पर गौर किया गया और यह समझ कर, हर बात का लिहाज करके, यह मुनासिब समझा गया कि स्टैम्प ऐक्ट में जो रकमें मुअय्यन हैं उनमें थोड़ी सी बढ़ोत्तरी की जाय ताकि सरकार को आमदनी हो और उस रुपये से अपने सूबे की तरक्की के काम पूरे तौर से अंजाम पा सकें ।

इसका भी कोई अन्दाजा ठीक नहीं लग सकता कि इस बिल के मंजूर हो जाने से हमें कितनी आमदनी बढ़ सकेगी । बहरहाल उससे आमदनी बढ़ेगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन ।

श्री अध्यक्ष---वह बैठ नहीं रहे हैं, इसलिये मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता । प्वाइंट आफ आर्डर आपका नहीं है ।

---

*८ दिसम्बर, १९५८ की कार्यवाही में छपा है ।

श्री सैयद अली जहीर---जैसा कि मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस बिल के आब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में यह वजह बता दी गई है। उसमें साफ-साफ लिख दिया गया है कि दर इसलिये बढ़ायी जा रही है कि ज्यादा आमदनी हासिल हो जिसके जरिये से वह सूबा और तरक्की कर सके। जो-जो हमारी स्कीम्स हैं वे पूरी हो सकें। आप जानते हैं कि जब प्लान बनता है तो उसके लिये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ पया मिलता है और उसमें से कुछ रुपया इस शर्त पर मिलता है कि उसके मुकाबले में इतना पया यहां इस सूबे से हमें हासिल करना होगा, मुख्तलिफ टैक्सेज के जरिये से। इन सब बातों को देखते हुए यह लाजिमी हो जाता है कि हम कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे सरकार के पास कुछ न कुछ रकम इस बात के लिये आये जिससे वह अपने कामों को चालू कर सके।

इन सब बातों को देखते हुये तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। जब अलाहिदा-अलाहिदा दफात आयेंगी तब अगर कोई खास बात होगी तो उसके मुताल्लिक मैं अर्ज कर दूंगा। जनरल बात जो कहनी है वह यही है कि इसी गरज से इस बिल को पेश किया जा रहा है कि इससे हमारे प्लान में मदद मिल सके। माननीय सदस्य इस चीज को महसूस करके इस बिल को मंजूर करेंगे इसकी मुझे उम्मीद है।

*श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ को एक माह के लिये जनमत जानने के लिये जनता में घुमाया जाय।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने एक बात यह कही कि प्लानिंग के लिये हमारे बजट में कुछ कमी पड़ रही है इसलिये हमें हर तरीके से रेवेन्यू में इजाफा करना है और उसकी सूरत उन्होंने यह निकाली कि स्टाम्प ऐक्ट जो सन् १८९९ में बनाया गया था उसमें तब्दीली की जाय। वक्तन-फवक्तन उसमें कई तरमीमात हुई हैं। आखिरी तरमीम उसमें १९५२ में हुई थी। उसमें कुछ और इजाफा इस बिल के जरिये से किया जा रहा है। अगर श्रीमन्, इस पर सरसरी नजर डालेंगे और सन् १८९९ के फिगर्स को आज के फिगर्स से कम्पेयर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कहीं-कहीं पर तो ३०० और कहीं-कहीं पर ५०० फीसदी तक बढ़ा है। अभी एक अमेंडमेंट कांग्रेस व्हिप की तरफ से इसमें रखा गया है, अगर सरकार उस अमेंडमेंट को मान लेगी, जैसी कि आशा भी है, तो सरकार को उस मद में १३ सौ फीसदी बढ़ जायगा। इस प्रकार से ६ गुने से १३ गुने तक टैक्स इस बिल के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। क्या यह उस चीज के लिये उचित है जिसके लिये माननीय मंत्री जी जस्टीफाई करते हैं। श्रीमन्, इसमें कन्वीयेन्स में ५० से ३०० प्रतिशत तक बढ़ा है। हालत हमारे प्रदेश की आज यह हो गयी है कि अनइम्प्लायमेंट दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है और इम्प्लायमेंट घटता जा रहा है। लोगों की आमदनी घटती जा रही है, भुखमरी चारों तरफ फैल रही है और श्रीमन्, रोज समाचार-पत्रों में यह पढ़ने को मिलता है कि बहुत जगह तो लोग अपने बर्तन और मवेशी तक बेंच दिये और वे अपनी जायदाद तक बेचते जाते हैं। जायदाद बेचने से पहले जहां फी हजार २४ रुपया स्टाम्प ड्यूटी पड़ती थी वहां आज वह बढ़ कर ३० रुपया फी हजार हो गई है। अगर श्रीमन् पुराने आंकड़े को देखें तो कन्वीएंस जहां पहले १२,००० रुपया था वह १५,००० रुपया हो गया है। इस तरह से हर कदम पर स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसका नतीजा यह होगा कि जो गरीब अपनी जमीन को गिरों रखते हैं या बेचते हैं उनको बड़ी तकलीफ होगी। यानी गिरों रखते वक्त की स्टैम्प ड्यूटी बहुत बढ़ गयी है, वापस लेते वक्त की भी बहुत बढ़ गयी है। इसका जस्टिफिकेशन सरकार यह देती है कि पंचवर्षीय योजना के लिये रुपया कम पड़ गया है।

श्रीमन्, जिस तरह से हम तराई में एशिया का सबसे बड़ा फार्म बनाने में तथा और भी बहुत से कामों में आगे हैं, उसी तरह से आज हमारी हालत यह है कि हम दुनिया के सबसे बड़े भिखमंगे भी हैं। आज हमारी शोहरत तो बहुत है कि रुद्रपुर में एशिया का सबसे बड़ा फार्म

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है लेकिन आज हमारी सरकार के ऊपर कर्जा भी बहुत ज्यादा है इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। श्रीमान्, हमारा जो कर्जा है सन् १९५७ के मार्च से १९५९ के मार्च तक वह ८९,६१,००,००० रुपया बढ़ा है और ३१ मार्च, १९५९ तक हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर ३,३८,३८,४६,००० रुपया कर्ज है। तो आखिर यह क्या हो रहा है? हम किधर को जा रहे हैं? प्लान बनना चाहिये, यह ठीक है लेकिन ऐसे प्लान को क्या कहा जाय जिससे हम भूखों मरें, नंगे रहें और बिलकुल खतम ही हो जांय और सात पीढ़ियों के बाद लड़कों के काम आये या नातियों के काम आये? कहा यह जाता है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के काम यह आयेगा। श्रीमन्, बाप का श्राद्ध जब बेटा करता है तो कहा जाता है कि खूब दान करो, अगले जन्म में यह काम आयेगा, लेकिन अगले जन्म को किसने देखा है कि वह कैसा होगा, इससे भी बदतर होगा या किस तरह का होगा? उसी तरह से सरकार इन योजनाओं के लिये कह रही है कि तुम भूखे मरो, नंगे रहो, यह तुम्हारी अगली पीढ़ी के काम आयेगा। स्टैम्प ड्यूटी क्या, हर तरह का टैक्स रोज बढ़ता जा रहा है और इन टैक्सेज का बोझ श्रीमन्, ७५ फी सदी ऐसे लोगों पर ही पड़ता है जिनको दोनों जून भर पेट भोजन भी नहीं मिलता है। अब उनके पास टैक्स देने को रह ही क्या गया है? खून तो रह ही नहीं गया, सिर्फ हड्डियां रह गयीं हैं जिनको आप निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे दधीचि की तरह तो हैं नहीं जो उनकी हड्डियों से वज्र बन सकें लेकिन धीरे-धीरे उनके अन्दर हरकत आयेगी और उनमें वह हालत पैदा होगी। किसी चीज का बहुत ज्यादा हो जाना अच्छा नहीं होता है। कहा जाता है कि बिल्ली को जब कोई मारता है तो वह कुछ नहीं करती लेकिन वही बिल्ली जब एक बन्द कमरे में मारी जाती है वह तो गले से ऐसे चिपट जाती है कि वह आदमी का गला तक फाड़ दे। तो आज सरकार की पालिसी टैक्सेज के बारे में भी यही हो गयी है।

श्रीमन्, सरकार के पास सिर्फ एक ही रीजन स्टैम्प ड्यूटी को बढ़ाने का है कि चूंकि पंचवर्षीय योजना के लिये पैसे की कमी है इसलिये इसको बढ़ाया जा रहा है। उसके सिवा न तो कानून में कोई लेकुना है और न हाईकोर्ट की ही कोई रूलिंग है जिससे कानून के बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की कोई गुंजायश हो। जस्टिफिकेशन सिर्फ सरकार का यही है कि पंचवर्षीय योजना के लिये हमको पैसे की कमी पड़ गयी है। अब श्रीमन्, आप योजना को देखें तो क्या इस तरह से टैक्स का बढ़ाना उचित है? श्रीमन् देखेंगे कि किस तरह से हर साल टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। बराबर कहा यह जाता है कि योजना के लिये रुपया लिया जा रहा है। अगर आप सन् १९५८-५९ के बजट को पुराने बजट से कम्पेयर करें तो देखेंगे कि जिन योजनाओं के नाम पर ११२ करोड़ का बजट बनाया गया था, उसमें क्या है? पिछले बजट से २,२५,००,००० रुपया सिंचाई के काम में कम रखा गया है। नागरिक निर्माण कार्य में २,२६,००,००० कम रखा गया।

श्री अध्यक्ष—आप जरा थोड़ा असंगत हो रहे हैं। बजट के ब्योरे के चक्कर में न जाकर आप उसमें की एक मोटी बात कह दें।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—मैं यह कह रहा था कि जिन चीजों के लिये कहा जाता है कि यह टैक्स बढ़ाया जा रहा है उन पर तो पहले से ही खर्च कम किया जा रहा है। तो सिर्फ आमदनी बढ़ाने से किसी देश की तरक्की नहीं हो सकती या उसका काम नहीं चल सकता। जरूरी यह है कि खर्चे कम किये जायं। स्टैम्प ऐक्ट में या कोर्ट फीस ऐक्ट की दरें तो बढ़ाई जा सकती हैं किन्तु ७ लाख रुपये जो राज्यपाल पर खर्च किये जाते हैं उनमें कमी नहीं की जा सकती है। लिफ्ट के लिये तो प्राविजन हो जाता है, उसमें कमी नहीं की जा सकती है। बंगलों की सजावट में २१ हजार रुपये खर्च किये जाते हैं उसमें कमी नहीं की जा सकती है। अपर हाउस में पहले ८६ सदस्य थे अब उनको बढ़ा कर १०८ कर दिया गया। समझ में नहीं आता कि बाइकेमरल लेजिस्लेचर की जरूरत ही क्या है? यह खर्चा कम क्यों नहीं किया जा सकता है? पहले स्टैंडिंग कमेटीज में २५ सदस्य हुआ करते थे जो काफी थे लेकिन २,२ और बढ़ा दिये गये। खर्चे में रातदिन बढ़ोत्तरी होती है, उनमें बचत की कोशिश नहीं होती। लक्ष्मीरमण आचार्य को मथुरा जाना था। कल ही जाने का प्रोग्राम तय हो चुका था और रात

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

की गाड़ी से जा सकते थे, लेकिन जायेंगे आज हवाई जहाज से। मिनिस्टर हैं, मौका है। शान व शौकत का अन्दाज वर्ना कैसे लगेगा। जहां जरूरत है बचत की वहां बचत नहीं की जाती। गरीबों की खून पसीने की कमाई स्टैम्प ड्यूटी व कोर्ट फीस की दर बढ़ा कर वसूल की जाती है।

श्री अध्यक्ष---आप विषय पर बोलिये। बजट पर आप डिटेल में विवाद इस प्रसंग में नहीं कर सकते।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---मैं यह सिर्फ इसलिये बतला रहा हूं कि रुपया जो मांगा जा रहा है क्या वह उसी काम के लिये इस्तेमाल किया जायगा जिसके लिये कि वह मांगा जा रहा है? लेकिन ऐसा है नहीं। जहां ट्रावनकोर कोचीन में ६ से ११ वर्ष के बच्चों के लिये प्राइमरी एजूकेशन सेंट परसेंट फ्री कर दी गयी है वहां इतना रुपया मांगते-मांगते हमारे यहां वह एजूकेशन ३२·६ प्रतिशत है।

श्री अध्यक्ष---मुझे अब फिर कहना पड़ेगा कि आप इस बहस के रास्ते से अलग हो जाइये।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---बहुत अच्छा। मैं इसे छोड़ देता हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि हमको अखराजात में कमी करना चाहिये। इसके लिये भी मैं सुझाव दे सकता हूं। अंग्रेज की जिस ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी को हम बहुत गाली दिया करते थे वह एक स्टील फ्रेम बना दी गयी है, उसी पर यह सरकार भी चल रही है। जो सबसे काबिल और पुराने अधिकारी थे---यह मैं नहीं कहता कि आज कल के नहीं हैं, बहुत से होंगे और बहुत से नहीं होंगे---उनके तजुर्बे से यह ढांचा चलाया जा रहा है। किसी तरह से आगे के लिये ऐसी कोशिश नहीं है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सुधरे।

श्रीमन्, इसी तरह से रुपया बर्बाद होता है। उस समय थोड़े से आदमियों के हाथ में कन्सेंट्रेटेड पावर थी। आज कल जब हमें नियोजन से चलना है, देश का विकास करना है और उसके लिये विभागों का बढ़ाना अनिवार्य है, लेकिन यह नहीं देखते कि उनका आपस में कोआर्डिनेशन कैसे हो। आपस में विभागों में कोई कोआर्डिनेशन न होने से जो प्लान रखा जाता है वह कार्यान्वित नहीं हो पाता है। किसी सड़क या कुवें को बनाना है तो कोई फाइनल एस्टिमेट बन कर तैयार हो कर नहीं आता है। आता क्या है? एक आइडिया आता है और उसी पर रुपया रख दिया जाता है। एक पालिसी, स्टेटमेंट जैसा होता है उस पर रुपया रख दिया जाता है। तब कहीं ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास जाता है सैंक्शन होने के बाद, और तब प्लान बनता है। यानी इस कागजी उलटा-फेरी में काफी रुपया जाया होता है। इसमें दो खराबियां होती हैं। प्लान के लिये यह जरूरी है कि अगर कोई सस्ती बनानी है, टैक्स कम लगाना है तो उसके लिये जो चीज जल्दी करने की जरूरत है, जल्दी होना चाहिये, जल्दी ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होनी चाहिये और विभागों के बीच में समन्वय होना चाहिये। तो जरूरी है कि पहले प्लान बने तब उसकी मंजूरी दी जाय।

इकोनामी कमेटी की रिपोर्ट की तरफ सरकार की तवज्जह नहीं गई।

श्री अध्यक्ष---मैं आपको बताऊं कि बिल के जो सिद्धान्त हैं उन्हीं के ऊपर बहस करने का यह मौका है पूरे बजट के ऊपर नहीं। अब चूंकि उद्देश्य और कारणों में बजट और प्लान शब्द का जिक्र आया है तो आप पूरे बजट और प्लान पर सुझाव देने लगें तो आप ७, ८ दिन तक बहस कर सकते हैं। यह कोई तरीका विधेयक के ऊपर बहस करने का नहीं है। मुख्तसर में अगर आपको कहना ही था तो कह सकते हैं कि खर्च कम करके प्लान की कमी को पूरा कर दें बजाय इसके कि सरकार टैक्स लगाये। लेकिन अगर आप इस तरह से सब बातें बजट की बताना शुरू कर दें तो यह बजट का डिस्कशन हो जायगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

अगर आप फिर से वही जारी रखेंगे तो मैं कहूंगा कि आप अपने स्थान को ग्रहण करें ताकि दूसरे सदस्यों को जो इसके सिद्धान्तों के ऊपर बहस करना चाहें उनको इजाजत दी जा सके।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--मैं अर्ज कर रहा था कि कोई जस्टिफिकेशन सरकार के पास इस बात का नहीं है कि सरकार इस तरीके पर टैक्स बढ़ाये ।

ऐडमिनिस्ट्रेटिव बांड ही लीजिये। पहले १० रुपये तक कुछ नहीं लगा था अब चार आना लगा दिया और १० से ५० रुपये तक आठ आना कर दिया, यानी दुगना कर दिया। इसी तरह से १,००० रुपये पर जहां पहले ओरिजिनली ५ रुपये था, १९५२ में १२ रुपये कर दिया। उस वक्त कहा गया कि यह बहुत जरूरी है। तो उस समय लोगों का यह विश्वास दिलाया गया कि १२ रुपये से आगे अब नहीं बढ़ेगा, पुरानी कार्यवाही से देखने पर पता चल सकता है इस चीज का। आप एक रुपया बढ़ाते, दो रुपया बढ़ाते तो ठीक था, लेकिन आपने ३३ परसेंट बढ़ा दिया। तो इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपने कहीं-कहीं पर तिगुना बढ़ा दिया है। छोटे-छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इसका पूरा असर छोटे आदमियों पर पड़ेगा। जैसे कोई ५० रुपये की इम्मूवएबिल प्रापर्टी को ट्रांसफर करे तो पहले कुछ नहीं था फिर आठ आना हो गया। तो अब एक रुपया कर दिया। १०० रुपये तक की जायदाद पर तीन रुपया हो गया। तो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन १००, १५०, २०० रुपया तक की जायदाद का होता है जो गरीब होते हैं, जिनके पास खाने को नहीं है उन पर इसका असर पड़ेगा। आप उनके मुंह से नेवाला भी छीनना चाहते हैं जो उनको मुश्किल से एक वक्त ही मिल पाता है।

कल मैंने इस सदन में जब इन्टरटेनमेंट और बेटिंग टैक्स विधेयक था, मैं उन लोगों में से हूं जो बेकार नुक्ताचीनी नहीं करते हैं, कहा था कि बढ़ाइये। तो उस समय मंत्री जी ने कहा था कि हम लोगों के टैक्स को कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सिनेमा दिखलाने के लिये तो सरकार टैक्स कम कर सकती है, जहां ५० प्रतिशत से ज्यादा टैक्स पड़ता था उसको तो कम करने की सरकार को फिक्र है, वह चाहती है कि लोग अब सस्ते में सुरैया के दर्शन कर लें, इस की उसे फिक्र है, लेकिन जिनके लिये निवाला नहीं है, जो भूख से मरते हैं उन पर उसे टैक्स बढ़ाने की फिक्र है। लेकिन सरकार यह नहीं सोचती कि जब यह गरीब रहेंगे ही नहीं और मर जायंगे टैक्स के बोझ से तो फिर टैक्स देगा कौन और किस पर राज्य होगा? मेरी बात यहां गर्म बहस में न समझें तो कोई बात नहीं है लेकिन वह इस को घर पर ठंडे दिमाग से सोचें कि वह जस्टिफाइड है या नहीं है। मैं आप के द्वारा फिर अर्ज करना चाहता हूं कि यह टैक्स गरीबों पर बढ़ रहा है जिसको पेट भर खाने को नहीं है और टुकड़ों के लिये घरबार बेचना पड़ता है। उनको आप यह सुन्दर छुरी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे जरा अपनी गर्दन काट लो। इस में पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है मैं तो कहूंगा कि उधर के माननीय सदस्य भी इसका विरोध करें। आप सिनेमा पर कम चाहे न करते लेकिन भगवान के लिये गरीबों पर टैक्स न बढ़ावें।

अतः मेरी प्रार्थना है कि इसको जनमत के लिये घुमाया जाय ताकि गरीब जनता जाने तो कि किस तरह से उस पर टैक्स लग रहा है। माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि इस के बढ़ाने से कितनी आय सरकार की बढ़ेगी। आज ११ साल कांग्रेस की हुकूमत को हो गये लेकिन आम जनता को अब तक स्वाद नहीं आया कि स्वराज्य का क्या मजा है, वह तो अभी तक ऊंची-ऊंची मंजिलों और कारों में ही अटका पड़ा है, अभी तक फुटपाथ पर चलने वाले को नहीं मालूम हुआ कि स्वराज्य क्या है? टैक्स तो वह बढ़ा रहे हैं लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि वह कितना बढ़ेगा, उनको इस का कोई अन्दाजा नहीं है कि गरीब पर हम कितना बोझ और बढ़ा रहे हैं, न उन्हें यह पता है कि उस गरीब की कमर टूट जायगी। इसलिये मैं अन्त में फिर सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे जनता की राय जानने के लिये भेजे।

श्री अध्यक्ष--माननीय अवस्थी जी अब श्री उग्रसेन जी का प्रस्ताव उपस्थित करें।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे। समिति को परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो"।

इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना और उसकी परिधि को बढ़ाना दोनों ही बातें आवश्यक हैं। अभी मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को बड़े गौर से सुना और उससे यह जानने की कोशिश की, और बीच में जानकारी करना चाही कि इस बिल के द्वारा सरकार की कितनी आय होगी। उस पर मंत्री जी ने टाल दिया कि अभी तो यह पास हो जायगा और उसके बाद ही इस का अन्दाजा हो सकेगा। उन्हें यह तो मालूम ही है कि इस के पास होने में कोई दिक्कत न होगी, आज वह अपने निर्णय पर सुरक्षित और निश्चिन्त हैं और किसी की बात सुनना नहीं चाहते, वह अपनी बात में मुबतला हैं। स्टैंडिंग नियमों के अनुसार स्वयं मंत्री जी को सब सदस्यों की बात सुनना चाहिये। मैं आप का ध्यान दिलाऊंगा कि इस के द्वारा जो भी आय बढ़ती उसका कुछ तो खाका उनके दिमाग में होगा ही और वह हाउस के अन्दर रख सकते थे।

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, मैं बता दूं। बार-बार यह कहा जा रहा है कि कोई अन्दाजा नहीं है, तो मेरा मतलब यह नहीं था कि हमें मालूम ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष--(श्री मोतीलाल अवस्थी से) आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं क्या ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---यदि वह फिगर्स दे सकें, यों टालें नहीं।

श्री सैयद अली जहीर--जहां तक इसका अन्दाजा लगाया गया है रफ़ एंड रेडी, उससे पता चलता है कि ज्यादा आमदनी जो होगी वह १० लाख रुपये के करीब होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---धन्यवाद। मैं उनसे निकाल पाया कि १० लाख रुपया लेना चाहते हैं। मोटर वेहिकिल्स वाले बिल के सम्बन्ध में भी हम जानना चाहते थे और वह हमें जानने को मिला, यद्यपि वह एक मंत्री द्वारा नहीं मिला, कि ५० लाख रुपया सरकार ले रही थी और आज यह दस लाख रुपये की किस्त हमारे सामने आयी है। इस विधेयक को चाहे हम किसी नाम से पुकारें, चाहे स्टैम्प बिल या कोर्ट फीस बिल कहें, ये सब किस्तें हैं जो जनता के ऊपर लाद लाद करके वसूल करना चाहते हैं।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे एक विशेष बात यह कह देनी है कि कभी-कभी टैक्सेज जो बढ़ाये जाते हैं तो उसके लिए टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का आधार लिया जाता है और यह कहा जाता है कि इन एक्सपर्ट कमेटियों ने इसके लिए ऐडवाइस दी है कि आप बढ़ावें। लेकिन यह बिल जो हमारे सामने है उसमें वह आधार भी नहीं है। मालूम होता है कि यह मिनिस्टर साहब की स्वीट बिल पर है। उन्होंने देखा कि यह सोर्स अच्छा है और वह टैक्स वसूल करने जुट गये हैं, लेकिन यह स्टैम्प ड्यूटी और इसी प्रकार से कोर्ट फीस बिल, जो दोनों विधेयक हैं ये करीब-करीब उन गरीबों के ऊपर जाकर पड़ते हैं। हमारे देश में आज मानी हुई बात है कि द्वेष और लड़ाई झगड़े इसलिए हैं कि हम अभी विदेशी पंजे से हाल ही में छूटे हैं और हमारी मनोवृत्तियों में ज्यादा परिवर्तन नहीं हो पाया है। मुकदमे-बाजी की वृत्ति वैसी ही है और अदालतें मुकदमों से ठसी पड़ी हैं। मुकदमे जो एरियर में पड़े हुए हैं वह लाखों की तादाद में हैं। कानपुर डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि हमारी जजी में १,५०० मुकदमे ऐसे उपस्थित हैं, जिसमें कई मुकदमे ऐसे हैं जो २ साल से ज्यादा पुराने हैं और हाईकोर्ट में २२,००० मुकदमे जो पेंडिंग थे उनकी तादाद अब ४८,००० हो गयी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । जब हमारा न्याय इतना डिलेड और डिनाइड है, ऐसी हालत में हमारे सामने यह एक नया तोहफ़ा लाया जा रहा है कि स्टैम्प ड्यूटी और कोर्टफीस बढ़ाने की बात कही जा रही है । नतीजा यह होगा कि यह न्याय न केवल देर से मिलने के कारण दुखदायी होगा, बल्कि और भी महंगा होगा, जिसको कि वह बता रहे हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के कारण है । यह सीधे-सीधे उन गरीबों के सर पर पड़ेगा ।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि इसमें जो बढ़ोत्तरी की गयी है उसका असर उन लोगों पर ज्यादा पड़ेगा जो निर्धन हैं । आप देखें कि इसमें विशेष तौर से खंड ५ में अनुच्छेद २४ में कहा गया है कि १ रुपये की जगह पर डेढ़ रुपया और २ रुपये की जगह ढाई रुपये रख दिये जायं । यह अनुच्छेद उन कापीज और एक्सट्रैक्ट्स के बारे में हैं, नकलों के लेने के बारे में हैं । श्रीमान् जी, आपको भी निजी अनुभव होगा कि नक्ल लेने में गरीब मुवक्किलों को कितनी रिश्वतें देनी पड़ती हैं और कभी-कभी तो यह रवैया कोर्टों का है, मुहर्रिरों और मुंशियों द्वारा, वह कई गुना मंहगा पड़ता है । उसके ऊपर दूसरी चीज हमारे ऊपर आ रही है कि उन्हीं एक्सट्रैक्टस और कापीज में रेट्स बढ़ाये जा रहे हैं । आर्टिकिल २५-ए में, जो कि डुप्लीकेट कापी के बारे में है, ढाई रुपये की जगह ३ रुपया बढ़ाया जा रहा है । आर्टिकिल ४० में जो मार्गेज-गिरवी, के सम्बन्ध में है १ रुपये और २५ नये पैसे की जगह पर २ रुपये किया जा रहा है । मेरे कहने का मंशा यह है कि यह ऐसी चीजें हैं जिनसे गरीब का सीधा-सीधा सम्बन्ध है । उसके साथ-साथ आर्टिकिल ४२ में जहां हस्तांतरण की बात है, वहां भी ऐसी ही चीज है । आर्टिकिल ६२ में सी०, डी०, ई० तीनों में बढ़ोत्तरी की गयी है । सी० में १२ रुपये से १५ रुपये डी० में २४ रुपये से २५ रुपये और ई० में १२ रुपये से १५ रुपये करने की व्यवस्था है । कहने का मतलब यह है कि यह बढ़ोत्तरी क्रमिक रूप से हर अंग में है और वह सीधे-सीधे उन गरीबों पर पड़ती है ।

इसके अलावा बांड्स ऐंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा, उनमें जो बढ़ोत्तरी की गयी है वह भी नीचे के तबके वालों पर ही पड़ेगी । इसके माने यह हैं कि आज यह टैक्शेशन बिल बड़ी क्रूरता के साथ हमारे ऊपर लादा जा रहा है । इसमें इस बात का जरा भी ध्यान नहीं रखा गया है कि गरीबों को राहत मिले, बल्कि उनके लिये यह एक विशेष अत्याचार का कानून साबित होगा ।

इस स्टैम्प संशोधन विधेयक के उद्देश्य और कारण में केवल एक बात कही गयी है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के निमित्त राजस्व में और वृद्धि करने के उद्देश्य से बढ़ोत्तरी की जा रही है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जितनी भी तारीफ की जाय उतनी ही कम है । मैं इसकी तारीफ इस रूप में करना चाहता हूं कि यह योजना हमारे लिये एक अन्धकूप सी बन गयी है । उसमें चाहे हम अपनी सारी कमाई भर दें, सारा जीवन उसमें तोप दें तो भी यह अन्धकूप भरने वाला नहीं है । न इसका सिरा है न अन्त है । इसका दुष्परिणाम तो हम लोग समझ चुके हैं और अपनी पार्टी की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि इस पर से हम विश्वास खो चुके हैं । न केवल यह करप्शन फैलाती है, कोई हिसाब किताब ठीक नहीं है बल्कि इसमें जनता और राज्य की बरबादी ही दिखायी देती है । इसका किसी हालत में सदुपयोग नहीं दिखाई देता । लेकिन जब कभी इसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि इसके लिये अधिकाधिक रुपया चाहिये तो मालूम होता है कि हमें सोते से जगाने के बाद कहा जाता है कि पंचवर्षीय योजना है, वह तुम्हें बार-बार तंग करेगी और खुजलाहट पैदा करेगी । इस विधेयक के खंड २ में कहा गया है कि २.५० रुपये की जगह पर ३ रुपये बढ़ा दिये जायं । यह उन इन्स्ट्रूमेंट्स के बारे में है जिनमें एक से ज्यादा पार्टियां हो । इस प्रकार हम देखेंगे कि इसके प्रत्येक खंड में ज्यादा आमदनी करने के तरीके अख्तियार किये गये हैं बिला इसका ध्यान रखे हुये कि यह रुपया उन्हीं लोगों से वसूल हो जो दे सकते हों न कि उन लोगों से जो देने के योग्य न हों ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

मैंने ओरिजिनल स्टैम्प ड्यूटी ऐक्ट को पढ़ने की कोशिश की और मुकाबला करके देखा। मूल अधिनियम जो १८९९ में पास हुआ था उससे जब हम बढ़े हुये रेट्स का मुकाबला करते हैं तो पता लगता है कि यह बढ़ोत्तरी २०० फी सदी से ले कर ३०० फी सदी तक हुई है। एक नमूना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आप देखें कि यह बढ़ोत्तरी कितना हमें परेशान करने वाली है। आर्टिकिल १५ जो बांड्स के बारे में है उसमें पहले ही आइटम में जहां १८८९ में २ आने था वहां आज ४ आने हैं। ठीक यह क्रम इसी तरह से चलता जाता है और दुगना हो गया है। जहां पहले २ आने था वहां ४ आने, ८ आने की जगह एक रुपया और एक रुपया की जगह २ रुपया है और फिर आगे चलकर तिगुना हो जाता है। जहां आर्टीकिल १५ में लिखा हुआ है कि "Where it exceeds Rs. 100 but does not exceed Rs. 200." वहां पहले ३ रुपये था अब ९ रुपये हो गया है। जहां पहले ३ रुपये आठ आने था वहां १० रुपये ८ आने और जहां ४ रुपये था वहां १२ रुपये हैं। ठीक इसी प्रकार से कन्वीयेन्स में भी यही बात है कि :—

"Where the amount or value of the consideration for such conveyance as set forth therein does not exceed Rs. 50." वहां पर १८८९ में ८ आने था वह १ रुपया है और आगे चलकर तिगुना बढ़ जाता है। जहां है कि "Where it exceeds Rs. 600 but does not exceed Rs. 700." जहां पहले ७ रुपये था वहां २१ रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से सब जगह कर दिया गया है।

मैंने सब जगह देखा और यह पाया कि २०० फीसदी से लेकर ३०० फीसदी तक बढ़ा है। लेकिन हमें पता नहीं चलता कि सरकार ने लिटीगेंट्स के लिये क्या और सुविधायें प्रदान की हैं। केवल इतना ही कह सकता हूं कि कोर्ट्स में कमरे बढ़े हैं, मजिस्ट्रेट बढ़े हैं। लेकिन इमारतों तथा मजिस्ट्रेटों के बढ़ने से क्या न्याय सस्ता, सुलभ और आरामदायक हुआ है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या न्याय जल्दी और सस्ता मिलने लगा है? इसका मंत्री जी कहीं भी जवाब देने में समर्थ नहीं हैं। यह न्याय एक तरफ डिलेड हो रहा है और यह रस्मो रिवाज बन गया है और यह महंगा होता चला जा रहा है और न उसमें शान्ति है और न सुख। इससे हम समझते हैं कि सरकार जनता की राहत की बात नहीं चाहती है। सरकार एक ही चीज चाहती है कि रुपया कहां से आये। चाहे जनता पेट काटकर दे चाहे चोरी कर के दे, लेकिन रुपया आना चाहिये और गरीबों की थैली से आना चाहिये।

श्रीमान् जी, यह नीति बड़ी क्रूर है और लोगों की दशा बड़ी ही दयनीय है। इससे मन में रोष पैदा होता है और मालूम नहीं होता है कि इसके जीव है या नहीं या यह काठ की बनी हुई है। यह रुपया मांगती है, लेकिन जनता की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने की इसने कोशिश नहीं की है। हमारे मंत्री जी जस्टिस विभाग के मालिक हैं। क्या उन्होंने कभी यह देखने की कोशिश की है कि उनके विभाग में तरक्की हो रही है। वह यह कहकर टाल जायंगे कि यह चीज इसके अंतर्गत नहीं आती है। लेकिन वह एक ही मंत्री होने के नाते इसको भी देखें और जब वह पैसे के लिये प्रस्ताव रखें तो यह भी कहें कि हमने जस्टिस में सहूलियत पैदा कर दी है और न्याय इजी, सस्ता और जल्दी मिलने वाला बना दिया है। वह जवाब में दूसरे प्रांतों की फीगर्स पेश कर देंगे और कहेंगे कि यहां कम है। इससे न्याय का फैसला नहीं हो सकता है, बल्कि इसका फैसला तो कामन मैन के निर्णय से हुआ करता है। वह यह है कि जनता जनार्दन का यह खयाल है कि यह सरकार हमको दिनों दिन लड़ाती है, हममें द्वेष पैदा करती है और अदालतों में फांस कर भिखमंगा बनाती है। उन अदालतों में ऐसे कंकालों के चित्र बने हुए हैं, जो खाते पीते थे, समृद्ध थे लेकिन आज टुकड़े

टुकड़े को मुहताज हैं। आज न्याय हमको कंकाल बनाता है। उसके बाद भी अधिकाधिक टैक्स लगाने की कोशिश की जा रही है। तो यह क्रूर अवस्था है। यह सरकार अपने स्थान पर बैठी हुई अपने को मजबूत समझती है और मानती है कि हमारी इन स्पीचों से उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन वह समझ ले कि उसकी नींव नीचे से हिल रही है और आने वाले मौके पर जनता इसका जवाब देगी और फिर देगी।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो विधेयक यहां प्रस्तुत है मुझे दुख है कि मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, वित्त मंत्री जी ने अपनी तकरीर में यह बतलाया कि पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि कुछ टैक्स बढ़ाये जायं और कुछ रुपया पैदा किया जाय जिससे पंचवर्षीय योजनाएं ठीक तरह से चल सकें। मान्यवर, किसी भी टैक्स को बढ़ाने के लिए और सरकार की टैक्सेशन नीति क्या होगी इसके लिए कोई पैमाना है? पिछले बजट भाषण में यह साफ-साफ कहा गया था कि हम नये टैक्स नहीं लगाने जा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी बजट भाषण को फिर से पढ़ें, उसमें कहीं नहीं कहा गया कि टैक्स लगाये जायंगे।

दूसरे जो पंचवर्षीय योजनाओं की बात कही गयी, मान्यवर, यह आप जानते हैं कि प्लानिंग में भी प्रायरिटी होती है। चलाने वाले को यह भी देखना पड़ता है कि प्रिंसिपल आफ प्रायरिटी क्या हो। सरकार ने प्रिंसिपल आफ प्रायरिटी को ताक में रख दिया है और चाहती है कि किसी तरह से नागरिकों को भुलावे में डाल कर मनचाहा टैक्स लगाएं। माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि कितना रेवेन्यू इस स्टैम्प ड्यूटी से प्राप्त होगा और वह कितना इंडिविडअल्स और कितना कम्पनीज से प्राप्त होगा। इसका कोई तजकिरा नहीं किया गया है। उसके बाद जैसा मैंने कहा कोई पैमाना होना चाहिए। अगर बजट के बाद भी टैक्स लगाने की जरूरत पड़े तो उसके लिए तरीके हैं। उसके लिए सबसे बड़ा तरीका यह है कि एक टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी बैठानी चाहिए चाहे उसमें मंत्री जी सदारत करें। वह फैसला करें कि कहां-कहां टैक्स बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिए रुपये की आवश्यकता है लेकिन क्या वह रुपया उन गरीबों से लिया जायगा जिनको स्टाम्प लगाना पड़ता है। जिस समय स्टाम्प लगाने की बात होती है बहुत से लोगों के पास एक रुपया भी नहीं होता और वह मजबूर हो जाते हैं। ताज्जुब तो इस बात का है कि आपके ही द्वारा मान्यवर, यह घोषणा हुई कि अमुक विभाग की यह स्टैंडिंग कमेटी होगी, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि फाइनेंस जो रोज टैक्स लगाने जा रहा उसकी कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनायी गयी है। क्या मैं आपके द्वारा जान सकता हूं कि इसके क्या कारण हैं? उसका जवाब मैं खुद देता हूं। सरकार यह समझती है कि इस सदन के माननीय सदस्य अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी में होंगे तो ऐसे सुझाव देंगे जो पंचवर्षीय योजना को कार्यरूप में परिणत कर सकते ह, लेकिन ऐसे सुझाव नहीं देंगे जिसमें गरीब जनता पर टैक्स बढ़ाया जाय।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री प्रताप सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० स्टैम्प (संशोधन) विधेयक के विरोध में यह कह रहा था कि प्रत्येक विभाग की इसी माननीय सदन की एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब रूल्स में इसका प्राविजन है तो फिर क्या कारण है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाई गई? यह विभाग अपनी जगह एक अहमियत रखता है। उस विभाग के माननीय मन्त्री कई हेड्स में टैक्स बढ़ाते चले जाते हैं। मेरा कहना यह है कि किसी चीज का कोई आधार होता है। अगर हमारे पास फाइनेंस विभाग की स्टैंडिंग कमेटी होती तो उसकी रिपोर्ट पर सरकार गौर करती या नहीं, लेकिन वह यहां पर यह कह सकती थी कि फाइनेंस कमेटी ने

[श्री प्रतापसिंह]

यह सुझाव दिया है इसलिये यह टैक्स लगाने का प्रस्ताव यहां पर हम लाये हैं। इसलिये मेरी मांग है कि इस विभाग की एक कमेटी इस सदन की बनाई जाय। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि जो अभी स्टैंडिंग कमेटी विभागों की बनती रही है उनको भविष्य के लिये समाप्त किया जा रहा है। मैं इसको उचित नहीं समझता हूं। यह विधेयक जो सामने रखा गया है उसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने यह कहा है कि पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये यह टैक्स लगाया जा रहा है। मान्यवर, हमारे रिसोर्सेज क्या रेवन्यू के होंगे इस बात के ऊपर विचार करने के लिये कमेटी की आवश्यकता है। इसलिये एक रिसोर्सेज कमेटी बनाई जाय जो इस तरह की सब चीजों की छानबीन करे। माननीय मन्त्री जी को इस तरह की कमेटी बनानी चाहिये।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम कभी कोई सुझाव दें तो माननीय मन्त्री जी को यह नहीं सोचना चाहिये कि यह सुझाव विरोधीदल की तरफ से आया है। उसको नहीं माना जायगा। सरकार इन सब चीजों के लिये उत्तरदायित्व रखती है। इसलिये सरकार को सोच समझकर इस पालिसी को साफ करना चाहिये। सरकार को भी इसी प्रदेश में रहना है और हमको भी इसी प्रदेश में रहना है। इसलिये मेरी यह मांग है कि एक रिर्सोसेज कमेटी बननी चाहिये जो कि हमको बताये की किन-किन टैक्सेज को हमारे यहां लगाया जा सकता है।

मान्यवर, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि प्रजातन्त्र जहां पर है तो उस प्रजातंत्र को चलाने के लिये मैं यह मानता हूं कि जो वहां पर कानून बनाया जाता है, जो नियम बनाये जाते हैं उनका जनता आदर करे। मैं जानता हूं कि ला एन्ड आर्डर का आदर होगा तो डेमोक्रेसी चलेगी। जब ला एन्ड आर्डर का आदर होगा तो उसके लिये लेजिस्लेशन की जरूरत होगी और नये-नये कानून बनेंगे। जब कानून बनेंगे तो जनता अपने राइट्स को प्राप्त करने के लिये अदालत में जायगी और जब अदालत में जायगी तो उसके लिये स्टैम्प की जरूरत होगी। उसका प्रभाव जाकर गरीब आदमी पर ही पड़ेगा। मान्यवर, मैं निवेदन करता हूं कि जो धनी लोग हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे इस बिल के ऊपर किसी एक्सपर्ट की राय ली जाय इस प्रदेश में फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जो एक्सपर्ट होंगे उनकी राय ली जाय। इस पर विचार करने के लिये एक कमेटी हो, किन्तु माननीय मन्त्री जी इस इस बात से डरते हैं कि फाइनेंस विभाग की कोई कमेटी हो। उत्तर प्रदेश में कोई टैक्सेशन इक्न्वायरी कमेटी नहीं है। कोई चीज अपने मन से नहीं चलती है। इस लिये मैं चाहता हूं कि इस तरह से भविष्य में न हो। सरकार हर चीज को साफ-साफ यहां पर कहे। इस समय मौका नहीं है, लेकिन बजट में टैक्स की बात के लिये यह मत प्रकट किया गया है कि टैक्स न लगाया जाय। इस जगह पर मैं उसका जिक्र करना उचित नहीं समझता हूं लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बजट स्पीच को किस लाइन से उन्होंने इजाजत चाही है कि जब तबियत आयेगी तब टैक्स लगायेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि वेलफेयर स्टेट की सरकार जनता को ऐसी गाय समझती है कि जिसको जब चाहे दुह लो। गाय भी सुबह शाम दूध देती है। इस बिल के पहले मोटर वेहिकिल्स बिल ला कर आप टैक्स बढ़ा चुके हैं, आज यह दूसरा है। १८९९ में यह ऐक्ट बना और उसके बाद १९३६ में इसमें संशोधन हुआ, ठीक है। यहां यह द्वितीय संशोधन अवश्य हो सकता है लेकिन यह छठवां संशोधन है और यह हेस्टी लेजिस्लेशन का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक छोटा सा विधेयक और इसमें छठवां संशोधन पेश किया जा रहा है। क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट की शान कम हो जायगी अगर इसमें हम लोगों की और एक्सपर्ट्स की राय ली जाय। मैं तो समझता हूं कि इसमें सदन की और आपकी मर्यादा और मान बढ़ेगी। हां, जहां मेजारिटी हो वहां हाथ उठवा कर हमारे सारे सुझाव खत्म किये जा सकते हैं, लेकिन वह आज खत्म हो सकते हैं, सदा नहीं। किसी विद्वान ने कहा है कि हम सरकार के लिये नहीं, गैलरीज में

जो जनता है, उसके लिये बोलते हैं। जो सही सुझाव हैं उनको हम देना चाहते हैं, केवल कहने वाले सुझाव नहीं देना चाहते।

मैं जानता हूं कि पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये उनको वेन्यू चाहिये लेकिन १९४७ से लेकर आज तक क्या जनता की पेइंग कैपेसिटी बढ़ गयी है? तमाम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं कि वह घट रही है दिन पर दिन, तो जनता कहां से लायेगी? आज इन टैक्सों के द्वारा जनता का खून चूसा जा रहा है। जब हमारी पेइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है तो इस प्रकार के टैक्स लाने की क्या जरुरत है? मैं मानता हूं कि पंचवर्षीय योजना को चलाना है, लेकिन इसके लिये प्रायरिटी फिक्स होनी चाहिये। बड़े-बड़े लोगों, आमदनी वालों तथा फार्म वालों पर टैक्स लगाइये, हम आपका साथ देगें। सोशलिस्टिक पैटर्न की सोसाइटी कायम करने में हम आपका साथ देंगे, लेकिन उसके लिये प्रायरिटी फिक्स की जाय। गरीब किसानों पर टैक्स लगाने से नहीं, बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर टैक्स लगाने से फायदा होगा। इसके अलावा अपनी प्रापर्टी गरीब ही बेचेगा, रईस नहीं। जिसके पास खाने को नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, बच्चों के लिये पैसा नहीं, वह अपनी जायदाद बेचेगा और जो रुपये वाला है वह यह स्टैम्प नहीं लगायेगा। यह उसूल है पूंजीपतियों का कि गरीब से कहा जाता है कि इसमें ड्यटी बढ़ गयी लिहाजा तुम इसे भी भर दो। मैं चाहता हूं कि ऐसे संशोधन जब आयें तो उन पर काफी विचार किया जाय। हमारे सदन की एक मर्यादा है और उसमें सबसे बड़ी चीज है हमारे नियम। नियमों में १६१ नम्बर में साफ लिखा है कि इस मुहकमे की एक कमेटी होनी चाहिये। इसमें सरकार की तरफ से जांच होनी चाहिये और हमारा यह एतराज है कि यह क्यों नहीं बनी? इसके लिये हम माननीय मंत्री जी तथा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं कि इस को क्यों नहीं बनाया गया? यह प्रदेश की सरकार का एक बड़ा महकमा है और हम जानते हैं कि रुपया लाने में हमको दिक्कत पड़ती है। हमको विदेशों में जाना पड़ता है। अभी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का जिक्र हुआ, उसके लिये विदेशों से रुपया लिया गया। आखिर हम कब तक ूसरों का मुंह ताकेंगे? कब तक टैक्सों के रूप में जनता का खून चूसेंगे? जरूरत इस बात की है कि पंचवर्षीय योजना कामयाब हो, जनता को आराम मिले। इसके लिये हमें अपने देखने का चश्मा बदलना होगा, दूसरे दृष्टिकोण से से देखना होगा। आज जो हमें कहना पड़ रहा है कल को वही सरकार करेगी। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर फिर गौर करें और इस बिल को वापस लें और जनता से पूछें कि हम स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाना चाहते हैं। सरकार कई बार कहती है कि वह गरीब को ऊपर उठाना चाहती है, लेकिन जब उस गरीब जनता की पेइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी है तो मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि उसे दबाया जा रहा है और जो थोड़ी सी रोजी वह कमा सक रही है वह भी नहीं कमा सकेगी और देहात के गरीब लोगों पर इसका भार पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने टैक्सेशन कमेटी क्यों नहीं बनाई और रिसोंसेज और फाइनेंस कमेटी क्यों नहीं बनाई? मैं चाहता हूं कि इन बातों का मंत्री जी उत्तर दें और अपनी टैक्सेशन की पालिसी बतलावें।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस विधेयक के लिये ४ घंटे हैं। इस लिहाज से मैं ४ बजे तक इस पर वादविवाद की इजाजत दूंगा, उसके बाद खंडों पर विचार होगा। इसलिये माननीय सदस्य संक्षेप में भाषण करने का और वही बातें बार-बार न दोहराने का ध्यान रखें।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में और प्रवर समिति के प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं। इसे प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि इस टैक्स का बोझ गरीबों पर पड़ रहा है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि इसमें लिया जानेवाला पैसा गरीबों से ही लिया जायगा और पूंजीपतियों से नहीं लिया जायगा। मैं तो यह समझता हूं कि स्टैम्प की जरूरत उसे पड़ती है जो जायदाद खरीदना या बेचना चाहता है या अदालत में किसी काम के लिये जाता है। पैसेवाला ही अदालत में जाता है और जायदादों को खरीदता और बेचता है।

[श्री मुरलीधर कुरील]

वैलुएशन के हिसाब से टैक्स पड़ेगा। वह जयादा पैसेवालों से ही आवेगा। ऐसे बहुत कम गरीब होंगे जिन्हें रोज कचहरी में जाना पड़ता हो। यह लम्बी चौड़ी जायदादें खरीदने वालों से ही लिया जाने वाला है। गांव में अधिकतर किसान और मजदूर ही रहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में आपने देखा होगा कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये, रोजगार देने के लिये, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये सरकार कोशिश करती है। उनके यहां भी मैं समझता हूं कि ब्लाक खुल गये होंगे और उनके द्वारा छोटे-मोटे उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिये, खेती की उन्नति में अधिक अन्न उपजाने के लिये बैलों, बीज और अच्छी खाद की तकावी देने के लिये और गांव के पुनरुत्थान के लिये पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं। इस बिल का सारा का सारा भार गरीबों पर पड़ रहा है और उनके लिये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, ऐसी बात नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब वह यह बतावें कि इस बिल में ये चीजें नहीं आईं तो यह भी बतला दिया करें कि गरीबों के लिये उनके क्षेत्र में क्या-क्या कार्य सरकार की ओर से हो रहे हैं, उन्हें भी गिना दिया करें। इससे कुछ तो सन्तोष हो जायगा कि उन्हें कुछ जानकारी है। हर चीज पर परदा डालना सही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--'परदा डालना' शब्द उचित नहीं है। इन्हें आप वापस लें।

श्री मुरलीधर कुरील--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वापस लेता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री गोविन्द सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, हमारे पहले वक्ता श्री कुरील जी ने कहा है कि इस टैक्स का बोझ गरीबों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह कचहरी में नहीं जाता है और न उसे बेचना और खरीदना पड़ता है। जहां तक खरीदने का सवाल है वह कह सकते हैं कि गरीब नहीं बल्कि अमीर ही खरीदता है लेकिन बेचना और कचहरी में जाना तो आजकल गरीब की तकदीर में ही लिखा गया है और उसमें ज्यादातर हिस्सा ऐसे सदस्यों का ही है जो इस तरह की चीज उन पर लादते हैं। आज कचहरियों में न्याय इतना मंहगा हो गया है कि गरीब किसी तरह से भी उसे पाने का मुस्तहक नहीं रह गया है और दिल मसोस कर अपने घर में बैठ जाता है। आज टैक्स बढ़ाकर उसे और महंगा किया जा रहा है। शादी विवाह के लिये, तन के कपड़े के लिये और अपनी मां-बहनों की इज्जत के लिये गरीब को सब कुछ करना पड़ता है, अपनी जायदाद बेचनी पड़ती है तो यह टैक्स भी उन्हीं पर लादा जा रहा है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जो उद्देश्य इस बिल में दिखाये हैं वे ऐसे नहीं है कि स्टैम्प पर ही लादे जावें। पंचवर्षीय योजना के लिये रुपया दूसरे तरीकों से भी लिया जा सकता है। अभी हमें परसों जवाब मिला है कि १३ लाख रुपया गेंदा खेलने के लिये, नाचघर बनाने के लिये खर्च हो रहा है, बारह लाख रुपया अजायबघर बनाने में खर्च हो रहा है। यह फिजूलखर्ची रोक कर भी पूरा हो सकता है।

दूसरी तरफ यह भी देखने योग्य है कि योजना किस तरह चल रही है। इसी सदन में हमें सवालों का जवाब मिला है कि दारुलशफा के कक्ष में एक स्कूल मैदान में सड़क पर चल रहा है जहां--८ बरस से कोई स्कूल भवन नहीं है। आदरणीय मंत्री जी का यह जवाब एक सोचने की चीज है कि यह योजना कहां जा रही है और उसके लिये रुपया किस तरह गरीबों का खून चूस-चूस कर लिया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों से पूछूंगा कि यह कहां तक उचित है? अभी-अभी माननीय कुरील जी ने कहा कि विकास योजनाओं पर खर्चा हो रहा है। विकास योजनाओं पर जिस प्रकार से रुपया बहाया जा रहा है क्या वह गरीबों तक पहुंच रही है। मुश्किल से दो प्रतिशत पया जो घुलने मिलने वाले लोग हैं उनको मिल जाता है और लाखों पया तनख्वाह और पेट्रोल पर खर्च हो जाता है। क्या इससे गरीबों की मदद हो रही है? मैं कहूंगा कि इस पया का ज्यादा हिस्सा फिजूल खर्ची में जाता है।

अभी इस योजना के तहत खरीफ अभियान चलाया गया। बीज में जो गल्ला बांटा गया, उससे किसानों की कमर तोड़ दी गयी और फिर उन्हीं पर इस तरह से टैक्स बढ़ाया जा रहा है ? यह उचित नहीं है। इसको लेने के बहुत से दूसरे तरीके हो सकते थे। प्रताप सिंह जी ने बताया कि मंत्री जी ने इसके लिये कोई कमेटी नहीं बनायी है अगर आप रास्ते निकालते तो बहुत से तरीके उसके निकाल सकते थे। मंत्री जी को यह मालूम करना चाहिये था कि उनको पैसा कहां से मिलना चाहिये। एक तरफ तो काफी नाजायज़ तरीके से पैसा बरबाद किया जाता है और उसकी पूर्ति के लिये नाजायज तरीके से गरीबों पर टैक्स लगाया जाता है। एक तरफ तो आदरणीय सदन से कहा जाता है कि पैसे की कमी है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योजनाओं के नाम पर नाजायज़ तौर पर पैसा खर्च किया जा रहा है। आमदनी को बढ़ाने के लिये सरकार पूंजीपतियों पर टैक्स क्यों नहीं लगाती ? उनको तो सरकार कर्जे देती है और लाखों पया सैस का उनके ऊपर बकाया रखती है। यह देख कर हमारी तो अक्ल हैरान है कि यही सरकार कहती है कि वह सोशलिस्टिक पैटर्न को मानने वाली सरकार है। यह सरासर अन्याय की बात है। इस पर सरकार को ठंडे दिल से विचार करना चाहिए और माननीय गोविन्द सिंह जी के प्रस्ताव को मंजूर कर लेना चाहिये और उसके बाद जो उसकी सही रूप रेखा सामने आये उस पर अमल करना चाहिये।

श्री मदनमोहन वर्मा (जिला फैजाबाद)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रताप सिंह जी ने इस सदन के समक्ष जो विचार रखे वह कदाचित् अधिक उपयुक्त कोर्ट फीस ऐक्ट के सम्बन्ध में होते हैं। आपने बार-बार यह कहा है कि गरीब आदमी जायदाद बेचेगा, उसके ऊपर ही टैक्स का भार पड़ेगा, इसलिये उसके ऊपर यह महान् अत्याचार है। शायद माननीय प्रताप सिंह जी ने धारा २८ स्टैम्प ऐक्ट को देखने का कष्ट नहीं किया है। उसमें जहां बिक्री के सम्बन्ध में व्यवस्था है वहां पर टैक्स खरीदार के ऊपर पड़ता है न कि बेचने वाले पर, तो अगर यह बात है तो फिर आपका वक्तृता जो इतने जोश के साथ हुई है वह अप्रासंगिक प्रतीत होती है।

अब दूसरा सवाल यह है कि आपने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ योजनाओं के सम्बन्ध में कहा। मेरा अपने मित्रों से बहुत नम्र निवेदन है कि पंचवर्षीय योजनाओं के सम्बन्ध में जब बहस प्रस्तुत हो तो यह कहना संगत होगा कि पंचवर्षीय योजना में या अन्य योजनाओं में क्या-क्या धांधली होती है, प्रस्तुत विषय का उस बहस से कोई सम्बन्ध नहीं है। पंचवर्षीय योजना या कोई भी योजना अपने देश के लिये बनानी चाहिये, इसके वि द्ध मेरा विश्वास है कि कोई भी इस सदन का माननीय सदस्य न होगा। योजना तो हमें बनानी ही पड़ेगी। यह दूसरी बात है कि योजना का संचालन जो हो रहा है, उसमें गड़बड़ी होती है। अगर योजना के संचालन में गड़बड़ी होती है, तो इस सम्मानित सदन के सदस्यों से मैं पूछूंगा कि क्या उनकी जिम्मेदा ी हमारे और आपके ऊपर नहीं है ? क्या यह सत्य नहीं है कि जो योजनायें इस सदन के या गवर्नमेंट के द्वारा बनती हैं और जो विविध प्रकार की धांधली उनके कार्यालय में होती है, क्या उसका उत्तरदायित्व हमारे साथियों और हमारे भाई-बन्धुओं जो इस सदन के बाहर हैं, उनके ऊपर नहीं है ? क्या हमारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो अपने क्षेत्र में धांधली को देख कर, उसको रोकने का प्रयत्न नहीं करते ? क्या हमारे ऊपर उत्तरदायित्व नहीं है कि हम अपने क्षेत्र में घूम कर अपने साथियों के ऊपर यह प्रभाव डालें और यह यत्न करें कि वे योजनाओं को सफल बनाने के लिये उपयुक्त रीति से उनका संचालन करावें ? अस्तु, योजनाओं के सम्बन्ध में यहां पर एक बहस उपस्थित कर देना मैं समझता हूं गलत है। हमें तो इस विधेयक को देखना है। इस विधेयक में जहां तक मैं समझ सका हूं, श्रीमन्, मेरे मित्र जो यहां हैं वे, यदि मैं गलत हूं तो मुझे सही बात बतलाने की कृपा करेंगे, मेरी गलती ठीक कर देंगे— मेरे ख्याल से इस विधेयक के खंड ६ के उपखंड (२) को छोड़ कर और कोई भी खंड ऐसा नहीं है जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाय कि गरीब जनता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। खंड ६ के उपखंड (२) में बांड के सम्बन्ध में

[श्री मदन मोहन वर्मा]

यहां पर प्राविधान किया गया है। इसमें जो व्यक्ति कर्जा लेगा उसके ऊपर भार आ जायगा स्टैम्प ड्यूटी को अदा करने का। श्रीमन्, जहां तक मैं समझा हूं, स्टैम्प ऐक्ट की स्कीम (Scheme) यही है, और धारा २८ का यह मंशा है, कि जो भी एक दस्तावेज के द्वारा लाभ उठावे, उसको सरकारी कर कुछ देना चाहिये। अगर कोई व्यक्ति कर्जा लेता है और कर्जा लेकर कोई दस्तावेज लिखता है तो वस्तुतः कर्जा लेने वाला उस समय लाभान्वित होता है। अतः उसके ऊपर यह बार डाला गया है कि वह जो लाभ उठा रहा है उसमें से कुछ कर सरकार को दे।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसके सम्बन्ध में, ज्यादा से ज्यादा हमारे माननीय मित्र प्रताप सिंह जो कह सकते थे वह यह था कि खंड ६ के उपखंड (२) से गरीबों के ऊपर एक बार जरूर पड़ रहा है। लेकिन उसका आधार भूत सिद्धान्त ध्यान में रखने योग्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जितना एक दस्तावेज के द्वारा लाभान्वित हो, उतना वह कर दे। तो अब प्रश्न सिर्फ यह रह जाता है, जिसके ऊपर हमारे माननीय मित्र कुछ कह सकते हैं वह यह है कि आया इस विधेयक में जो कर बढ़ाया गया है, वह इतना अत्यधिक है, कि उसके कारण गरीबों के ऊपर एक बहुत बड़ा भार पड़ेगा। अगर इस सम्बन्ध में कुछ कहते तो मैं उस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करता। वर्तमान स्थिति में, श्रीमन् सिर्फ खंड ६ (२) आक्षेप-जनक हो सकता है, और शेष जितने खंड या जितने इस विधेयक के उपबन्ध हैं सब में यह प्रयत्न किया गया है कि बार स्टैम्प का उसके ऊपर डाला जाय जो दे सकता हो। मेमोरेंडम आफ एसोशियेशन, कम्पनी, रिलीज सरेंडर ये जितनी बातें हैं इन सब में आप देखेंगे कि जो जायदाद से लाभान्वित हो रहे हैं उनके ऊपर ही कर डाला गया है और अगर वे लाभान्वित हो रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि उनके ऊपर कर लगाना अनुचित नहीं है। फिर यह बात नहीं बतलाई जाती कि कितना अधिक हो गया है जिससे आपको परेशानी है।

जो अन्त में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा वह यह कि आर्टिकल ६४, खंड १७ में, ट्रस्ट्स पर कर की वृद्धि हुई है। मेरा ऐसा ख्याल था कि जहां पर ट्रस्ट क्रियेट होता है, उसमें एक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को छोड़ता है, विमुक्त होता है, और अपनी संपत्ति को जनहित के एक खास काम के लिये लगा देता है। तो उस हालत में ट्रस्ट को नहीं छूना चाहिये था। ट्रस्ट के ऊपर जो कर वृद्धि हो रही है वह कम से कम मुझे अपील नहीं करती है। इस वजह से मेरा निवेदन है कि इसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय विचार करें और अन्य जितने खंड हैं उनमें कोई ऐसी बात प्रतीत नहीं होती जिसमें कि इतने लम्बे चौड़े और इतने सख्त एतराजात हों जितने कि मेरे मित्र प्रताप सिंह जी ने उपस्थित किये हैं।

*श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ही साल के अन्दर स्टैम्प ऐक्ट के ऊपर दो बार तरमीम की गयी है। कहा यह जाता है जैसा कि मेरे लायक दोस्त ने भी फरमाया कि इससे गरीबों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती है। इस बिल का उद्देश्य यह बतलाया गया है कि फाइव ईयर प्लान में रुपये की कमी है, उसको पूरा करने के लिये यह लाया गया है। माननीय मंत्री जी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि लगभग १० लाख रुपये का इसमें इजाफा होगा। मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि इस वक्त गवर्नमेंट को कुल कितनी आमदनी स्टैम्प ड्यूटी से है, लेकिन यह बात परदा राज में है। मंत्री जी का एक कयास मात्र है कि इससे १० लाख का मुनाफा होगा। जहां तक सेकेंड फाइव ईयर प्लान का सवाल है, जिसमें कि बहुत जबरदस्त रुपये का खर्च है, मैं नहीं समझता कि इस जरा से टैक्स से उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। यह दलील मुझे बड़ी कमजोर मालूम होती है कि चूंकि रुपये की फाइव ईयर प्लान में कमी है, इसलिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम स्टैम्प डयटी बढ़ायेंगे। स्टैम्प ड्यूटी तो उस वक्त बढ़ानी चाहिये जिस वक्त कि जो ऐग्जिस्टिंग रेट्स हैं, जो ड्यूटी ली जा रही है, वह अगर किसी सूरत में कम हो। यह दलील तो सरकार की ऐसी कमजोर है कि जैसे आज एक आदमी को रुपये की आवश्यकता है तो डाका डाल ले, लूट ले। और यहां तो गवर्नमेंट की बात है वह कानून के जरिये से वसूल करे। जब बिल आते हैं तो कहते हैं कि फलां स्टेट्स से हमारी इन्कम कम है इसलिये हम संशोधन करना चाहते हैं, लेकिन इस बिल पर जब नजर डालते हैं, इसके उद्देश्य को देखते हैं तो कहीं यह जिक्र नहीं है कि इस चीज के लिये किसी दूसरी स्टेट से अपने को कम्पेयर किया है। जहां तक मेरी जानकारी है उसकी बिना पर यह कह सकता हूं कि इस स्टेट में स्टैम्प ड्यूटी दूसरी स्टेट्स से चाहे वह बंगाल हो, या बिहार हो, इस वक्त भी ज्यादा है और इसके लगाने से और भी ज्यादा बढ़ती है।

अब मैं यह अर्ज करता हूं कि जहां तक इसका वास्ता है हम कहते हैं कि हमारी वेलफेयर स्टेट है। हम चाहते हैं कि जनता सुखी हो, लोग अच्छी तरह से रहें। इस जमाने में हम सेकेंड फाइव ईयर प्लान को कामयाब बनाने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि आज १ सेर १० छटांक का गेहूं बिक रहा है जब कि इसके लिये बड़े-बड़े ऐश्योरेंस दिये गये, आन्दोलन भी हुआ। आज खाने की कमी है, पहनने की कमी है। हमारी एक प्लान खत्म हो गई, दूसरी भी खत्म होने जा रही है, तीसरी की तैयारी है, हम यह देखें कि इस दौर में हम कहां पहुंचे। इससे पहले हमने नहीं सोचा कि हमें फाइव ईयर प्लान में रुपया सर्फ करना है। उस वक्त यह कह दिया गया कि हमारी मंशा यह कतई नहीं है कि हम टैक्स बढ़ा दें, हम तो केवल सिक्के बदल जाने के कारण ऐसा कर रहे हैं जिससे नये सिक्कों में टैक्स लिया जाय। इसलिये यह अमेंडमेंट ला रहे हैं, लेकिन आज अमेंडमेंट इसलिये आया है कि हम ड्यूटी में इजाफा करें ताकि फ़ाइव ईयर प्लान का तकमिला हो सके। मैं कहता हूं कि इस सूरत से तो फाइव ईयर प्लान कामयाब नहीं होगी। आपने सेक्शन ६ के बारे में फरमाया जिसका बांड्स या दस्तावेज से ताल्लुक है। तो वहां पर भी गरीब पर ही असर पड़ता है। मैं आज पूछता हूं कि आज स्टैम्प ऐक्ट में कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आज इजाफा नहीं हो रहा है? दस्तावेज में आज दस्तूर है महाजनों का कि जब कोई आदमी कर्जा लेने जाता है तो १०० रुपये की बजाय १५० रुपये लिखा लेते हैं। वह कहते हैं कि जब अदालत खफीफा में मुकदमा चलता है तो बड़ी दिक्कत पड़ती है, जितना सूद हम चाहते हैं नहीं मिल पाता उतना, कहीं पर किश्तें हो जाती हैं। तो जरूरी है कि हम अपने रुपये को महफ़ूज करने के लिये १०० रुपये की बजाय १५० रुपये लिखा लें। तो खुद दस्तावेज भी खरीदना पड़ता है और तहरीर भी देनी पड़ती है, चाहे आप ट्रांसफर डीड को ले लें, रेहननामे को ले लें। मैंने दफा २८ को पढ़ा है उसमें जो सहूलियत है वह गरीब के लिये नहीं है। इसलिये कि जब जरूरत होती है तो इन्सान सब कुछ करता है और कहता है कि हमारी चीज बजाय १,००० रुपये के चाहे ८०० रुपये में ले लें और गरज में वह बोझ उसी कमजोर पर ही पड़ता है जो कमजोर है, पीड़ित है।

मैं पूछता हूं अभी हाल में जब शुक्ल जी की जमानत के लिये माननीय गेंदा सिंह जी और सुरथ बहादुर शाह जी गये तो कहा गया कि इस पर हलफनामे की जरूरत है, उस पर ३ रुपया ८ आने का टिकट लगाइये। तो मैं पूछता हूं कि इस दौर में जब खाना नहीं है इन्सान के पास, इन्साफ की बहुत कमी है, आदमी गरीब है, टिकट लगाने को पैसे नहीं है, तो आपको मालूम हो जिस वक्त १५ आने के बजाय १ रुपया किया गया तो उस वक्त १ आना से भी परेशानी हुई। एक मिसाल है कि जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो दो पैसे में भी ऊंट भारी दिखाई देता है और पैसे वाला आदमी एक करोड़ में भी ऊंट खरीद लेता है। तो उस गरीब के लिये दो पैसे भी बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसी सूरत में यह टैक्स गरीब पर पड़ता है, और पड़ेगा आप बचा नहीं सकते। आपकी आय तो उससे थोड़ी ही बढ़ेगी, जैसा आप कहते हैं शायद वह दस लाख भी न बढ़े लेकिन यह पैसा अमीर से नहीं आयेगा बल्कि यह गरीब से ही आयेगा। उससे मिलेगा जो महाजन से मांग कर लायेगा, जो बीबी का जेवर गिरों रख कर लायेगा। मुझे

[श्री शिवराज बहादुर]

वकील होने के नाते मालूम है और मैंने लोगों को बिलखते हुये और परेशान होते हुये देखा है बाज औकात तो हम लोगों को अपने पास से यह स्टैम्प तक का पैसा देना होता है। इस तरह से गरीब पर ही यह परेशानी लायेगा और गवर्नमेंट का भी उससे खास लाभ न होगा और पब्लिक को बहुत परेशानी हो जायगी और इससे कोई खास मदद पंचवर्षीय योजना में न मिल सकेगी, बल्कि ऐसा वातावरण पैदा होगा जिससे लिटीगेशन में गरीबों को और दिक्कत होगी। अगर आप देखें तो कोई भी शोबा ऐसा न रहेगा कि जो टैक्स से बचा हो। इसलिये मैं मंत्री जी से, अधिक न कह कर अपील करूंगा कि वह इस मासूम बिल को जिससे बहुत ज्यादा जनता का नुकसान है वापस ले लें, क्योंकि हम समझते हैं कि इससे आगे चल कर और ज्यादा दिक्कतें आयेंगी। इसकी तलाफी वह अगर किसी और तरह से कर सकें तो अच्छा है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गोविन्द सिंह जी विष्ट तथा माननीय मोतीलाल जी ने जो संशोधन पेश किये हैं मैं उनके विरोध में खड़ा हुआ हूं। श्री गोविन्द सिंह जी का संशोधन है कि इस बिल को जनमत के लिये जनता में घुमाया जाय। मैं अर्ज करूंगा कि हम लोग जो इस तरफ या उस तरफ के बैठने वाले हैं वह भी तो पब्लिक ओपीनियन का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर इसको जनमत के लिये घुमाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अगर कोई महत्व का सवाल होता तो यह सोचा भी जा सकता था कि इसको पब्लिक की राय के लिये भेज दिया जाय। लेकिन इस छोटे से बिल को जनता में घुमाना केवल समय को बरबाद करना होगा। उसके बाद माननीय अवस्थी जी ने इसे प्रवर समिति में भेजने का संशोधन दिया है। हम समझते हैं कि इतने छोटे से बिल को तो भाषणों और बहस के द्वारा यहीं पर ठीक किया जा सकता है और प्रवर समिति में भेज कर अधिक समय लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बिल को जरा देर से पेश किया, इसको तो सदन में पहले ही आ जाना चाहिये था। सन् १९५२ में अंतिम बार इसका संशोधन हुआ था और तब से अब तक प्राइस लेविल में काफी फर्क आ चुका है और उसके हिसाब से आज की स्टैम्प ड्यूटी बहुत कम थी। मुझे बहुत खुशी है कि मंत्री जी ने इस बिल के द्वारा उस कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया है। दलीलें दी गईं कि पहले के मुकाबले में इससे कास्ट आफ लिटिगेशन बढ़ जायगा। मैं अर्ज करूंगा कि स्टैम्प और लिटिगेशन से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। खयाल यह भी जाहिर किया गया है कि गरीब ही कर्ज लेता है, यह बात सही नहीं है, हमारा देश केवल कृषि देश ही नहीं है बल्कि यहां तमाम तरह का बिजनेस और लेनदेन वगैरह भी होता है, चीजों की तमाम बेच खरीद होती है और इस बिल के दायरे में अमीर-गरीब के हर तरह के ट्रान्जेक्शन्स आ जाते हैं। अवस्थी जी की दलील से तो और भी इस बात की पुष्टि हो गई कि इस बिल के प्राविजन्स बहुत सीधे हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकिल १५ में १८९९ ऐक्ट में जहां २ आना था वहां अब २५ नये पैसे हो गया है, १८९९ से आज तक ५९ साल में अगर वृद्धि होती है तो वह केवल ८ पैसे की होती है यानी २ आने के बजाय ४ आने हो गये हैं तो १८९९ के मुकाबले में १९५८ में क्या आमदनी में वृद्धि इतनी ही हुई? सवाल यह है कि इसमें क्या गरीब का खयाल नहीं रखा गया है? गरीब का खयाल रखा गया है और यह रखा गया है कि ५० रुपये तक २५ नये पैसे ही रहेगा जैसा कि १९५२ के ऐक्ट में है। उसमें कोई फर्क नहीं है। गरीब लोगों को फसल के लिए, बीज के लिए या और किसी चीज के लिए अगर पये की जरूरत हो तो ५० पये तक कोई वृद्धि नहीं हुई है। ५० रुपये की रकम कुछ कम है, अगर वित्त मंत्री रख सकें तो २५० पये तक रख सकते हैं कि कोई वृद्धि न हो, लेकिन उसके आगे यह कहना कि गरीबों पर बार पड़ेगा, उचित नहीं मालूम पड़ता। क्योंकि मरकेंटाइल ट्रांजेक्शंस में इस तरह के लेन-देन का काम रोज पड़ता रहता है।

कहा गया कि कास्ट आफ लिटिगेशन इससे बढ़ जायगा, वहां वह यह भूल जाते हैं कि गांव पंचायतों को अख्तियार दिया गया है कि ५०० पये तक के दावों का फैसला करें

जिस पर कोई कोर्ट फीस नहीं पड़ेगी। इससे तो और भी बार हलका पड़ेगा। गरीब के नाम पर इन सीजन और आउट आफ सीजन कहना उचित नहीं है। इतनी बड़ी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि १० लाख पये से क्या होगा, मैं समझता हूं कि इस मुल्क का निर्माण होना है, यहां पर जितने माननीय सदस्य बैठे हैं सब इस बात में सहमत होंगे कि हमको हर तरह से मुल्क के निर्माण के काम को आगे बढ़ाना है और वह काम पैसे की कमी की वजह से नहीं केगा। आज हमको, गवर्नमेंट को, हर एक सोर्स को टैप करना पड़ेगा, चाहे १० लाख का हो, २० लाख का हो या ५० लाख का हो या १० लाख से कम का हो। इसमें तो टैक्स का बार उन लोगों पर पड़ता है जो देने के काबिल हैं।

इसके अतिरिक्त आज कास्ट आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन इतना बढ़ गया है कि इस स्टैम्प ड्यूटी से जितनी आमदनी होनी चाहिये थी नहीं होती। ऐडमिनिस्ट्रेशन कास्ट ज्यादा होने की वजह से बचत नहीं हो पाती है, इसलिए जरूरी है कि निर्माण-कार्य में खर्चा करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी बढ़ावें और इस तरीके से बढ़ावें कि वह गरीब के ऊपर कम से कम पड़े। इन अल्फाज के साथ मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को विदाउट फर्दर डिस्कशन पास करें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस संशोधन का समर्थन कर रहा हूं जिसमें यह कहा गया है कि इस बिल को एक प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय, वह इस पर विचार करके रिपोर्ट दे।

श्रीमन्, इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में यह बताया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये धन प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री इस बिल को सदन के सामने पेश किया है। मैं समझता था कि हमारे नये वित्त मंत्री ने इस विभाग को सम्भाला है, तो वह ऐसा कदम उठाते कि विभिन्न विभागों में जो कुव्यवस्था फैली हुई है, फिजूल खर्ची हो रही है, मनमाने ढंग पर गबन हो रहे हैं, उसको रोका जाय और उससे रुपये की बचत होती, लेकिन आपने तोहफा पेश किया हमारे प्रदेश की गरीब जनता को इस ऐक्ट को पेश करके, जिसके जरिये से १० लाख की कमी को पूरा करने जा रहे हैं।

श्रीमन्, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमारे मुल्क के निर्माण के लिए जो भी कदम उठाये जायं, यदि उनकी दिशा सही हो तो सबको उसमें सहयोग देना चाहिए और उसके लिए रुपये की जरूरत पड़ती है, टैक्स भी लगता है। लेकिन प्रश्न यह है कि उस रुपये के लिए क्या ऐसे साधन आपके पास नहीं है, ऐसे लोग अब नहीं रह गये हैं जिनके ऊपर और टैक्स न लगा करके उन गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों पर भार डालते हैं? अभी माननीय मदनमोहन वर्मा जी कह रहे थे कि प्रताप सिंह जी ने अगर इस बिल को पढ़ने का कष्ट फर्माया होता तो वे खुद समझ जाते कि इसका भार गरीबों पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन आगे बोलते हुये उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि इस विधेयक के अन्दर कुछ खंड ऐसे हैं जिनके कारण गरीबों पर भार पड़ता है और मध्यम वर्ग पर भी पड़ता है इसको मानने में उनको एतराज नहीं होगा। आज प्रदेश के चाहे गरीब लोग हों, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हों, सब के ऊपर टैक्स का भार बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं और दूसरी तरफ आय कम होती जा रही है।

अभी मैं सन् १९५८ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पढ़ रहा था। मुझे देख कर आश्चर्य हुआ। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि इसके पहले कि वह कोई कदम टैक्स लगाने के लिये उठाये, सरकारी विभागों में आज जो बदइन्तजामी चल रही है उन्हें उसको ठीक करना चाहिये। उस रिपोर्ट में लिखा है कि सरकार ने वनों में कत्थे के पेड़ों की बिक्री की व्यवस्था की। उसमें इतनी बड़ी कुव्यवस्था रही कि बड़े-बड़े व्यापारियों के हाथ कत्थे के पेड़ इतने सस्ते दामों पर बेच दिये गये--उसमें इस बात को स्पष्ट कहा गया है--कि अगर सरकार ठीक से बेचती तो ३० लाख रुपये का फायदा सरकार को होता। यानी सरकार की एक

[श्री चन्द्रजीत यादव]

गलती से ३० लाख रुपये से अधिक उनकी जेब में गया जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं और उसका भार गरीबों पर पड़ता है और १० लाख रुपये के नाम पर यह बिल पेश किया जाता है ।

आगे मैंने उस रिपोर्ट में देखा कि एक कम्पनी के शेयर सरकार ने खरीद लिये । कम्पनी के मालिक ने देखा कि इस नाम पर अब वह और पया नहीं ले सकता, दर भी ऊंची है तो उसने सरकार से प्रार्थना की कि उसको कम किया जाय । आखिर में सरकार को ६,००,३४२ रुपया माफ करना पड़ा । और उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह रुपया छूट देने के समान था । यानी सरकार ने छूट किस को दिया ? एक मिल मालिक को । तो ६ लाख पये की छूट आप मिल मालिक को देते हैं, ३० लाख से अधिक रुपये आपकी कुव्यवस्था के कारण बड़े-बड़े व्यापरियों के पास जाता है और पैसे की कमी को पूरा करने के लिये आप टैक्स लगाते हैं और कहते हैं कि १० लाख रुपये की बहुत छोटी-सी रकम है, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिये ? मैं कहता हूं कि हम विरोध करते हैं और १० लाख पये की रकम तो बहुत बड़ी है एक पैसा भी बढ़ाने के हम विरोधी हैं जब तक कि आप मिल मालिकों और बड़े-बड़े पूंजीपतियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते रहेंगे और सरकारी विभागों में चल रही बदइन्तजामियों को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे । कानपुर के मिलमालिकों ने हाल में क्या किया ? कपड़ा नहीं बिक रहा है, इस बात का असर सरकार के ऊपर डाल कर उन्होंने उससे छूट ले ही ली । तो जहां मिल मालिकों को छूट देने का सवाल आता है वहां सरकार उनको छूट देती है लेकिन जब रुपये की कमी को पूरा करना पड़ता है तो कोई न कोई बिल सदन में पेश हो जायगा और हमसे कहा जायगा कि यह बहुत छोटी रकम है, इसके ऊपर एतराज नहीं करना चाहिये ।

तो, श्रीमन्, इन सब बातों को देख कर मेरी समझ में वह एक तर्क भी नहीं आया जो ट्रेजरी बेन्चेज की ओर से पेश किये गये, जिनमें बार-बार पंचवर्षीय योजना का नाम लेकर दुहाई दी गयी । मैं तो माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि इसे प्रवर समिति में जाने दीजिये और वहां जो इसमें ऐसे खंड हैं जिनका भार गरीबों पर पड़ता है उनको हम निकाल दें और जिन खंडों का भार गरीब और मध्यम वर्ग पर नहीं पड़ता है उनका हम भी समर्थन करेंगे । उसके बाद यह बिल सदन के सामने आयेगा और हम उस पर विचार करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी से सिफारिश करता हूं कि वे इस बात को मानें और इस बिल को प्रवर समिति में जाने दें ।

*श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गोविन्द सिंह विष्ट ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है जनमत जानने के लिये मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । काफी तर्क इस सम्बन्ध में पक्ष और विपक्ष में दिये जा चुके हैं । लेकिन मैं यह नहीं समझ सका कि सदन में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस स्टैम्प संशोधन विधेयक को पेश करते समय सही आंकड़े रखने की कृपा क्यों नहीं की ? अध्यक्ष महोदय, मैं बजट की कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं । १९५५–५६ में स्टैम्प ड्यूटी से हमारे प्रदेश में २,९०,३१,१९३ की आमदनी हुई । १९५६–५७ में २,७२,५०,००० रुपये का तखमीना दिखाया गया लेकिन बाद में २,९०,००,००० रुपये की आमदनी दिखाई गई और १९५७–५८ में २,८०,००,००० रुपये की आमदनी दिखाई गई । आज चूंकि मेरे पास १९५८–५९ का बजट नहीं था इसलिये मैंने स्वयं माननीय मंत्री जी से मांगा कि वास्तविक आमदनी कितनी होगी ? जो लिखित रूप में दिया गया है वह है १,०४,६२,५०० रुपये । मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या कोई इसमें ऐसा आइटम बताया जा सकता है जिसमें ५० फीसदी ड्यूटी न बढ़ा दी गई हो ? जब बढ़ा दी गई है तो मैं यहां पर गरीब और अमीर का प्रश्न पैदा नहीं करना चाहता हूं । चाहे वह मदें नीची श्रेणी वालों पर, चाहे मध्यम श्रेणी वालों पर और चाहे ऊंची श्रेणी वालों पर असर डालने

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

वाली हों लेकिन १९५२ के मुकाबले में कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जिसमें ५० फीसदी का इजाफा न किया गया हो। जब इतना इजाफा कर दिया गया है तो डेढ़ करोड़ की आमदनी होगी। लेकिन हमारे मंत्री जी फरमाते हैं कि इससे तकरीबन १० लाख रुपये की आमदनी होगी।

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किस विद्यालय में हम लोग अर्थमेटिक पढ़ने जायं क्योंकि हिसाब लगाना हम से नहीं आता है। जब प्रथम बिल पेश किया जा रहा था तो अजीब तर्क रखा गया था। उस समय भी मैंने यह कहा था कि कम से कम सदन हिमालय जैसी भूल न करे जिससे हमारी भावी पीढ़ी यह कहे कि उत्तर प्रदेश की असेम्बली में सदस्य से लेकर मंत्री तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गणित का अ, ब, स, भी जानता हो। जिस समय एक आने के टिकट को दस नये पैसे में परिवर्तित किया गया था तो हम लोगों ने कहा था कि यह नया टैक्स लगाया जा रहा है। बजट के भाषण के समय हमारे मंत्री जी जो इस समय वित्त मंत्री हैं, उस समय न्याय मंत्री थे। उस समय भी उन्होंने यह विधेयक पेश किया था और आज भी वह पेश कर रहे हैं तो उस समय उन्होंने कहा था कि यह कोई नया टैक्स नहीं है बल्कि लोगों को जब पैसा वापस करते हैं तो रिफंड के लिये एक आना कम किया जाता है। हमारे पास एक आने का कोई स्टैम्प नहीं है। हमने बताया था कि एक आने का रेवेन्यू स्टैम्प होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन भारत के पार्लियामेंट में यह पेश किया गया तो वहां के वित्त मंत्री महोदय ने फर्माया कि हम जो संशोधन करने जा रहे हैं उससे ६० लाख रुपये की आमदनी होगी। मैं लक्ष्मीरमण जी से पूछना चाहता हूं कि यह एक छोटा-सा संशोधन था जो एक आने की बजाय दस नये पैसे में बदला गया था हमारी दशमलव प्रणाली के कारण, तो उसमें भारत सरकार के नये दस पैसे करने पर ६० लाख की इन्कम हो गयी। और आज भी बकौल श्री लक्ष्मीनारायण बंसल के बहुत छोटा-सा बिल है। मैं पूछना चाहता हूं कि स्टैम्प से हमारे प्रदेश में ३ करोड़ की आमदनी होती है तो हिसाब लगा कर बताएं कि जब हर ड्यूटी में ५० प्रतिशत से १०० प्रतिशत का इजाफा हो रहा है तो १० लाख की आमदमी कैसे होगी? टैक्स लगाते समय माननीय मंत्री महोदय को जनता के सामने सही बात रखनी चाहिए जिस तरह से अभी एक दो दिन पूर्व जब कि मोटर टैक्सेशन ऐक्ट में संशोधन किया गया तो मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने खुलासा तौर पर यह बतलाया कि इसमें संशोधन करने से ५०, ६० लाख पये की आमदनी होगी। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उत्तर देते समय कम से कम गणित की उस परिभाषा को समझाने की कृपा करें कि जिस टैक्स से तीन करोड़ की आमदनी हो रही है उसमें ५० से १०० प्रतिशत इजाफा करने से १० लाख की आमदनी कैसे होगी? कल ही इस सदन के सामने इंटरटेनमेंट टैक्स संशोधन विधेयक में उन्होंने बतलाया था कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने यह सिपारिश की है कि इस प्रदेश में जो टैक्स लगाये जायं वह पर्सेंटेज सिस्टम पर लगाये जायं। चूंकि हमारे यहां इंटरटेनमेंट टैक्स स्लैब सिस्टम से लगा हुआ है इसलिए अब पर्सेंटेज सिस्टम पर किया जा रहा है। अगर वह वाकई टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की कद्र करते हैं, वकअत करते हैं तो पर्सेंटेज सिस्टम हर जगह लागू करने की कृपा करें। कल उन्होंने कहा था कि इस नये सिस्टम से ६–७ लाख की गवर्नमेंट को हानि होगी। जो उन्होंने इंटरटेनमेंट टैक्स में पर्सेंटेज प्रणाली अपनायी है उससे गरीबों पर टैक्स कम नहीं हुआ क्योंकि आम तौर पर टिकट चार आने, आठ आने और एक पया के ही हैं जिन पर ५० प्रतिशत टैक्स है। तो स्लैब सिस्टम की जगह पर पर्सेंटेज सिस्टम लागू करने से जो बड़े आदमी हैं, अमीर आदमी हैं जो ऊंचे क्लास के टिकट खरीदते हैं, जो आम जनता के साथ नहीं जाना चाहते, उनके टिकटों पर कम करके ६–७ लाख रुपये का नुकसान पहुंचा है। तो यह कहां की उदारता है कि अमीरों पर ६–७ लाख का टैक्स कम करके १० लाख का टैक्स गरीब से लेकर उच्च श्रेणी तक टैक्स लगा दें? ज रत इस बात की थी कि जो आदमी अमीर हैं—समाजवाद का यह सिद्धान्त है कि जो आदमी गरीब हैं, वह ऊंचे उठायें जायं और जो अमीर हैं वे नीचे लाये जायं—और एक लेबिल पर

[श्री जगन्नाथ लहरी]

दोनों आ जायं। लेकिन हमारे प्रदेश के मंत्रि-मंडल ने कल जो इंटरटेनमेंट टैक्स में कमी की वह गरीबों पर नहीं अमीरों पर की। तो अमीरों को आप रियायत देते जा रहे हैं, अमीरों पर आपने कल ६, ७ लाख का टैक्स कम कर दिया और आज इस प्रदेश के गरीबों पर यह भार डालने जा रहे हैं। वह गरीब इस तरह के हैं जो मजबूर होकर कर्जा लेने के लिये जाते हैं। चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो जब किसी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो वह कर्जे के लिये अपनी सारी मुसीबतों से बचने के लिये दूसरे के सामने हाथ पसारता है। वह जब मजबूर होता है तो उस मजबूरी की हालत में जो भी उसको मिल जाता है उससे ही वह सब्र करता है। उस मजबूर व्यक्ति पर आज हम यह टैक्स लगाने जा रहे हैं। जो लोग खुशी-खुशी मनोरंजन करने के लिये जाते हैं उनसे अगर टैक्स ज्यादा लिया जाय तो ऐसी बात नहीं है लेकिन यह कहां का न्याय है कि इस प्रकार के सताये हुए व्यक्ति पर यह टैक्स लगाया जाय?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बजटों को देखा जाय। सन् १९३७ में जब कि हमारे प्रदेश में माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त जी ने उस समय की सरकार की रचना की थी उस समय प्रदेश का बजट १२, १/२ करोड़ रुपये का बनाया था। सन् १९४७–४८ में जब हम दासता से मुक्त हुये तो हमारे इस प्रदेश का बजट ४० करोड़ का बनाया गया था। उसके १० वर्ष बाद सन् १९५७–५८ में हमारे इस प्रदेश का बजट १०८ करोड़ का बनाया गया और अब इसी साल का बजट ११३ करोड़ का हो गया है। सन् १९३७ के मुकाबले में हमारा बजट १०१ करोड़ बढ़ गया है और पिछले साल के बजट से ५ करोड़ पये की बढ़ोत्तरी हुई है और अगर १९४७ के बजट का मुकाबला किया जाय तो उससे यह ७३ करोड़ रुपये अधिक बढ़ गया है। एक साल के अन्दर ही हम ५ करोड़ पये की बढ़ोत्तरी कर चुके हैं। इस साल ९ करोड़ पया कर्जा जनता से लिया गया है। हमारे वित्त मन्त्री जी चार्ज सम्भालते-सम्भालते यह और टैक्स ले आये हैं। जैसा कुछ दिन पहले टी० कृष्णमचारी के लिये कहा गया था कि वह टैक्स मिनिस्टर हैं उसी तरह से इनके लिये भी कहा जायगा। हमारे वित्त मन्त्री ने भी आते ही जनता पर टैक्स लादना शु कर दिया है। अभी दो तीन दिन पहले ५०, ६० लाख पये के टैक्स के लिये मोटर टैक्स का बिल पास किया है। यह दो करोड़ का टैक्स इस बिल के जरिये से लगाने जा रहे हैं और ५, ६ करोड़ के टैक्स का बिल कोर्ट फीस का भी सामने आने वाला है जो जनता के ऊपर लादा जायगा। अभी कुछ दिन पहले ९ करोड़ का कर्जा लिया तो फिर जब इस तरह की हालत है कि जनता पर टैक्सों का भार लदता जा रहा है तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस बात का आश्वासन देंगे कि वह बजट के समय कोई टैक्स नहीं लायेंगे? क्या उस समय फरवरी में इस बात की घोषणा की जायगी कि इस प्रदेश की सरकार अब प्रदेश की जनता पर कोई टैक्स नहीं लगायेगी? उस समय नये टैक्स को नहीं लगाने की घोषणा का सदन की सभी पार्टियों ने स्वागत किया था। हम लोगों ने भी जनता में जाकर यह कहा था कि सरकार अब कोई टैक्स नहीं लगाने जा रही है। हम सोचते थे कि पुराने टैक्स को कम करने का प्रयत्न किया जायगा लेकिन अब हम देखते हैं कि कई टैक्स के बिल हमारे सामने आये हैं। पहले इसमें ६ पैसे के स्थान पर १० पैसे करने का प्रस्ताव था लेकिन अब इसको और बढ़ाया जा रहा है। उस समय कोई घोषणा इस बात की नहीं की गई थी कि इस तरह से टैक्स बढ़ाये जायेंगे। आज दिसम्बर में इस बात की घोषणा की जा रही है कि ये टैक्स लगाये जायंगे। सबसे अधिक टैक्स अब वर्ष के इन दिनों में जो लगाने जा रहे हैं, यह भी एक ऐतिहासिक घटना होगी। मैं वित्त मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब आप इस तरह से कई करोड़ के टैक्स जनता पर लाद रहे हैं तो क्या, जैसा कि श्रीपाल सिंह जी ने कहा था, कुर्त्ता और पाजामे पर भी टैक्स लगाया जायगा? मैं समझता हूं कि अगर टैक्सों का यही रवैया रहा तो शायद श्रीपाल जी के सुझाव को मान कर आपको उन पर भी टैक्स लगाने में हिचक न होगी। आपको पये की आवश्यकता हो तो टैक्स लगाइये, लेकिन उसकी भी एक हद होती है और वह है कि जितना जनता सहन

कर सके। किसी आदमी को इतना पीटा जाय कि वह रोने न लगे, तो ठीक है। अगर वह रोने लगे तो पीटने का फायदा. . . .

श्री उपाध्यक्ष--समय कम है इसका आप ध्यान रखें।

श्री जगन्नाथ लहरी--मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता का आर्थिक ढांचा लड़खड़ा रहा है। आज महंगाई जनता के सामने मुंह बाये खड़ी है। मैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर टीका टिप्पणी न करते हुए कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश की जनता को अपने उदर पूर्ति के लिये १०० फीसदी अपना बजट बढ़ाना पड़ा। आज उसको १ सेर ६ छटांक का गल्ला खरीदना पड़ता है, कपड़े पर टैक्स बढ़ गया और हर चीज महंगी हो गयी है। बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया है, लेकिन मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी। नौकरी करने वालों की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ। आज नौकर वर्ग इस बात की मांग कर रहा है कि उसकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाय। आज जब खाने का बजट बढ़ गया है उस समय मजदूरी और नौकरों की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष--इस अवसर को आप बजट के आम वादविवाद का अवसर न बनायें। इशारे के तौर पर आपने काफी कह दिया। मैं अधिक के लिये इजाजत नहीं दूंगा।

श्री जगन्नाथ लहरी--श्रीमन्, मैं समाप्त ही करने जा रहा हूं। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह ये नये टैक्स लाकर प्रदेश की जनता का कितना हित कर रहे हैं? इन शब्दों के साथ मैं उनसे इस प्रस्तुत विधेयक को वापस लेने की मांग करता हूं और कहता हूं कि इस प्रदेश का बजट काफी बढ़ चुका है, अभी डेढ़ महीने बाद आप का दूसरा बजट पेश होने वाला है इसलिये इस अवसर पर यह नये टैक्स न लगाये जायं। यदि माननीय मंत्री के कानों तक हमारी बात पहुंच जाय तो वे इस पर विचार करने की कृपा करें और जनता पर यह नये टैक्स न लादें।

श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्य में बताया गया है कि पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये यह नया टैक्स लगाया जा रहा है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह पंचवर्षीय योजना क्या है? मैं तो इसे गरीब गलाघोंटू योजना समझता हूं और अगर आप इस पर नजर डालें तो पता चलेगा कि इसके नाम पर करोड़ों, अरबों पया टैक्स लगा कर उसे सरकारी अफसरों, मिनिस्टरों और बड़े-बड़े व्यक्तियों की अय्याशी के साधन जुटाने में खर्च किया. . .

श्री उपाध्यक्ष--आप 'अय्याशी' शब्द वापस लें। सुख-सुविधा का प्रयोग आप कर सकते हैं।

श्री रूम सिंह--मैं वापस लेता हूं। उन्होंने अपनी सुख-सुविधा बढ़ाने की एक परम्परा बना ली है। मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने अनुभव किया है कि इस पंचवर्षीय योजना के नाम पर जो मीटिंगें होती हैं उनमें एक-एक का खर्च डेढ़, दो और तीन हजार रुपये तक हो जाया करता है। जो प्लानिंग कमेटी की मीटिंग्स होती हैं उनमें वे सब से पहले अपने खर्च के लिये स्वीकृति लेते हैं। कभी २०,००० की स्वीकृति होती है, कभी १०,००० की। अलावा इसके जहां पर ब्लाक के कामों की स्थापना हुई है वहां पर ब्लाक के आफिसरों के रहने के लिये बड़े-बड़े आलीशान मकान बनाये गये हैं, बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० की सुख-सुविधा के लिये साधन जुटाये गये हैं और इस पंचवर्षीय योजना से गरीबों के लिये कुछ नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि यह तो गरीबों की गलाघोंटू योजना या मेहनतकशों की गलाघोंटू योजना है अगर ऐसा कहा जाय तो झूठ न होगा। देश और प्रदेश में जनता भूखों मर रही है। अन्न की कमी है और इसके बावजूद भी हमारे सामने यह स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने वाला बिल पेश है। कांग्रेस पक्ष के लोग जब बोलने के लिये खड़े होते हैं तो कहते हैं कि इस टैक्स का भार गरीबों पर नहीं पड़ता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी प्रकार का भी

[श्री रूम सिंह]

जो टैक्स लगाया जाता है उसका असर गरीबों पर ही पड़ता है। आप चाहे किसी करोड़पति या लखपति पर टैक्स लगायें लेकिन वह पड़ता गरीबों पर ही है। मान लिया आपने किसी पूंजीपति पर १० हजार पये का टैक्स लगाया जब वह चीज बेचता है तो पैसा बढ़ा कर बेचता है और जब खरीदता है तो उसमें से भी उसका ध्यान रखता है। उसमें से भी वह समझदार फायदा उठा लेता है। क्योंकि वह अपने यहां दो रजिस्टर रखता है। सरकार को दिखाने का रजिस्टर दूसरा है और अपना निजी रजिस्टर दूसरा है जिसमें देखकर वह अपना कारबार करता है। आज सरकार टैक्स बढ़ाने में बहुत तेजी दिखा रही है। वह इस बात का प्रयत्न कर रही है कि जिस तरीके से भी हो टैक्स बढ़ा कर रुपया वसूल कर ले लेकिन सिवाय इसके कि बड़े आदमियों की सुख-सुविधा, मिनिस्टरों की सुख-सुविधा या नौकरशाही की सुख-सुविधा या उनके अजीज अहबाब की सुख-सुविधा के लिये ही काम किये जाते हैं।

जब सरकार इस तरह से टैक्स बढ़ा रही है तो सोशलिस्ट पार्टी इस बारे में अपना दिमाग साफ रखती है और वह समझती है कि इस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी ग़लती है। सरकार को जिस ढंग से गरीबों को फायदा पहुंचाना चाहिये वह उस ढंग से चल नहीं रही है। सरकार जिस आसानी के साथ जनता से टैक्स वसूल करती है उस अक्लमंदी के साथ उसको खर्च नहीं करती, जैसा कि उसके कार्यों से देखा जाता है। इसलिये विरोधी दल वालों को उसके कर लगाने का विरोध करना चाहिये। सोशलिस्ट पार्टी तो इस सम्बन्ध में अपना दिमाग साफ रखती है और उसकी पालिसी है कि ऐसी सरकार के टैक्स की वसूलयाबी में वह काबट पैदा करे। जब-जब सरकार की टैक्स वसूलयाबी में रुकावट पैदा होगी तब-तब वह सोच कर खर्च करेगी। महात्मा गांधी जी ने तो इस बात का मश्विरा दिया था कि अफसरों और मिनिस्टरों को झोपड़ियों में बैठ कर हुकूमत करना है। लेकिन एक तरफ तो इस प्रकार से टैक्स लगाया जा रहा है दूसरी ओर यह विधान भवन नित्यप्रति बढ़ता जा रहा है जो उस गरीब जनता की हैसियत से बहुत बड़ा है। इसका बोझ किस पर पड़ता है? दौलत क्या आसमान से गिरती है? मजदूर, गरीब किसान दिन रात मेहनत करता है, दौलत पैदा करता है और उस दौलत को सरकार टैक्स लगा कर उससे छीन लेती है और उससे ही वह अपने सुख-सुविधा के साधन जुटाती है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य से मैं कहूंगा कि आपने टैक्स के ऊपर आम भाषण देना शुरू कर दिया। इस स्टैम्प ड्यूटी ऐक्ट के सम्बन्ध में भी अगर कुछ कहना हो तो कहें, वर्ना समय बहुत कम है।

श्री रूम सिंह---मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---अब इसके बारे में आपको आगे नहीं बोलने दूंगा। इस स्टैम्प ड्यूटी ऐक्ट के बारे में कुछ नुक्ताचीनी करना चाहें तो करें।

श्री रूम सिंह---तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो आप स्टैम्प ड्यूटीज बढ़ाने जा रहे हैं, जैसा कि श्री जगन्नाथ लहरी जी ने फर्माया है कि यह ड्योढ़ा होने जा रहा है, ५० फीसदी अधिक होने जा रहा है और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि १० लाख ही पया बढ़ रहा है। हमारे कांग्रेसी सरकार की बेंचेज की तरफ से जो सदस्य बोले उनका कहना है कि इसका असर गरीबों के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति दस्तावेज लिखता है, किसी से कर्जा लेता है तो स्टैम्प उसी से खरीदवाया जाता है और उसका पैसा उसी को देना पड़ता है। जो कर्जा देता है वह पहले ही उसमें से कटौती कर लेता है। इसी तरीके से कचहरियों में जो गरीब आता है, कोई जेल में है, जमानत के लिये कोई दरख्वास्त दे या अपने किसी मुकदमे के लिये दरख्वास्त दे या कोई जबरदस्ती किसी के खेत पर कब्जा किये हुए है, उसकी बेदखली के लिये दरख्वास्त तो उस पर भी बढ़ा हुआ टैक्स देना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस टैक्स का भार केवल गरीबों के ऊपर ही पड़ेगा क्योंकि अमीर आदमी जो पैसे वाले हैं

वे हर तरीके से अपनी बचत कर लेते हैं। जो आदमी कर्जा देता है वह पहले ही कर्जा लेने वाले से ठहरा लेता है और उसी से स्टैम्प खरीदवाता है, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इसका असर गरीबों के ऊपर ही पड़ेगा। माननीय मंत्री जी को इस पर गौर करना चाहिये। और माननीय मोतीलाल अवस्थी जी ने जो संशोधन पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने दिया जाय जहां विचार करके उसकी परिधि बढ़ाने का भी अवसर प्राप्त हो सके और इस समय जो स्टैम्प ड्यूटी है उसमें भी कुछ कमी की जाय तो अच्छा होगा।

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विरोधी दल के दोस्तों की मुख्तलिफ तकरीरों को बड़े गौर से सुनता रहा। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बहरहाल जो कुछ भी गवर्नमेंट कर रही है, चाहे पंचवर्षीय योजना बनावे, चाहे उसके लिये कुछ साधन मुहइया करे, चाहे कुछ लोगों की प्रगति हो, उनकी हालत दुरुस्त हो, चाहे जो काम भी करे, उनका तो यह फर्ज हो गया है कि उस पर नुक्ताचीनी करें। स्टैम्प ड्यूटी ऐक्ट के ऊपर बहस थी लेकिन जो आम बहस हुई, वह गालिबन उसी किस्म की बहस थी जो बजट के दौरान में होती है या कभी जनरल पालिसी के ऊपर डिस्कशन होता है। यहां तक कहा गया कि हमारी पंचवर्षीय योजना भी गलत है, यह भी कहा गया कि इस टैक्स का बोझ केवल गरीबों के ऊपर पड़ेगा, अमीरों के ऊपर नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं कि अभी-अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्कम टैक्स के अलावा कई ऐसे टैक्स मसलन वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी, एक्सपेंडीचर टैक्स वगैरह-वगैरह बहुत से टैक्स लगाये हैं और वह महज इस गरज से लगाये हैं कि हमारा जो मकसद है सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी इस देश में कायम करने का वह पूरा हो। हमारे सामने यह सवाल किया गया है कि हम किस तरह से सोशलिस्टिक पैटर्न का जहां तक सम्बन्ध है, उसको बनवायेंगे। हमारे सामने सवाल तो यह है कि आया जो तरीका और मुल्कों में अख्तियार किया गया है जबरदस्ती छीन लेने और जबरदस्ती लोगों का माल ले लेने का उसके बदले में हम कौन ऐसी तरकीब सोच सकते हैं जिसके जरिये हमारा वह मकसद हासिल हो। वह जनतंत्र के जरिये से हासिल हो सकता है। उसकी वजह से आज सेंट्रल गवर्नमेंट में तरह-तरह के टैक्सेज सोचे जाते हैं जिससे अमीर आदमियों के पास बहुत ज्यादा दौलत न जमा होने पाये और अगर जमा हो तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा मुल्क के कामों में लग सके। इसका मतलब यह भी नहीं है कि बिल आखिर वह बोझ गरीबों पर लाद दिया जाय। उनकी हालत बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ले ली है और सरकार कभी इसकी इजाजत नहीं देती कि कोई बड़ा काम करने वाले या फैक्ट्री वाले पब्लिक को एक्सप्लायट कर सके या उससे बेजा फायदा उठा सके। बहरहाल इन उसूलों को सामने रखते हुए इस मुल्क का ऐडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। इसके बाद जो शिकायतें की गयीं उनका कहां तक जवाब दिया जाय। बहुत कुछ उनमें जोश भरा हुआ था। मैं जोश में आकर कोई तकरीर करना नहीं चाहता।

कहा यह जाता है कि लोग गरीब हैं, खाने की, कपड़े की और हर तरह की परेशानियां लोगों को हैं, इस वजह से लोगों से टैक्स न लिया जाय। हम यह कहते हैं कि अगर गरीबी को हमें दूर करना है तो उसका इलाज सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि कुछ न कुछ सब से लिया जाय, टैक्स की शक्ल में या स्माल सेविंग्स की शक्ल में या किसी और तरह से और उसी के जरिये से उनकी हालत बेहतर बनाई जाय। इसी उसूल के ऊपर हमारा तमाम काम चल रहा है, तमाम दुनिया ने भी यही उसूल अपनाया है। इसी उसूल की बिना पर हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो गरीब है वह गरीबी की हालत में पड़ा रहे। फिर उनकी हालत बेहतर कैसे हो, ऊंची कैसे हो, दुरुस्त कैसे हो? हालत दुरुस्त तभी होगी जब वे टैक्स देंगे और जब वे टैक्स देंगे तो उसी टैक्स से उनकी हालत और बेहतर बनायी जायगी।

क्या कोई शख्स इन्कार कर सकता है कि हमारे मुल्क में कम से कम पहली योजना के बाद मुल्क की हालत बेहतर नहीं हुई है? आज अगर लोगों की हालत का मुकाबला किया जाय पहले की हालत से तो हम महसूस करेंगे, अगर ईमानदारी है हममें तो, कि कुछ परिवर्तन हुआ है।

[श्री सैयद अली जहीर]

लोगों में वह परेशानी नहीं है जो पहले थी। यह सही है कि अभी हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं लेकिन इसका जवाब यह नहीं है कि उनको गरीब रखा जाय और वह गरीबी दूर न की जाय।

बहरहाल यह भी कहा गया कि यह टैक्स बहुत ज्यादा है। जहां तक फिगर्स का ताल्लुक है वे ठीक हैं। अगर बजट कोई न देखे तो उसका इलाज क्या है? कहा गया कि २ करोड़ ९० लाख आमदनी है। यह ख्याल बिलकुल गलत है। स्टैम्प की आमदनी १,०४,६२,५०० रुपया है जैसा कि मैंने बतलाया था और अगर कोर्ट फीस, जो बिलकुल अलहदा चीज है, उसे शामिल कर लें तो जरूर वह आमदनी २,९०,००,००० हो जाती है। यह टैक्स जो स्टैम्प पर बढ़ाया जा रहा है यह सब आइटम्स पर नहीं बढ़ाया जा रहा है और उस बढ़ोतरी का अन्दाजा यही है कि लगभग १० लाख की आमदनी होगी। बहरहाल जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह अन्दाजा है। मुमकिन है १० लाख के बजाय १२, १३ लाख हो जाय या ९ लाख रह जाय। बहरहाल जो हिसाब लगाया गया है वह इसी बुनियाद पर लगाया गया है।

यह भी एतराज किया गया कि साहब फायनेंस की कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। यह फायनेंस की स्टैंडिंग कमेटी न तो केन्द्र में है और स्टेट्स में सिवा एक मध्य प्रदेश को छोड़ कर और किसी स्टेट में नहीं है, न मद्रास में, न बम्बई में, न पंजाब में, न वेस्ट बंगाल में, न आन्ध्र में, और उसकी वजह यह है कि हमारे यहां कम से कम दो कमेटियां ऐसी हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल मैटर्स को देखती हैं। एक तो एस्टीमेट्स कमेटी और दूसरी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी। इन दोनों के सामने हमारे सूबे की फाइनेंशियल बातें होती हैं और जाती हैं। और इसी वजह से और सूबों में भी जहां जहां फाइनेंस कमेटी नहीं है इसी वजह से नहीं रखी गई हैं। तो इसके ऊपर कोई एतराज करना और महज इसलिये करना कि फाइनेंस कमेटी नहीं है अगर वह होती तो मालूम नहीं क्या होता, यह मेरी समझ में नहीं आता।

इसी के साथ-साथ यह भी कहा गया कि साहब जहां तक इस टैक्स का ताल्लुक है इसका भार गरीबों पर पड़ेगा।

श्री जगन्नाथ लहरी--मैं एक सूचना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मंत्री जी को अपना भाषण समाप्त कर लेने दीजिये।

(वित्त मंत्री के बैठने पर)

श्री जगन्नाथ लहरी--अभी वित्त मंत्री महोदय ने २,९०,००,००० रुपया स्टैम्प्स की बात बतायी। तो मैं उनका ध्यान उत्तर प्रदेश के १९५७-५८ के तखमीने के पृष्ठ ९ पर ले जाना चाहता हूं जिसमें २,९१,००,००० रुपया, २,९०,००,००० रुपया और २,७२,००,००० रुपया सब दर्ज है और इस साल का १,०४,६२,५०० रुपया है।

श्री सैयद अली जहीर--पहले का जो बजट एस्टीमेट है इसी का वह भी यहां लिखा हुआ है। वह इससे काफी कम है। बजट एस्टीमेट जो १९५७-५८ का है, मेरे पास इस वक्त १९५८-५९ का बजट है जो कि सदन से पास हुआ और उसमें जो फीगर्स लिखी हैं वह हैं ९८,६३,५०० पया, १९५७-५८ के लिये और रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स थे १,०४,६२,५०० पये और वही रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स १,०४,६२,५०० पया इस साल के लिये रख दिया गया है जो १९५८-५९ का है और जाहिर है कहीं मुमकिन है किसी जगह फार सिम्प्लोसिटी के लिये उसकी ज्यादा अहमियत न रही हो। तो नान-जुडीशियल स्टैम्प और जुडीशियल स्टैम्प दोनों को मिला दिया है। क्योंकि जुडीशियल स्टैम्प को भी बाज सूरतों में स्टैम्प कहते हैं लेकिन असल में दोनों अलग-अलग चीजें हैं उनसे कोई वास्ता नहीं है। बहरहाल यह तो क्वेश्चन वाकयात का है और न इसके ऊपर कोई बहस हो सकती है।

इसी के साथ-साथ आडिट रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया और बताया गया कि उसमें बाज-बाज इर्रेगुलैरिटीज का जिक्र आया है । तो जहां तक आडिट रिपोर्ट का ताल्लुक है ऐसा वक्त आयेगा जिस वक्त बहस करेंगे उस पर, उसके लिए यह मौका नहीं है ।

जहां तक कत्थे की बात है कि फैक्ट्रीज को दरख्त दे दिये गये । तो वह तो नये किस्म का मेथड था जो उन्होंने पहले पहल लास्ट ईयर बताया कि बजाय इसके जिस तरह से नीलाम होता है उसका नीलाम बहैसियत दरख्त के न किया जाय बल्कि हर दरख्त की क्यूबिक फीट वैल्यू देखी जाय और उससे कितनी चीज पैदा होगी उसके लिहाज से उसकी कीमत लगायी जाय । यह सही है पहले कभी डिपार्टमेंट का ऐसा तरीका नहीं था और न कोई दरख्त की कीमत उसकी हाइट वगैरह देख करके मुकर्रर की जाती थी । आडिट ने कहा कि अगर इस तरह से कीमत लगायी जाय तो इससे ३० लाख का सरकार को फायदा होगा । यह तो एक अलग चीज है ।

दूसरा सवाल यह है कि जहां तक दरख्तों के नीलाम करने का तरीका है उस पर एतराज किया कि साहब दरख्त नीलाम कर दिये जायं और इंडस्ट्रीज को न दिए जायं । तो यह क्वेश्चन पालिसी का है । जहां तक इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है हम इंडस्ट्रीज को इस बात पर नहीं छोड़ सकते कि वह महज नीलाम पर बाकी रहें । उनके लिये अलग से प्रावीजन करना पड़ता है । जहां तक कत्था फैक्ट्री का ताल्लुक है एक फैक्ट्री तो बहुत पुरानी है उसको हम कुछ दरख्त देते हैं । यह वही फैक्ट्री है जब कायम हुई थी तो उस वक्त कत्थे के दरख्त आठ आने पर बिकते थे हमारे जंगलों में कोई ४० साल से यह फैक्ट्री कायम है और हमें पहले पहल उस ने यह बताया कि उन दरख्तों की कीमत ज्यादा हो सकती है और जब उन्होंने कत्था निकालना शुरू किया तो उसकी कीमत बढ़ी और बढ़ते-बढ़ते अब हमने उनको ११४ रुपया फी दरख्त के हिसाब से दिया । अभी दो साल पहले एक दूसरी फैक्ट्री भी कायम हुई और चूंकि हमें कुमायूं में इंडस्ट्री को बढ़ाना था इसलिये हमने दूसरी फैक्ट्री को भी दरख्त दिये और उसको हमने एवरेज प्राइस लगाकर करीब १३४ रुपया फी दरख्त के हिसाब से दिये । उसके बाद कुछ दरख्त नीलाम से दिये गये लेकिन इस वक्त चूंकि पहले ही काफी मिकदार पेड़ों की खत्म हो चुकी थी और नीलाम में दरख्त थोड़े ही रह गये, और उसका नतीजा यह हुआ कि उनकी कीमत कुछ ज्यादा आई । इस पर यह कहा गया कि कुल दरख्त अगर नीलाम होते तो कीमत ज्यादा आती और फैक्ट्री को कम कीमत पर दरख्त नहीं दिये जाने चाहिये थे । लेकिन यह सब एक स्पेकुलेटिव चीज है और इसको किसी तरह से भी धांधली कहना एक गलत नतीजा निकालने की बात है और ऐसा नतीजा इस से नहीं निकाला जा सकता । चूंकि यहां इस चीज का जिक्र किया गया था इसलिये मैंने यह चीज बता दी वर्ना कोई सीधा ताल्लुक इस बिल का इस चीज से नहीं था ।

अब हो सकता है कि मौजूदा बिल में लोगों को कहीं-कहीं पर एतराज हो लेकिन हमने हमारे सामने जो एक कुल तस्वीर है उसको देख कर इस में एक प्रपोर्शनेट इजाफा किया है । एक-एक आइटम का तो हमने मुकाबला नहीं किया वर्ना जो रेट्स हम ने रखे हैं वह करीब-करीब वही हैं जो कि आज मदरास में लागू हैं और जो स्टैम्प रेट वहां लिये जाते हैं वही हम अपने यहां लेना चाहते हैं । यह बात नहीं है कि हमने कोई हर जगह से ज्यादा अपने यहां लगा दिये हैं या यह कि कोई ज्यादा गैरमुनासिब बढ़ोत्तरी कर दी गई है, ऐसी सूरते हाल नहीं है । इन सब बातों को देखते हुये इसमें जो इजाफा किया जा रहा है वह किसी तरह से भी काबिले तराज नहीं है । एक माने में यह टैक्स कोई नया टैक्स नहीं है बल्कि पहले से ही लागू है जो भी किसी ट्रान्जेक्शन के लिये स्टैम्प खरीदता है उसे कुछ न कुछ ड्यूटी देना ही होती है, बस थोड़ा सा इजाफा उसमें और किया जा रहा है, इस में शक नहीं कि वह सब्सटैंशियल है लेकिन हमारी छः करोड़ की आबादी में बहुत थोड़े से ऐसे आदमी होंगे जो थोड़ा बहुत व्यापार करते हैं, उन के ऊपर कुल मिलाकर १० लाख का बार आता है और उसमें जो बढ़ोत्तरी है वह तो बहुत ही नामिनल होगी और जिसको बहुत आसानी से और बिना परेशानी के अदा किया जा सकता है । लेकिन जिस मुल्क के काम में, मुल्क को उठाने के काम में हम लगे हैं वह यही है कि किसी तरह से यहां से गरीबी

[श्री सैयद अली जहीर]

और परेशानी गायब हो जाय । उस के लिये हमें अपने तमाम ऐसे रिसोर्सेज टेप करने होंगे जिनसे हम अपनी प्लान्स को चालू रख सकें और मुल्क को आगे बढ़ाते चले जांय ।

यह भी शिकायत पैदा हुई कि मैंने बहैसियत वित्त मंत्री के आते ही आते टैक्स बढ़ा दिया । यह तो मेरी बदकिस्मती है कि मेरे ऊपर यह फर्ज आयद हुआ कि इस टैक्स बिल को लेकर मुझे पहले पहल आना पड़ा लेकिन यह भी एक बहुत ही जरूरी फर्ज था, किसी न किसी को तो मंत्रिमंडल से यह फर्ज अंजाम देना ही था । मुझे खुशी है कि मैं इस बिल को सदन के सामने लाया हूं और मुझे यकीन है कि जनता इस को एप्रीशियेट करेगी और समझेगी कि यह एक सही किस्म की चीज है । इससे जो सूबे का लाभ होगा और जो हमारी प्लान्स में इमदाद मिलेगी उस की जनता जरूर सराहना करेगी । वैसे तो जाहिर है कि किसी से दो पैसे भी जबर्दस्ती लिये जांय या उस पर कोई जिम्मेदारी डाली जाय तो थोड़ा बहुत नागवार होता ही है । लेकिन एक शख्स जो १० रुपये देकर कोई दस्तावेज लिखाता था वह १५ रुपया दे और ५ रुपये जो देगा वह ऐसे काम में सर्फ होंगे कि जिससे सूबे की तरक्की हो, गरीबों की हालत बेहतर हो तो यकीनन उसको कोई शिकायत की जरूरत नहीं होगी और हमारा यकीन है कि जनता ऐसी समझदार है कि वह इसको एप्रीशियेट करेगी और यह नहीं समझेगी कि कोई गैर-जरूरी या नामुनासिब भार उनके ऊपर डाला जा रहा है । इन चन्द अल्फाज के साथ जो यह बिल पेश किया गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि वह मंजूर किया जायगा और यह जो तजवीज की गयी है कि वह सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय या पबलिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट किया जाय, मेरे खयाल में बिलकुल गैर-जरूरी है । कानून बना हुआ है, कोई पालिसी का मैटर नहीं है, सिर्फ जो फीगर्स दी हुई हैं उनको बढ़ाकर उन की जगह दूसरी फीगर्स रखनी है । यह तो इस हाउस को तय करना है, हमें तय करना है कि क्या रेट्स मुनासिब होंगे और कितना उन रेट्स को बढ़ाना चाहिये । इसको देखते हुये ये दोनों तजवीजें जो पेश की गयी हैं मैं उनका विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप उनको नामंजूर करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ को एक माह के लिये जनमत जानने के लिये जनता में घुमाया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे । समिति को परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २

ऐक्ट संख्या २, १८९९ की धारा ४ का संशोधन ।	२--उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ (जिसे आगे चलकर "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ४ की उपधारा (१) में शब्द "two rupees and fifty naye paise" के स्थान पर शब्द "three rupees" रख दिये जांय ।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड २ की पंक्ति ४ में शब्द "three rupees" के स्थान पर शब्द "two rupees" रख दिये जांय, यह संशोधन उपस्थित करता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, यह संशोधन उपस्थित इसलिये करता हूं कि यह रहन की दस्तावेजों पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है । आज के पहले यह एक रुपया था, उसके बाद दो रुपया हुआ । अब यह तीन रुपया कर दिया गया । मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जब आपने एक ऐसा ऐक्ट बना दिया है कि इस मुल्क में रहन करने का हक किसी को नहीं है तो फिर उसके साथ-साथ यह जो अनुच्छेद है, जो इसका शेड्यूल है, उसको भी हटा देना चाहिये और इस प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिये ।

श्रीमन्, इसके उद्देश्य और कारण पर दृष्टिपात किया जाय तो देखेंगे कि जहां माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि यह रुपया बढ़ाने की जरूरत इसलिये है कि हम पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहते हैं ।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इतने वर्षों के बाद एक पंचवर्षीय योजना आपकी समाप्त हो गयी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना दो वर्ष चल चुकी और इसी सदन में एक बिल प्रस्तुत हुआ था कि जिसमें यह कहा गया कि क्योंकि सुविधा के लिये पुराने सिक्कों को नये सिक्कों की प्रणाली के अनुसार बदलने की जरूरत है इसलिये गिनती की सुविधा के लिये पुराने सिक्कों को परिवर्तित कर दिया जाय और उसपर भी कई संशोधन आये थे और नये पैसे के हिसाब से संशोधन पेश किये गये थे । लेकिन सरकार ने बढ़ाया और फिर आम जनता पर उसका प्रभाव पड़ा । श्रीमन्, यह स्टैम्प ऐक्ट बड़ा पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का १९ वीं शताब्दी का बना हुआ है । मैं समझता हूं कि अंग्रेजों को इसकी इसलिये जरूरत पड़ी होगी क्योंकि वे अपनी हुकूमत को इस देश में मजबूत करना चाहते थे और इसलिये उन्होंने स्टैम्प चलाया ताकि घर-घर और गांव-गांव में लोग अंग्रेजों के फोटो देखें और मोआहिदा एकरारनामा करने के वक्त कुछ पैसे भी दें । मंत्री जी को मालूम है कि अमेरिका में जब अंग्रेजों ने जनता पर नया स्टैम्प टैक्स लगाया था तो वहां की जनता ने उसका विरोध किया था और उसी विरोध स्वरूप राज्य परिवर्तन भी हुआ ।

टैक्स की आवश्यकता को मैं महसूस करता हूं । किसी भी सरकार के पास कोई निजी खजाना नहीं रहता लेकिन सवाल तो यह है कि अगर पहले के टैक्स को बिना बढ़ाये ही हम सही तरीके से उसको खर्च करें तो आसानी से काम हो सकता है । मैं तो कहता हूं कि इस सरकार के विशेषज्ञ और मंत्री क्या सोचते हैं ? जब उनके सामने पंचवर्षीय योजना और दूसरी योजनायें रहती हैं तो फिर एक बार सदन के सामने आ जाना चाहिये कि इन इन चीजों पर टैक्स लगना है और उसी के मुताबिक बजट बनाना चाहिये । लेकिन सरकारी विशेषज्ञों के खर्चे सुरसा के पेट की तरह बढ़ रहे हैं । मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आगे भी मुझे प्रस्तुत करना है । मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर मंत्री जी को प्रगति करनी है तो अपनी और मेरी तनख्वाह और भत्ते कम करें, सरकारी अफसरों के वेतन और भत्तों को कम करें ।

मुझे तो इसी सदन की एक बात याद आ गयी जिसे निवेदन करने के लिये आप क्षमा करेंगे । एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि जो सम्पूर्णानन्द शिविर में कैदी हैं उनको दो पये से अधिक मजदूरी दी जाती है और वे भी देश का निर्माण-कार्य करते हैं । दूसरी ओर इस प्रदेश की लाखों जनता, जिसको रूलिंग पार्टी के सभी सदस्य कहते हैं कि तुम्हीं राजा हो, वह जब मिट्टी पाटने का काम करती है तो उसको केवल चार आने पैसे ही दिये जाते हैं । क्या यही आपका स्वराज्य है कि इस मुल्क के नागरिक को निर्माण-कार्य करने पर केवल चार आने दिये जांय और एक कैदी को दो पये रोज दें ? जब प्रति आदमी की औसत आमदनी आपको मालूम है तो क्यों उससे अधिक एक व्यक्ति पर खर्च करते हैं । इसलिये टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । स्टैम्प का खर्चा साहूकार को नहीं देना पड़ता है । वह तो जब कोई कर्ज लेता है तो पहले साहूकार स्टैम्प का पया देता है और जब कागज लिखा जाता है तो उसमें स्टैम्प का दाम भी जोड़ दिया जाता है, वह रुपया तो कर्ज लेने वाले को देना पड़ता है साहूकार को नहीं ।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, यह सब जितनी तकरीर अभी फरमायी गयी यह उसी तरीके की है जो अभी जनरल बहस हो रही थी उसमें हो चुकी है और इन सब बातों का मैं जवाब भी दे चुका हूं । इस वक्त तो यह तरमीम माननीय मेम्बर ने पेश की है कि ३ पये के बजाय २ रुपये कर दिये जांय । जिसके माने यह है कि जो इस वक्त है वही रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष—उससे भी कम करना चाहते हैं ।

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, जाहिर है कि इसको मैं नहीं मान सकता और मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—मैं पुनः मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको मान लें तो कोई हर्ज नहीं है । मैं तैयार हूं आप अपने और हमारे खर्चे को कम करें । आप भी तो कुछ त्याग करें या आपने यही बीड़ा उठाया है कि हम टैक्स बढ़ायेंगे जब तक रहेंगे । इसलिये मैं इस प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ की पंक्ति ४ में शब्द "Three rupees" के स्थान पर "Two rupees" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३—६

ऐक्ट संख्या २, १८९९ की धारा ६-ए का संशोधन ।

३—मूल अधिनियम की धारा ६-ए की उपधारा (१) में जहां कहीं भी शब्द तथा अंक "the U. P. Stamp (Amendment) Act, 1952" आये हों उनके स्थान पर शब्द "this Act as amended in its application to Uttar Pradesh" रख दिये जांय ।

ऐक्ट संख्या २, १८९९ की धारा २४ का संशोधन ।

४—धारा २४ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में अंक "I" के स्थान पर अंक तथा अक्षर "I-B" रख दिये जांय ।

ऐक्ट संख्या २, १८९९ की धारा २९ का संशोधन ।

५—मूल अधिनियम की धारा २९ के खंड (ए) में शब्द तथा अक्षर "Schedule I" के स्थान पर शब्द तथा अक्षर "Schedule I, I-A or I-B, as the case may be" रख दिये जांय ।

ऐक्ट संख्या २, १८९९ की धारा ४८-ए का संशोधन ।

६—मूल अधिनियम की धारा ४८-ए के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"48-A. Notwithstanding anything contained in this Act, no certificate or endorsement under this Act in respect of an instrument chargeable in Uttar Pradesh with a higher rate of duty in accordance with this Act, as amended in its application to Uttar Pradesh shall be received in evidence or be in any way valid in respect of the payment of duty on such instrument unless the duty chrageable at the rates provided in this Act as amended in its application to Uttar Pradsh has been paid on such instrument."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३, ४, ५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ७

७—मूल अधिनियम की अनुसूची १—बी में—

ऐक्ट संख्या २, १८९९ की अनुसूची १—बी का संशोधन ।

(१) अनुच्छेद (Article) २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय

"2. ADMINISTRATION BOND, including a bond given under sections 291, 375 and 376 of the Indian Succession Act, 1925 of section 6 of the Government Savings Banks Act, 1873.	Subject to a maximum of one hundred rupees, the same duty as on a Bond (no. 15)."

(२) अनुच्छेद १० में शब्द "one hundred rupees" के स्थान पर शब्द "one hundred and twenty-five rupees" रख दिये जायं;

(३) अनुच्छेद १५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"15. BOND [as defined by section 2(5)] not being a DEBENTURE (no. 27) and not being otherwise provided for by this Act, or by the Court Fees Act, 1870—	
where the amount or value secured does not exceed Rs.10;	twenty-five naye paise.
where it exceeds Rs.10 but does not exceed Rs.50 ;	fifty naye paise.
where it exceeds Rs.50 but does not exceed Rs.100;	one rupee and fifty naye paise.
where it exceeds Rs.100 but does not exceed Rs.200;	three rupees.
where it exceeds Rs.200 but does not exceed Rs.300;	four rupees and fifty naye paise.
where it exceeds Rs.300 but does not exceed Rs.400;	six rupees.
where it exceeds Rs.400 but does not exceed Rs.500;	seven rupees and fifty naye paise.
where it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.600;	nine rupees.
where it exceeds Rs.600 but does not exceed Rs.700;	ten rupees and fifty naye paise.
where it exceeds Rs.700 but does not exceed Rs.800;	twelve rupees.
where it exceeds Rs.800 but does not exceed Rs.900;	thirteen rupees and fifty naye paise.
where it exceeds Rs.900 but does not exceed Rs.1,000;	fifteen rupees.
and for every Rs.500 or part thereof in excess of Rs.1,000.	seven rupees and fifty naye paise.
See ADMINISTRATION BOND (no. 2), BOTTOMRY BOND (no. 16), CUSTOMS BOND (no. 26), INDEMNITY BOND (no. 34), RESPONDENTIA	

BOND (no. 56), SECURITY

BOND (no. 57),

Exemptions

Bond, when executed by—

(*a*) headmen nominated under rules framed in accordance with the Bengal Irrigation Act, 1876, section 99, for the due performance of their duties under that Act ;

(*b*) any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem."

(४) अनुच्छेद २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"23. CONVEYANCE (as defined by secton 2(10)) not being a TRANSFER charged or exempted under no. 62—

where the amount or value of the consideration for such conveyance as setforth therein does not exceed Rs.50 ;	one rupee.
where it exceeds Rs.50 but does not exceed Rs.100;	three rupees.
where it exceeds Rs.100 but does not exceed Rs.200;	six rupees.
where it exceeds Rs.200 but does not exceed Rs.300;	nine rupees.
where it exceeds Rs.300 but does not exceed Rs.400;	twelve rupees.
where it exceeds Rs.400 but does not exceed Rs.500;	fifteen rupees.
where it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.600;	eighteen rupees.
where it exceeds Rs.600 but does not exceed Rs.700;	twenty-one rupees.
where it exceeds Rs.700 but does not exceed Rs.800;	twenty-four rupees.
where it exceeds Rs.800 but does not exceed Rs.900;	twenty-seven rupees.
where it exceeds Rs.900 but does not exceed Rs.1,000;	thirty rupees.
and for every Rs.500 or part thereof in excess of Rs.1,000.	fifteen rupees.

Exemptions

Assignment of copyright in musical works by resident of or first published in India.

(५) अनुच्छेद २४ में जहां कहीं भी शब्द "one rupee", "one rupee and fifty naye paise" तथा "two rupees and fifty naye paise" आये हों उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee and fifty naye paise", "two rupees" तथा "three rupees" रख दिये जायं ;

(६) अनुच्छेद २५-ए में शब्द "two rupees and fifty naye paise" के स्थान पर शब्द "three rupees" रख दिये जायं;

(७) अनुच्छेद २६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"26. CUSTOMS BOND Subject to a maximum of one hundred rupees, the same duty as on a Bond (no. 15)."

(८) अनुच्छेद ३९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"39—MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY

(*a*) if accompanied by Articles of Association under section 26 of the Companies Act, 1956.	seventy-five rupees
(*b*) if not so accompanied	two hundred rupees.
Exemptions	
Memorandum of any Association not formed for profit and registered under section 25 of the Companies Act, 1956.	

(९) अनुच्छेद ४० में जहां कहीं भी शब्द "one rupee and twenty-five naye paise" आये हों उनके स्थान पर शब्द "two rupees" रख दिये जायं ;

(१०) अनुच्छेद ४३ में शब्द "twenty-three rupees and fifty naye paise" तथा "twenty-five naye paise" के स्थान पर क्रमशः शब्द "thirty rupees" तथा "fifty naye paise" रख दिये जांय ।

(११) अनुच्छेद ४६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"46. PARTNERSHIP—

A—Instrument of—

(*a*) where the capital of the partnership does not exceed Rs.5,000 ;	The same duty as on a Bond (no. 15).
(*b*) in any other case	One hundred rupees.
B—Dissolution of	"Fifteen rupees."

(१२) अनुच्छेद ५४ मे शब्द "twenty-four rupees" के स्थान पर शब्द "thirty rupees" रख दिये जायं ;

(१३) अनुच्छेद ५५ में शब्द तथा अंक "Rs. 1,000" तथा "fifteen rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द तथा अंक "Rs. 3,000" तथा "fifty rupees" रख दिये जांय ;

(१४) अनुच्छेद ५७ में शब्द "twelve rupees" के स्थान पर शब्द "eighteen rupees" रख दिये जायं ;

(१५) अनुच्छेद ६१ में जहां कहीं भी शब्द "twelve rupees" आये हों उनके स्थान पर शब्द "fifteen rupees" रख दिये जायं;

(१६) अनुच्छेद ६२ में:--

(१) खंड (सी) में जहां कहीं भी शब्द "twelve rupees" आये हों उनके स्थान पर शब्द "fifteen rupees" रख दिये जायं,

(२) खंड (डी) में शब्द "twenty-four rupees" के स्थान पर शब्द "thirty rupees' रख दिये जांय; और

(३) खंड (ई) में शब्द "twelve rupees" के स्थान पर शब्द; "fifteen rupees" रख दिये जांय ; और

(१७) अनुच्छेद ६४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"64. TRUST—

A—DECLARATION OF—of, or concerning, any property when made by any writing not being a Will—	
(*a*) where the amount or value does not exceed Rs.10,000;	The same duty as on a Bond (no. 15) ;
(*b*) where such amount exceeds Rs.10,000.	On ten thousand rupees, the duty payable under clause (*a*), and on the remainder, two rupees for every additional one thousand rupees or part thereof.
B—REVOCATION OF—of, or concerning, any property when made by any instrument other than a Will.	The same duty as on a Bond (no. 15) for a sum equal to the amount or value of the property concerned but not exceeding thirty rupees."

*श्री ब्रजनारायण तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "One hundred and twenty-five rupees" के स्थान पर शब्द "One hundred rupees" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इसलिये कि मंत्री जी जानते हैं कि हाथ उठाने वालों की संख्या हमारी तरफ ज्यादा है इसलिये जो वह चाहेंगे वही होगा । खैर, यह तो व्यक्तिगत मामला है । किन्तु यह सोसाइटी से संबंध रखता है और सोशलिस्टिक पैटर्न का सरकार का नारा है इसलिये यदि मंत्री जी कोआपरेटिव के आधार पर प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो कृपा करके इसको बंद कर दिया जाय । पहले इसमें २५ रुपये थे, फिर १०० रुपये हुआ और अब १२५ रुपये करने जा रहे हैं । मैं चाहता हूं कि १०० रुपये ही रहने दिये जायं जो कि पहले के हैं ।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मैं इसको भी मंजूर नहीं कर सकता । इसमें १०० रुपये के बजाय १२५ रुपये किये जा रहे हैं । जैसा कि आपने कहा कि एसोसियेशन या कम्पनी के लिये यह है और यह मानी हुई बात है कि कम्पनी लाखों रुपये लगाती हैं इसलिये इसको ऐसे ही रहने दिया जाय ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—श्रीमन्, यह तो एसोसियेशन्स से संबंधित है उसमें बड़े भी होते हैं और छोटे भी एसोसियेशन्स होते हैं इसलिये मैं चाहूंगा कि वह इसको स्वीकार करें क्योंकि और बातें तो वह स्वीकार नहीं करेंगे ।

---

*वक्ता न भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "One hundred & twenty-five rupees" के स्थान पर शब्द "One hundred rupees" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर सदन का विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में ३१,
विपक्ष में ९२ ।)

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय आध घंटे बढ़ा दिया जाय। उसका कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि यह बिल आज ही समाप्त हो जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं इस का विरोध करता हूं। इस बिल में सिर्फ टैक्स ही लगाना है, लोगों को तबाह करना है। उस तबाही के लिए सदन से माननीय नरेन्द्रसिंह विष्ट जी यह मांग करें, तो सदन का समय, तबाह करने वाले काम के लिए हम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं समझता हूं कि अपोजीशन के सभी माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि आज सदन की बैठक आधा घंटा और बढ़ा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री मोतीलाल अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन रखता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "One hundred and twenty-five rupees" के स्थान पर 'Fifty rupees" रख दिया जाय।

माननीय वित्त मंत्री ब्रजनारायण जी के संशोधन को तो अस्वीकार कर रहे हैं तो मैंने ही अपनी ओर से सोचा कि मैं भी कुछ अपनी तरफ से रखकर देखूं और शायद वह कुछ मेरे लिये ही सहिष्णुता दिखायें। इसी खयाल को लेकर मैंने यह प्रस्ताव किया है कि १२५ के स्थान पर केवल ५० रख दिया जाय। इसके कुछ कारण हैं। मैं श्रीमान जी से निवेदन करूंगा कि आप देखें अनुच्छेद १० के आर्टिकिल आफ एसोसियेशन आफ कम्पनी के सम्बन्ध में है। पहले तो उसके लिये केवल २५ रुपया स्टाम्प ड्यूटी थी लेकिन वह बढ़ते-बढ़ते आज १०० रुपया हो गई है। इसके अलावा कुछ ऐसी संस्थायें भी हैं जो बिना स्टाम्प ड्यूटी के भी अपना काम चलाती हैं। मैं समझता हूं यह ड्यूटी कम होनी चाहिये और यह स्टाम्प का महसूल कम होना चाहिये। यह ५० रुपया ही रख दिया जाय तो बेहतर होगा। इस खयाल से यह रखा गया है कि जो छोटी छोटी संस्थायें हैं उनकी कुछ सहायता हो सके। मुझे आशा है मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, यह बिल तो इसलिये लाये हैं कि कुछ इससे बढ़ाया जा सके। हमारे दोस्त तो इसको और घटाना चाहते हैं। मैं इसको मन्जूर नहीं कर सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं माननीय मन्त्री जी से अर्ज करूंगा कि यह छोटी-सी दुरुस्ती है। कभी-कभी घटाना भी लाभप्रद होता है। हमेशा बढ़ाना ही लाभकारी नहीं हुआ करता। देश में यदि ऐसी परिस्थिति हो कि जब घटाना लाभदायक हो तब घटाने में कोई दोष नहीं है। इसलिये मन्त्री जी को घटाने के लिये तैयार होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में "One hundred and twenty five rupees" के स्थान पर "Fifty rupees" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा दूसरा संशोधन खंड ७ के उपखंड (५) के सम्बन्ध में है। श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (५) में पंक्ति ४ व ५ में शब्द "one rupee and fifty naye paise," "two rupees" तथा "three rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee, one anna," "one rupee and fifty-five naye paise" तथा "two rupees and fifty-five naye paise." रख दिये जायं।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि यह उपखंड ५ के अनुच्छेद २४ के सम्बन्ध में है जो कि कापी आफ एक्सट्रेक्ट्स के बारे में है। यह ऐसी बात है जिसके लिये प्रत्येक व्यक्ति को किसी के सिलसिले में कोर्ट में जाना पड़ता है। इस सम्बन्ध में उसको स्टाम्प लगाना पड़ता है। यह ऐसा खर्चा है जो प्रत्येक निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी सहन करना पड़ता है। सरकार ने जो इस सम्बन्ध में संशोधन किया है कि १ रुपये के स्थान पर एक रुपया ५० नया पैसे, १ रुपया ५० नये पैसे के स्थान पर २ रुपये और २ रुपये के स्थान पर ३ रुपये रख दिये जायं तो मैंने इस बढ़ोत्तरी को स्वीकार कर लिया है लेकिन मैं यह चाहता हूं कि यह बढ़ोत्तरी केवल किंचित्मात्र हो और एक रुपये की जगह पर एक रुपया १ आना हो। एक रुपये ५० नये पैसे की जगह १ रुपया ५५ नये पैसे हों और तीसरे स्थान पर जहां २ रुपये ५० नये पैसे है वहां २ रुपये ५५ नये पैसे हों। अभी मैंने घटाने के संबंध में प्रस्ताव रखा था लेकिन शायद हमारे मंत्री जी घटाने की बात से नाखुश होते हैं इसलिये मैं इसमें बढ़ोत्तरी के पक्ष में हूं और चाहता हूं कि अगर वे गरीबों से ज्यादा कर ही लेने के पक्ष में हैं तोकुछ संतोष आपको भी दिलाऊं। आशा है माननीय मंत्री मेरी बात से राजी होंगे और बढ़ोत्तरी के पक्ष में हैं तो वे मेरी बात को इसमें स्वीकार करेंगे।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, बढ़ोत्तरी भी कायदे से होनी चाहिये और आपको शायद याद होगा कि अभी एक बिल लाये थे सिर्फ इसलिये कि फीगर्स राउन्ड फीगर्स में कर दी जायं। मेरे खयाल में आपकी जो फीगर्स हैं उनको हम राउन्ड फीगर्स नहीं कह सकते और मेरी जो तजबीज है वह सही मालूम होती है इसलिये मैं इसको मंजूर नहीं करता।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अभी जो बात कही है उसे सुन कर मुझे दुख हुआ। वे न घटाव की बात मानते हैं और न बढ़ाव की ओर यह दलील देते हैं कि फीगर्स राउन्ड नहीं हैं। मैं तो नहीं समझता कि विधान की किस थ्योरी के अनुसार या टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की किस सिफारिश के अनुसार यह राउन्ड फीगर्स की बात लायी जा रही है। तो यह तर्क मेरी समझ में आया नहीं। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्यों बढ़ावें? और अगर फीगर कल्कुलेट करने की बात है तो विदेशों से उनको चाहिये कि कोई मशीन मंगवा लें तो ठीक से हिसाब हो सकेगा। राउन्ड फीगर की बात कह कर स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने की बात उचित नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुझे श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के शब्द सुन कर शाइलाक के शब्द याद आ गये "पाउन्ड आफ फ्लेश"। कहते हैं कि फीगर राउन्ड नहीं हैं, उनके फीगर राउन्ड है। अतः मैं सदन का ही ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह इस पर अपना फैसला दे। वह मेरे साथ आये और जो मेरा व्यवहारिक, उचित और न्यायोचित संशोधन है उसे अपनी स्वीकृति दे। आशा है कि सदन मेरे संशोधन को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (५) की पंक्ति ४ व ५ में शब्द "one rupee and fifty Naye paise", "two rupees" तथा "three rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee one anna", "one rupee and fifty naye paise" तथा "two rupees fifty-five naye paise" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री ब्रजनारायण तिवारी--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (५) की पंक्ति ४ में शब्द "two rupees" के स्थान पर शब्द "one rupee" तथा पंक्ति ५ में शब्द "three rupees" के स्थान पर शब्द "two rupees" रख दिये जायं।

श्रीमन्, यह नकल के लिये है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि देहाती लोग सस्ता न्याय नहीं प्राप्त कर पाते हैं और जो लोग उनमें पैसे वाले और बलवान होते हैं वे मुकदमा लड़ा कर ही उनको तबाह कर देते हैं और वह अपना हक भी नहीं प्राप्त कर पाते। तो यह नकल के लिये है। इसमें मैं जरूर चाहूंगा कि वे टैक्स न बढ़ायें। क्योंकि जहां असमानता है, बराबरी नहीं है वहां टैक्स का बोझ निश्चित रूप से गरीबों पर ही पड़ता है।

जो उत्पादन करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हीं के ऊपर टैक्स का बोझ पड़ता है चाहे वह किसी के भी हाथ से लिया जाय। हमारे मंत्री जी बड़े सीधे-सादे और लाइयर भी हैं और इस सदन में करीब-करीब सबसे अधिक विद्वान भी हैं और कभी ऐसी बात नहीं बोलते जो किसी को कटुता पैदा करे। मैं चाहूंगा कि कम से कम इस संशोधन को वह स्वीकार करें। इस संशोधन से गरीबों का भी साहस होगा कि वे बड़े लोगों के सामने लड़ाई में टिक सकें।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, इसमें भी मौजूदा टैक्स को कम करने की बात है, मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--तालिका में ८ आने से १ रुपया, १ रुपया से १ रुपया ८ आना, इसी तरह बढ़ते-बढ़ते ३ रुपये तक पहुंच चुका है। तो कम से कम मंत्री जी अपने ही कहने पर कि वह कोई बढ़ोत्तरी नहीं करना चाहते हैं, पहले ही पर रहने दें। मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (५) की पंक्ति ४ में शब्द "two rupees" के स्थान पर शब्द "one rupee" तथा पंक्ति ५ में शब्द "three rupees" के स्थान पर शब्द "two rupees" रख दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (६) की पंक्ति २ में शब्द "three rupees" के स्थान पर शब्द "two rupees" रख दिये जावें।

इस पर मुझे ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि मंत्री जी काफी डटे हुये हैं लेकिन मैं भी चाहता हूं कि उनका इम्तिहान हर बात में होता रहे।

श्री सैयद अली जहीर--मुझे जो जवाब देना था वह पहले ही उन्होंने कह दिया है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--श्रीमन्, इस सदन में खतरा तभी उपस्थित होता है जबकि वित्त मंत्री के साथ कोई दूसरा पोर्टफोलियो आ जाय। जैसे चरणसिंह जी पहले वित्त मंत्री और माल मंत्री दोनों थे और उन्होंने एक ऐसी योजना लगाई जिससे सारा प्रदेश तबाह हुआ क्योंकि वह जानते थे कि खजाना तो उनका ही खाली होगा अगर कहीं दुर्भिक्षता पर खर्च करना पड़ा। इसी तरह हमारे मंत्री जी भी डबल पोर्टफोलियो होने से नहीं मानते हैं। मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (६) की पंक्ति २ में शब्द "three rupees" के स्थान पर शब्द "two rupees" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (८) में प्रस्तावित अनुच्छेद ३९ के भाग (*b*) में शब्द "seventy—five rupees above" के स्थान पर शब्द "two hundred rupees" रख दिये जायं ।

अध्यक्ष महोदय, बिल में लिखा है कि "If accomapnied by Articles of Association under section 26 of the Companies Act, 1956," ७५ रुपये इसके आगे है । (*b*) में है कि (If not so accompanied-seventy-five rupees above) यह गलती से लिखा है । मैं चाहता कि यह छपने की गलती ठीक कर दी जाय और उचित भी है कि ७५ रुपये के बजाय वहां २०० रुपये होना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री सैयद अली जहीर---श्रीमान्, अध्यक्ष महोदय, इसकी मंशा यह है :---

"39. Memorandum of Association of a company---

(*a*) If accompanied by Articles of Association under section 26 of the Companies Act, 1956.	Seventy-five Rupees.
(*b*) If not so accompanied	Seventy-five rupees above.

तो (*b*) में जहां पर "Seventy—five rupees" रखा गया है वहां पर "Two hundred rupees" रख दिया जायगा ।

इसमें हिन्दी और अंग्रेजी वाले में भी फर्क है । अंग्रेजी वाला ठीक है । अनुवाद में गलती हो गयी है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---अध्यक्ष महोदय, माननीय नरेन्द्र सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, टैक्स बढ़ाने की कोई हद भी होती है । १८९९ का जब कानून बना था तब उसमें १५ रुपया रखा गया था । उसका ५० हुआ, फिर ७५ हुआ और अब उसका २०० रखा जा रहा है । इसकी कोई इन्तिहा भी है ? यह १३ सौ प्रतिशत से ऊंचा टैक्स बढ़ाया जा रहा है । मैं तो सिर्फ यही दिखाना चाहता हूं कि हमारी सरकार किस कदर टैक्स लगा रही है । १३ गुना टैक्स दुनियां की किसी सरकार में नहीं बढ़ा है । माननीय मंत्री जी शायद इसके द्वारा हिस्ट्री क्रियेट कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (८) में प्रस्तावित अनुच्छेद ३९ के भाग (*b*) में शब्द "Seventy-five rupees above" के स्थान पर शब्द "Two hundred rupees" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी । इस बीच में निम्नलिखित कार्यवाही हुई):

श्री अध्यक्ष---इसमें जहां "अन्डर" लिखा हुआ है उसके स्थान पर "अन्डर सेक्शन" होना चाहिये ।

श्री सैयद अली जहीर---यह हिन्दी वाले में ठीक है प्रिन्टिंग मिस्टेक है । उसको ठीक कर लिया जाय ।

श्री उग्रसेन---अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी साहब सदन में ही आकर बता रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---इसकी तो उनको सुविधा दी गयी है । वे आज्ञानुसार ही आते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उग्रसेन--तब श्रीमन्, कभी-कभी हमको भी जानकारी दे जाया करें ।

श्री अध्यक्ष--जब आप इधर मेरे दाहिने ओर आ जायेंगे तब आपको भी यह सुविधा हासिल होगी ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--अध्यक्ष महोदय, बात यह थी कि गोविन्द सिंह जी ने एक गलत स्टेटमेंट दे दिया था । उन्होंने कहा था कि ७५ से एक दम बढ़ा कर २०० कर दिया गया है जब कि १५० से २०० किया गया है । इसलिये जरूरत हुई ।

श्री अध्यक्ष--श्री मोतीलाल अवस्थी जी का एक संशोधन उसमें और है कि "Seventyfive rupees above" के स्थान पर "Eightyfive rupees" कर दिये जायं ।

अगर यह स्वीकृत हो गया तो अन्य गिर जायगा और इसके बाद नहीं लिया जा सकता है । तो अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो कर लीजिये । अगर एक अमेंडमेंट स्वीकृत हो जाय और उसके विरोध में दूसरा हो तो वह खतम हो जायगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--तो मुझे आज्ञा दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--अभी आप कृपा करके बैठें, अभी डिवीजन हो रहा है ।

(घंटी बन्द होने पर प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ --

पक्ष में--६७,

विपक्ष में--२६ ।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इस सदन के किसी माननीय सदस्य से कोई मंत्री हाथ उठाने के लिये कह सकता है ?

श्री अध्यक्ष-- ऐसी तो कोई चीज नहीं हो सकती ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, उसी से सम्बन्धित मेरा संशोधन है इसलिये मुझे अपना अमेंडमेंट पेश करने की आज्ञा दें ।

श्री अध्यक्ष--ठीक है आप पेश करें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--अभी हाउस ने माननीय नरेन्द्र सिंह विष्ट द्वारा प्रस्तुत संशोधन जो स्वीकृत किया है उसी में मेरा संशोधन यह है कि "two hundred rupees" के स्थान पर "Eightyfive rupees" रख दिये जायं । इसका कारण यह है कि माननीय मंत्री जी तो पूरे तरीके से टैक्स बढ़ाने पर ही लगे हुए हैं, अगर गलती से कोई बात रह गयी है तो वह गरीबों का सौभाग्य ही है । इसलिये मैं चाहता हूं कि "२०० रुपये" के स्थान पर "८५ पया" रख दिये जायं ।

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--श्रीमन्, यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है, जो संशोधन अभी पास हुआ है वही स्वीकार है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--अगर बिलकुल स्वीकार नहीं है तो इसका कारण यही है कि आपके पक्ष में बहुमत है लेकिन आपको इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिये कि इसका नतीजा यह होगा कि आपको एक दिन पछताना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि स्वीकृत संशोधित खंड ७ के उपखंड (८) में प्रस्तावित अनुच्छेद ३९ के भाग (b) में जैसा की वह अभी संशोधित हुआ है । शब्द "two hundred rupees" के स्थान पर "Eightyfive rupees" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (९) की पंक्ति २ एवं ३ में शब्द "two rupees" के स्थान पर "one rupee" रख दिये जायं। यह अनुच्छेद ४० से सम्बन्धित है और अनुच्छेद ४० मार्गेज डीड से ताल्लुक रखता है। यह मार्गेज डीड विशेष तौर से निर्धन वर्ग से सम्बन्धित है। बहुत से कृषकों को अपनी जायदाद या खेत गिरवीं या रहन करने पड़ते हैं और उस हालत में करते हैं जब वे परेशानी की हालत में होते हैं। ऐसे मौके पर यह स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाना उचित न होगा, क्योंकि इससे उन पर बोझ पड़ेगा। यह स्टाम्प ड्यूटी पहले बहुत कम थी यानी १ पया २५ नये पैसे थी अब उसको बढ़ाया जा रहा है। इस बढ़ोत्तरी से ७५ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जा रही है जो गरीब वर्ग पर पड़ेगी। इसको बजाय बढ़ाने के घटाना ही उचित होगा क्योंकि इसका सम्बन्ध निर्धन वर्ग से है। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि बजाय २ रुपये के इसे १ पया कर दिया जाय।

श्री सैयद अली जहीर—आर्टिकिल ४० का ताल्लुक कम्पनीज से है और इसमें बहुत रुपया इंवाल्व होता है। इस वजह से जो कुछ इसमें किया जा रहा है वह बहुत मामूली सी बढ़ोत्तरी है और उसका कोई असर गरीब जनता पर नहीं पड़ेगा। मेरे खयाल से मोतीलाल जी ने जो तजवीज पेश की है किसी गलतफहमी की वजह से पेश कर दी है। मुझे उम्मीद है कि अब समझने के बाद वे उसे वापस ले लेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जो मूल ऐक्ट मेरे सामने है, श्रीमन्, उसमें कोई मेंशन कम्पनीज का नहीं है। उसमें यह लिखा हुआ है:—

"Instruments, executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or Agriculturists Loans Act, 1884, or by their sureties as security for the repayment of such advances."

तो मेरे सामने जो कुछ ऐक्ट है उसके तहत में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती।

श्री सैयद अली जहीर—मुझे यह तजवीज मंजूर नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (९) की पंक्ति २ एवं ३ में शब्द "two rupees" के स्थान पर "one rupee" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री ब्रजनारायण तिवारी**—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है कि खंड ७ के उपखंड (१०) की पंक्ति ३ में शब्द "thirty rupees" के स्थान पर शब्द "twenty rupees" रख दिये जायं।

श्रीमान्, अनुच्छेद ४३ आप देखें जो कि मेमोरेंडम से सम्बन्धित है और इसके पहले धारा (९) के ऊपर आप देखें इसमें लिखा है:

"Memorandum of an Association not formed for profit and registered under section 25 of the Companies Act, 1956."

श्रीमन्, मंत्री जो अपने को ऐसा समझ रहे हैं कि वह हमेशा के लिये इसी स्थान पर बने रहेंगे। शीशे के कमरे में बैठकर आप लोहे की ठोकर न चलायें आम जनता पर। ऐसी चीज है कि २३ रुपये ५० नये पैसे की जगह ३० रुपये रख रहे हैं। अगर इस तरह से ही टैक्स बढ़ाया जाना है तो समझ में आता भी जब कि वह रुपया जायज तरीके से खर्च होता। लेकिन जो पया जनता से लेकर सरकार विकास के नाम पर खर्च कर रही है तो जो जनता के रक्षक हैं वह आज भक्षक बन रहे हैं, वह रुपया जनता की बहबूदी के लिये नहीं खर्च होता है और बराबर सरकार का बजट घाटे में चलता है। १२ साल का एक युग होता है और इतने समय से सरकार है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझे एक बात याद आ गई अगर आपकी इजाजत हो तो कह दूं ? इस खाद्य आन्दोलन के सिलसिले में ११ वर्ष के बाद हमारे प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल जी नेहरू ने कहा है, जिनके जीवन काल में, नेतृत्व में, लगातार विदेशों से पैसा खर्च करके अन्न मंगाया जाता रहा, लेकिन ११ वर्ष के बाद उन्होंने यह समझा कि खाद्य समस्या इस मुल्क के लिये आवश्यक समस्याओं में से कोई समस्या है और इसे युद्ध स्तर पर तय करना चाहिये। श्रीमन्, मुझे इस बात से कष्ट हो रहा है कि २३ रु० ५० नये पैसे की जगह ३० ० और २५ नये पैसे के के स्थान पर ५० नये पैसे अब सरकार करने जा रही है। इसलिये मैं यह संशोधन रखता हूं। मुझे कोई हर्ज नहीं है "जुर्म जामिन के लिये गर्दन पर छुरा हो गया, गुड़ समझ कर खा लिया अब धतूरा हो गया।"

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, गालिबन माननीय सदस्य यह जानते हैं कि हर वह शख्स जो यह समझ कर पब्लिक के सामने जाता है कि पांचवें वर्ष फिर इसका जवाब देना होगा तो वह कभी नहीं समझ सकता कि मैं हमेशा इसी जगह पर बना रहूंगा। न मैं बना रहूंगा और न मेरे साथी बने रहेंगे। अब यह दूसरी बात है कि वह इधर आ जायं और मैं उधर चला जाऊं ....

श्री अध्यक्ष--या दोनों ही न आवें।

श्री सैयद अली जहीर--लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो रास्ता वह चल रहे हैं वह गलत है। मुझे यह अर्ज करना है कि अगर वह यह सोच लेंगे कि किनके लिये बढ़ाया जा रहा है और किन कागजात के लिये बढ़ोत्तरी हो रही है तो इतना शोर न मचाते। मैं अर्ज करूं कि यह तो ब्रोकर और एजेन्ट्स, जो बड़े-बड़े बिजनेस करते हैं, कानपुर वगैरह ऐसी जगहों में उनके कागजात के लिये हैं।

"NOTE OR MEMORANDUM sent by a Broker or Agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal—

(*a*) exceeding in value twenty rupees,

(*b*) of any stock or marketable security exceeding in value twenty rupees."

उस पर यह टैक्स बढ़ाया जा रहा है और वह भी १०,०००रु० से जब ज्यादा का माल हो और उसका जब नोट भेजा जाय उस पर टैक्स लगेगा। तो यह तो वही लोग हैं जिनके खिलाफ वह रोज शोर मचाते हैं। उन पर अगर ७ रु० टैक्स बढ़ जायगा तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिये। फिर मैं वही अर्ज करूंगा कि वह समझे नहीं थे वरना इसरार न करते। मुझे उम्मीद है कि अब वह अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष--(श्री ब्रजनारायण तिवारी से) आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझ रहा हूं। अरे ८०,००० परिवार किसानों के खत्म करने वालों को खत्म किया जा सकता है तो इन पूंजीपतियों से आपकी क्या सांठ-गांठ है ? मैं भी समझ रहा हूं मंत्री जी कहां जा रहे हैं। मैं भी कुछ अर्थशास्त्र पढ़ा हूं। असल में पैसा वही देता है जो मेहनत करता है, आप चाहे सीधे वसूली किसी से भी करें, वह तो केवल एक ट्रान्समीटर का सा काम करते हैं। एक जगह से लिया और दूसरी जगह दूसरे हाथ से दे दिया, लेकिन पैसा गरीब का ही वह होता है। इन शब्द के साथ मैं अपने संशोधन को प्रेस करता हूं और वापस नहीं लेता।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१०) की पंक्ति ३ में शब्द "thirty rupees" के स्थान पर शब्द "twenty rupees" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि "खंड ७ के उपखंड (१३) की पंक्ति २ में शब्द "Rs. 3,000" के स्थान पर शब्द "Rs. 1,000" तथा पंक्ति ३ में शब्द "fifty rupees" के स्थान पर शब्द "ten rupees" रख दिये जायं।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

श्रीमन्, यह रिलीज से सम्बन्ध रखता है। इसका जो अनुच्छेद ५५ है कि कोई आदमी अगर अपनी जायदाद को तर्क करना चाहे तो उसके ऊपर एक ऐक्ट है। मैं समझता हूं कि जो आदमी अपनी सम्पत्ति का परित्याग करेगा वह किसी खास कारण से या मजबूरी से ही करेगा और ऐसी सूरत में उसके ऊपर भी इस तरह से टैक्स का बढ़ाया जाना उचित नहीं है। अगर मंत्री जी का उद्देश्य केवल पैसा लेना ही है तो मैं कहूंगा कि आप इसकी जांच करायें कि आपके ११ साल के शासन काल में, देश के विकास के नाम पर आप इन्क्वायरी करें तो आपको मालूम होगा कि पहले जो हजारपति था वह लखपति हो गया और जो लखपति था वह करोड़-पति हो गया--उनसे आप पैसा लेने का साहस क्यों नहीं करते? अगर आप समाजवादी बनते हैं आप समाजवादी पैटर्न की बात करते हैं तो आप कड़ाई से कदम उठा कर उनसे पैसा वसूल कीजिये तब हम देखें कि जनता आप के साथ होती है या नहीं। इस तरह से आम जनता पर टैक्स बढ़ाना किसी तरह से भी उसके लाभ की बात न होगी। अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो विचारधारा लोगों में रन कर रही है उसके अनुसार या तो वह फासिस्टवाद की ओर झुकें या तानाशाही की शरण में जायं। इस चीज की जिम्मेदारी सरकार की ही है। अगर आप जनतंत्र में विश्वास करते हैं तो इस तरह से गरीब जनता पर टैक्स की बढ़ोत्तरी करना किसी तरह से भी ठीक नहीं है। एक बार योजना बनती है और जनता से मनमाना टैक्स वसूल किया जाता है। एक लड़कों का सा खिलवाड़ हो गया है कि हर ४-६ मास के बाद एक संशोधन आ जाता है और उसके द्वारा टैक्स बढ़ाने की स्कीम आ जाती है। मैं तो कहूंगा कि यह भी एक तरह का अपव्यय है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, जिस दस्तावेज के ऊपर यह तरमीम पेश की जा रही है उसको समझ कर अगर माननीय सदस्य ने अपना संशोधन पेश किया होता तो मैं उसका जवाब देता। वाकया यह है कि यह तो एक दस्तबरदारी है, कोई शख्स किसी दूसरे के खिलाफ किसी मखसूस जायदाद में दस्तबरदार है तो १,००० रुपए तक के बान्ड पर जो स्टाम्प लगता है वह लगेगा, और उसके बाद १५ रुपया, चाहे जो भी मालियत हो दस्तावेज की। अब उसको बदलकर यह किया जारहा है कि जहां ३,००० तक की मालियत तक तो बांड की हैसियत से उस पर टैक्स लगेगा, उसके ऊपर बजाय १५ के ५० रुपया हो जायगा। यह कोई ऐसी गैर-मामूली चीज नहीं है और उमूमन ऐसे जायदाद के मामले होते हैं उसमें रिलीज और दस्तबरदारी वगैरह के मामले पूंजीपतियों के बीच में होते हैं, उसके लिए यह बना हुआ है और उसी के लिए बढ़ोत्तरी की जा रही है। मेरे खयाल में माननीय सदस्य जो ऐसी बातें जनता के फायदे के लिए करते हैं अगर जनता के सामने करें तो ज्यादा मुफीद होगा, यहां तो हम कानून बनाने के लिए बैठे हैं, अगर उसी के मुताल्लिक कोई गुफ्तगू हो तो वह काबिले कुबूल हो सकती है। लिहाजा इस वक्त जो तजवीज पेश है उसको मंजूर नहीं करता।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि सरकार के लिए ११ वर्ष से एक बहाना मिला हुआ है कि हम उन पर टैक्स लगा रहे हैं जिन पर कि हमारे विरोधी सदस्य चाहते हैं। इसी भाषा का प्रयोग माननीय चरण सिंह किया करते हैं कि भूमि बंटवारे की कोई जरूरत नहीं है, वह अपने आप बंटती चली जा रही है।

श्रीमन्, विषयांतर होगा, लेकिन मैंने प्रश्न पूछा था कि जमींदारी अबालीशन के बाद उन काश्तकारों की संख्या कितनी है जिनके पास जमींदारी जब थी तो उनके पास खेती थी और जमींदारी खत्म होने के बाद फिर कितनी रह गयी? लेकिन उसका आज भी जवाब नहीं दिया जा सका। मैं बतला रहा हूं कि कोई नया खेत आपने नहीं दिया। किसी के पास बाप-दादा के जमाने के माफीनामे में जोत होगी उसीको दे दिया, कोई नयी आराजी नहीं दी, मुझे भी मालूम है, मैं भी देहात का रहने वाला हूं। मैं आप से बहुत बार कह चुका हूं कि काहे को एक बखेड़ा रखे हैं समाज में वर्ग बना कर और उनको भी बार-बार सुनने का मौका मिलता है और हमको

भी मिलता है। इस देश में विकास का काम हम सबको करना है और सबको सहयोग देना है और अगर वह प्रसन्नता के साथ करें तो अच्छा होगा, लेकिन यह तो हुकूमत की खूबी है कि उनके ऊपर टैक्स भी लगाते जाते हैं और जनता को चूसते जाते हैं। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव को वापस नहीं लेता।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१३) की पंक्ति २ में शब्द "Rs. 3,000" के स्थान पर शब्द "Rs. 1,000" तथा पंक्ति ३ में शब्द "fifty rupees" के स्थान पर शब्द "ten rupees" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--माननीय अवस्थी जी, आप अपने सब संशोधन एक साथ ही रख दें, आपको एक ही साथ भाषण देना होगा, क्योंकि दूसरा किसी का कोई संशोधन है नहीं। तो एक ही भाषण में आप सब रख दीजिये।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**--पहला संशोधन खंड ७ के उपखंड (१४) के संबंध में यह रखता हूं कि पंक्ति २ में जहां "eighteen rupees" है वहां "ten rupees" रख दिये जायं। खंड ७ के उपखंड (१६) के भाग (१) में जहां पर "fifteen rupees" वहां पर "ten rupees" रख दिये जायं और उसी का जो भाग (२) है उसमें "thirty rupees" की जगह "twenty rupees" रख दिये जायं और भाग (३) में "fifteen rupees" की जगह "ten rupees" रख दिये जायं।

इसलिए २ संशोधन अलग अलग हैं। एक अनुच्छेद १४ के बारे में है, एक आर्टिकिल ५७ के बारे में है। यह आर्टिकिल ५७ सिक्योरिटी बांड और मार्गेज डीड के बारे में है। इसमें पहले १२ रुपये की बात थी और अब १५ पये की बात रखी गयी है। मेरा कहना है कि इसका भी टैक्सेशन घट कर १० रुपये रहना चाहिये। यह जो हम लोगों की तरफ से प्रयास हो रहा है कि किसी प्रकार से रेट घटाया जाय उस पर कुछ सज्जन उधर से कहते हैं कि समय की बरबादी क्यों करते हो। मैं उनसे ही कहता हूं कि तुम रुपये की बरबादी क्यों करते हो? यह रुपये लेकर आप बरबाद ही करेंगे और इसका पूरा-पूरा प्रमाण हमारे पास है और विश्वास भी है लेकिन उल्टे आप हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि समय की बरबादी कर रहे हैं। समय की बरबादी नहीं बल्कि अपना कर्त्तव्य निभा रहे हैं। चाहे हम अल्पमत में ही क्यों न हों लेकिन सत्य कहने का तो साहस करते हैं और बार-बार आपको यह मौका देते हैं कि आप भी पकड़ने की हिम्मत करें।

हर जगह टैक्स बढ़ाने के ही पक्ष में तर्क दिये गये और एक भी संशोधन स्वीकार करने की बात कहीं भी नहीं रखी गयी। उनको तो प्लानिंग के लिये रुपया चाहिये चाहे कोई दे सके या न दे सके।

मेरा दूसरा संशोधन अनुच्छेद ६२ में है। यह अनुच्छेद ट्रांसफर के बारे में है--

"Transfer of an interest secured by a bond, mortgage deed or policy of insurance if the duty on such insurance, mortgage deed or policy does not exceed Rs.5."

इसके (सी०) (डी०) (ई०) भागों में सरकार परिवर्तन कर रही है। उन्हीं परिवर्तनों में मेरा यह परिवर्तन है कि जो रेट है वह घटा दिया जाय। ट्रांसफर भी कुछ ऐसा हो गया है कि वह निर्धन और गरीब किसानों के लिये आवश्यक सा हुआ करता है। हस्तान्तरण चाहे विरासत के रूप में हो, चाहे खरीद फरोख्त के रूप में हो या दूसरे तरीके से हो बहुत काफी तादाद में होता है और जो बढ़ोत्तरी की जा रही है हमें उससे शंका पैदा होती है कि फिर गरीबों के विरुद्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

जायगा। दफा ६२ के भाग (सी०) (डी०) (ई०) एक प्रकार से उन्हीं लोगों के सम्बन्ध में आते हैं जिनके लिये हमने बार-बार यहां प्लीड किया है। यद्यपि हमने हाउस का काफी समय लिया लेकिन अन्ततोगत्वा हमारी मन्शा यही है कि कहीं न कहीं कुछ राहत मिले। लेकिन हमारे सारे प्रयत्नों के बाद भी हम एक पैसे की भी राहत नहीं दिला सके। सरकार अपना पाउन्ड आफ फ्लेश मांगती है। वह चाहे जो करे। लेकिन मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे अन्तिम संशोधन को मानने की कृपा करेंगे।

*श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--अध्यक्ष महोदय, हमारे अवस्थी जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसकी ताईद कर रहा हूं। आर्टिकिल ५७ सिक्योरिटी बांड्स के बारे में है। सिक्योरिटी बांड में ओरिजिनल एक्ट में ५ रुपये पड़ते थे। उसको प्रान्तीय सरकार ने १२ किये। १२ रुपये से १८ रुपये किये गये यानी सरेन्डर आफ लीज पर भी टैक्स बढ़ा है और यह गरीब तबके पर टैक्स बढ़ा है। इन पर मंत्री जी इजाफा न करें तो पुराना ही रहने दें, वही गनीमत होगा। अगर गरीबों के लिये उनके दिल में प्रेम है। वर्ना यह सब खाली थोथी बातें होंगी। मैं अर्ज कर दूं कि इतना टैक्स बढ़ा है कि जब पहले संशोधन पर वोट लिये गये तो कांग्रेस पक्ष में ऐसे आदमी विद्यमान हैं जिन्होंने वोट नहीं दिये और अपनी पार्टी की तरफ से वोट नहीं दिये। जब शोर हुआ कि वोट दो फिर भी हाथ नहीं उठाये। लेकिन ऐसे आदमियों की तादाद कांग्रेस में ज्यादा नहीं है। मंत्री जी मेरे तर्क को न मानें लेकिन यह तो देखें कि उनकी पार्टी के ही आदमियों ने क्यों वोट नहीं दिये?

श्री अध्यक्ष--आप बहस करें, वोट का जिक्र न करें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--श्रीमन्, यह तो मेरा आरगूमेंट है कि उनके ही आदमी उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। एक साथ ही सब संशोधन पेश किये गये वैसे अलग-अलग पेश करने का मौका देना चाहिये था। लेकिन वह जानते हैं कि इतनी संख्या है सब का हश्र वही होगा। इसलिये सब को चूं-चूं का मुरब्बा बना दिया।

श्री अध्यक्ष--लेकिन वोटिंग अलग-अलग होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--श्रीमन्, इसको तसलीम करता हूं लेकिन जो उनकी भावना है वह बहुमत की है कि जो चाहेंगे कर लेंगे। अगर बराबरी का पल्ला होता तो ऐसा नहीं होता..

श्री अध्यक्ष-- यह कोई बहस का विषय नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि गरीबों पर टैक्स बढ़ गया है। पहले जहां ४० सदस्य थे वहां अब १४४ सदस्य हो गये। अगर इसी तरह रहा तो अगले इलेक्शन में २८८ सदस्य हो जायेंगे। इसलिये यह ख्याल रखें और संभल जायं अगर आपको अपनी गद्दी कायम रखनी हो।

श्री सैयद अली जहीर--श्रीमन्, अगर सदन में तकरीर करने से ही बहुमत हो जाया करता तो उनको बहुमत आसानी से मिल जायगा लेकिन वह तो बाहर जाकर हासिल करना होगा। वहां उसकी क्या कदर होगी इसको जनता तय करेगी। बहरहाल मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं यह अर्ज कर दूं कि बढ़ोत्तरी थोड़ी-थोड़ी की गई है। पहले संशोधन के बारे में १२ रुपये से १८ रुपये किये गये हैं वह मारगेज बांड्स के बारे में हैं। इसी तरह से जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

२४ रुपये से ३० रुपये किये गये हैं वह ट्रांसफर के बारे में है और तीसरा जो १२ रुपये से १५ रुपये किये गये हैं उसके बारे में यह है कि:--

"Of any trust property without consideration from one trustee to another trustee or from a trustee to a beneficiary."

तो यह रीजनेबिल इंक्रीज है। इसलिए मैं इन संशोधनों को मंजूर नहीं कर सकता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो यहां तकरीर हो रही हैं वह आपके लिये नहीं हैं क्योंकि आपके कानों में तो अवरोध लगा है। यह तो बाहर के लोगों के लिये ही हैं जो हजारों कानों से सुना करते हैं और जो चाहते हैं यह बातें कही जायं और उन्हीं के लिये कही भी जा रही हैं। अन्त में मैं उनसे कहूंगा कि वह मेरे इन संशोधनों को मान लें।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१४) में पंक्ति दो में शब्द "eighteen rupees" के स्थान पर "ten rupees" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड १६ (१) की पंक्ति २ में शब्द "fifteen rupees" के स्थान पर "ten rupees" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१६) (२) की पंक्ति २ में शब्द "thirty rupees" स्थान पर "twenty rupees" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१६) (३) की पंक्ति २ में शब्द "fifteen rupees" के स्थान पर "ten rupees" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १ प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८

इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में और संशोधित करने का — ऐक्ट संख्या २, १८९९

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ में और संशोधन किया जाय : — ऐक्ट संख्या २, १८९९

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में निश्चित करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप यादव—अध्यक्ष महोदय, यह मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है पारित किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं जैसा कि यह संशोधित हुआ है, यह हमें अमान्य है। हम इसे अस्वीकार करते हैं और आशा है कि सारा हाउस अस्वीकार करेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है, जब माननीय मंत्री जी जिन्होंने पूरा बिल पायलट किया है, इस सदन में बैठे हों तो क्या एकदम दूसरे मंत्री टेक-अप कर सकते हैं? क्या यह संसदीय प्रथा है?

श्री अध्यक्ष—वह दोनों एक ही हैं, उसमें कोई अन्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—६६,

विपक्ष में—१६।)

उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ पर संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ की संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १०१२–१०३१ पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—इसकी कापी हमको नहीं मिली?

श्री अध्यक्ष—अभी तो वह हस्तलिखित है। आज टेबिल पर दी गई है। कल इसकी छपी हुई प्रतिलिपियां सदन में रखी जायंगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह कब लिया जायगा?

श्री अध्यक्ष—यह शायद १३ तारीख को लिया जायगा क्योंकि इसके लिये १० घंटे का समय रखा गया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—उस दिन तो शनिवार है।

श्री अध्यक्ष—उस दिन नहीं लिया जायगा तो दूसरे किसी दिन लिया जायगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
९ दिसम्बर, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१० पर)

नियमित रेगुलर तथा शरणार्थी रिफ्यूजी फैब्रीकेटरों की सूची

क्रम-संख्या	जिला	श्रेणी	नियमित (रेगुलर) फेब्रीकेटर: फेब्रीकेटरों की संख्या	नियमित (रेगुलर) फेब्रीकेटर: कोटा टनों में	नियमित (रेगुलर) फेब्रीकेटर: योग	शरणार्थी (रिफ्यूजी) फेब्रीकेटर: फेब्रीकेटरों की संख्या	शरणार्थी (रिफ्यूजी) फेब्रीकेटर: कोटा टनों में	शरणार्थी (रिफ्यूजी) फेब्रीकेटर: कुल योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	कानपुर ..	ए	१५	६००				
		बी	२३	५१६				
		सी	२८	२८२				
		डी	४२	२२६	१,६२४	५२	७४८	२,३७२
२	आगरा ..	ए	६	२२०				
		बी	७	१४८				
		सी	२४	२६१				
		डी	१४	७८	७०७	२३	२१८	९२५
३	देहरादून ..	सी	४	३८				
		डी	१	६	४४	२	३२	७६
४	सहारनपुर..	ए	१	४०				
		बी	५	८०				
		सी	१	९	१२९	४	६६	१९५
५	बुलन्दशहर..	ए	२	८०	८०	..	..	८०
६	मुजफ्फरनगर	सी	२	२४				
		डी	२	१२	३६	..	..	३६
७	मेरठ ..	सी	४	४५				
		डी	३	१७	६२	९	१०२	१६४
८	मथुरा ..	डी	१	६	६	२	१८	२४
९	मैनपुरी ..	सी	१	८				
		डी	१	६	१४	..	..	१४
१०	एटा ..	बी	१	२०				
		सी	१	१०	३०	..	..	३०
११	बरेली ..	ए	१	४०				
		डी	३	१६	५६	१	१२	६८
१२	बदायूं ..	सी	१	१०	१०	..	..	१०
१३	मुरादाबाद..	ए	२	८०				
		बी	४	९६				
		सी	८	९६				
		डी	८	४७	३१९	३	३२	३५१

क्रम-संख्या	जिला	श्रेणी	नियमित (रेगुलर) फेब्रीकेटर की संख्या	नियमित (रेगुलर) कोटा टनों में	नियमित (रेगुलर) योग	शरणार्थी (रिफ्यूजी) फेब्रीकेटर की संख्या	शरणार्थी (रिफ्यूजी) कोटा टनों में	कुल योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१४	शाहजहांपुर	डी	६	२६	२६	..	..	२६
१५	पीलीभीत ..	ए	१	४०	४०	..	..	४०
१६	लखनऊ	सी	४	३८				
		डी	६	२९	६७	६	५०	११७
१७	सीतापुर ..	बी	१	२४	२४	..	..	२४
१८	खीरी ..	बी	१	१६				
		सी	१	१२				
		डी	१	६	३४	..	..	३४
१९	गोरखपुर ..	सी	१	१०	१०	..	..	१०
२०	फैजाबाद ..	सी	२	१८				
		डी	७	३५	५३	२	१२	६५
२१	गोंडा ..	बी	१	२०	२०	..	..	२०
२२	सुल्तानपुर	सी	१	१२	१२	..	..	१२
२३	रामपुर ..	ए	१	३२				
		सी	१	१२				
		डी	३	११	५५	१	३	५८
२४	बिजनौर ..	बी	५	१२०				
		सी	१	१२				
		डी	१	६	१३८	..	..	१३८
२५	इलाहाबाद..	ए	५	१५०				
		बी	७	१४४				
		सी	९	१००				
		डी	६	२९	४२३	६	११२	५३५
२६	फर्रुखाबाद..	बी	१	१६				
		सी	२	२२				
		डी	३	१८	५६	..	..	५६
२७	इटावा ..	बी	१	२४				
		डी	४	२४	४८	१	२०	६८
२८	झांसी ..	ए	१	५४				
		बी	३	६९	१२३	२	१२	१३५

क्रम-संख्या	जिला	श्रेणी	नियमित (रेगुलर) फेब्रीकेटर			शरणार्थी (रिफ्यूजी) फेब्रीकेटर		
			फेब्रीकेटरों की संख्या	कोटा टनों में	योग	फेब्रीकेटरों की संख्या	कोटा टनों में	कुल योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९
२९	वाराणसी ..	ए	१	३२				
		बी	८	१६०				
		सी	८	७६				
		डी	७	३२	३००	१	६	३०६
३०	मिर्जापुर ..	ए	१	३०				
		सी	१	१२				
		डी	१	४	४६	..	..	४६
३१	जौनपुर ..	सी	१	१२				
		डी	१	५	१७	..	..	१७
३२	गाजीपुर	सी	२	२४				
		डी	१	६	३०	..	..	३०
३३	बलिया ..	बी	१	१६				
		सी	४	४२				
		डी	४	२०	७८	..	..	७८
३४	बस्ती ..	डी	१	६	६	..	..	६
३५	आजमगढ़	ए	१	४०				
		सी	१	१२				
		डी	२	१२	६४	..	..	६४
३६	देवरिया ..	सी	१	१०	१०	..	..	१०
३७	अलीगढ़ ..	ए	१	३२	३२	५	८४	११६
३८	रायबरेली ..	..	..	..	..	१	६	६
३९	हमीरपुर ..	डी	१	६	६	..	..	६
४०	जालौन ..	डी	१	६	६	..	..	६
	योग ..		३५३	४,८४४	४,८४१	१२१	१,५३३	६,३७४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९११ पर)

बाराबंकी शहर में सस्ते गल्ले की दूकानों पर १२ सितम्बर, १९५८ तक बिक्री किये गये गल्ले की मात्रा की तालिका

मुहल्ले का नाम जहां दूकान है		गल्ले की मात्रा								
		गेहूं			आटा			मैदा		
		मन	सेर	छ०	मन	सेर	छ०	मन	सेर	छ०—
परिबटावन ..	..	६३२	१२	१२	३३	२६	१०	११	३२	११
कानूनगोयान	..	६२८	३२	१०	३०	२७	३	१८	३२	३
कटरा ..	..	६५३	१०	१२	२२	२७	१४	१३	२२	७
सरावगी ..	..	६४७	१९	१५	२४	१०	९	९	०	११
सिविल लाइन्स	..	६४९	४	६	१७	१	३	८	०	०

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ व १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१८ पर)

तालिका (१)

जिला गोरखपुर में जिन ईंट के भट्ठों को कोयले का कोटा दिया जाता है उनकी तहसीलवार सूची

नाम तहसील		ईंट के भट्ठे		योग
		श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	
१—सदर	शहरी क्षेत्र	९	८	१७
	ग्रामीण क्षेत्र . ..	३	५	८
२—बांसगांव		१	२	३
३—महाराजगंज		..	१	१
४—फरेंदा		२	३	५
	योग ..	१५	१९	३४

तालिका (२)

जिला गोरखपुर में जिन चूने के भट्ठों को कोयले का कोटा दिया जाता है उनकी तहसीलवार सूची

नाम तहसील		चूने के भट्ठे
१—सदर	शहरी क्षेत्र	६
	ग्रामीण क्षेत्र	१
२—बांसगांव		१
३—महाराजगंज		..
४—फरेंदा		..
	योग ..	८

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२७ पर)

सूची

पद	कुल संख्या	परिगणित जाति के व्यक्तियों की संख्या	पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की संख्या
(अ) पी० ए०	५	..	..
(ब) सुपरिन्टेंन्डिग इन्जीनियर ..	८	..	..
(स) एक्जीक्युटिव इन्जीनियर ..	४१	..	..
(द) असिस्टेंट इन्जीनियर ..	१८८	३	..
(क) असिस्टेंट इन्जीनियर ब्रिज ऐन्ड प्लानिंग	६	..	..
(ख) डिवीजन रिसर्च इन्जीनियर	१	..	..
(ग) असिस्टेंट रिसर्च आफिसर ..	१	..	..
(घ) डिस्ट्रिक्ट इन्जीनियर ..	२५	..	..
(ङ) ओवरसियर	७०८	७	..
(च) वर्क सुपरवाइजर	२३५	९	२१
(छ) आफिस सुपरिन्टेंडेंट ..	..	..	..
हेड क्लर्क	४१	..	..
क्लर्क	१,४४८	३१	९
(ज) मेट	२,४११	३७४	६२४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२७ पर)

अलीगढ़ शहर तथा जिले में स्थित वह भट्ठे जिनको इस विभाग से कोयला मिलता है उनकी तहसीलवार सूची तथा उनको वर्तमान वर्ष में जितना कोयले का कोटा दिया गया है उसका विवरण

नाम तहसील	ईंट के भट्ठों की संख्या		कोयले का कोटा जो वर्तमान वर्ष में दिया गया		
				वैगन	वैगन
१—शहर ..	१५	५	भट्ठों में प्रत्येक को ..	१२	६०
		१	भट्ठे को	११	११
		१	भट्ठे को ..	१०	१०
		६	भट्ठों में प्रत्येक को ..	९	५४
		२	भट्ठों में प्रत्येक को ..	७	१४
		१५			१४९
२—कोइल ..	१०	१	भट्ठे को ..	१०	१०
		१	भट्ठे को ..	८	८
		३	भट्ठों में प्रत्येक को ..	६	१८
		१	भट्ठे को ..	४	४
		१	" " ..	२	२
		३	भट्ठों में प्रत्येक को ..	५	१५
		१०			५७
३—हाथरस ..	१३	१	भट्ठे को ..	१०	१०
		५	भट्ठों में प्रत्येक को ..	९	४५
		२	" " ..	६	१२
		१	भट्ठे को ..	७	७
		१	" " ..	५	५
		२	भट्ठों में प्रत्येक को ..	४	८
		१	भट्ठे को ..	१	१
		१३			८८
४—सिकन्दराराऊ	११	१	भट्ठे को ..	१०	१०
		१	" " ..	९	९
		२	भट्ठों में प्रत्येक को ..	७	१४
		२	" " ..	६	१२
		१	भट्ठे को ..	५	५
		२	भट्ठों में प्रत्येक को ..	४	८
		१	भट्ठे को ..	१	१
		१	" " ..	शून्य	..
		११			५९

विधान सभा प्रदेश

नाम तहसील	ईंट के भट्ठों की संख्या			कोयले का कोटा जो वर्तमान वर्ष में दिया गया	
				वैगन	वैगन
५—अतरौली ..	२१	५	भट्ठों में प्रत्येक को ..	९	४५
		१	भट्ठे को ..	८	८
		२	भट्ठों में प्रत्येक को ..	६	१२
		६	" " ..	५	३०
		३	" " ..	४	१२
		४	" " ..	शून्य	..
		२१			१०७
६—खैर ..	५	१	भट्ठे को ..	९	९
		२	भट्ठों में प्रत्येक को ..	८	१६
		१	भट्ठे को ..	४	४
		१	भट्ठे को ..	शून्य	..
		५			२९
७—इगलास ..	४	१	भट्ठे को ..	१२	१२
		१	भट्ठे को ..	६	६
		२	भट्ठों को ..	शुन्य	..
		४			१८
योग		७९			५०७

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२८ पर)

नगरपालिका का नाम		धनराशि	मद
		रुपये	
आंवला	..	११,७२३	शिक्षा के लिए।
		१७०	मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट के फलस्वरूप होने वाली हानि की पूर्ति के लिए।
		२५२	कुछ ऐक्टों के अधीन शासन द्वारा वसूल किये जाने वाले जुर्माने के फलस्वरूप होने वाली आय की हानि की पूर्ति के लिए।
		६,५००	कम्पोस्ट योजना के अन्तर्गत।
फरीदपुर	..	४,२००	सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए।
बहेड़ी ..	..	४,२००	सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२८ पर)

तहसील खलीलाबाद में उन स्थानों की सूची जहां सस्ते गल्ले की दूकानें हैं

१--खलीलाबाद
२--सेमरयावां
३--बुद्धाकलां
४--हरिहरपुर
५--महूली
६--तामा
७--बरहाबा
८--कोपिया माफी
९--कोदरा
१०--बखीरा
११--सानीचारा बाजार
१२--मगहर
१३--हैंसर बाजार
१४--पचपोखारी
१५--मुखलिसपुर
१६--भुजैची
१७--सांखी
१८--धनघटा
१९--नागन
२०--गजाधरपुर
२१--परसाहर
२२--मारपवना
२३--चकदही
२४--सलेहपुर
२५--टंडवारिया
२६--दुधारा
२७--मेहदावल
२८--बूदीपार
२९--सिरसिहवा
३०--जमदीह
३१--शुगर फैक्टरी खलीलाबाद
३२--बमनौली
३३--करमैनी
३४--छिताही
३५--बांदा बाजार
३६--बाघनगर
३७--गजाधरपुर
३८--बाघी
३९--बघौली
४०--बेलौली
४१--परस
४२--गिरधरपुरा
४३--बनकाटा
४४--मेंहदावल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२८ पर)

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	बंजर	जंगल
		एकड़	एकड़
१	बर्डपुर नं० २	४८	१६७
२	,, ३	२१७	७८
३	,, ४	३४७	१३७
४	,, ५	८०१	४९
५	,, ६	१	१६
६	दुल्हा जनूबी	६९	२०
७	दुल्हा शुमाली	९४	४४
८	दुल्हा दरमियानी	२४०	३९
९	दुल्हा खुर्द	..	१०
१०	नउरा स्टेट जंगल	..	२०
११	बजहा जंगल	..	४
१२	राम नगर नं० १	२०	..
१३	जमुहवा	५४	..
१४	सूरज कुन्डिया	२७	३१
१५	पल्टा देवी	३४	८५
१६	मदरहना	८३	..
१७	मुजरौलिया ग्रन्ट	२३३	१७५
१८	कपिया ग्रन्ट	..	५
१९	अलीदापुर	..	३१
२०	बर्डपुर नं० १४	८६६	२२३
२१	भीमापार	१६३	..
२२	रोमापार	१२५	..
२३	चिलधारा ग्रन्ट	१६६	..
२४	चेतिया	..	६१
२५	गाय घाट	१०९	३२
२६	कोन्डरा ग्रन्ट	५२	१४
२७	कधिया बुकनिया ग्रन्ट	११	५५
२८	बर्डपुर नं० १३	१९	१६
२९	सीतारामपुर	४१	९
३०	बरगवान	२०	५९
३१	मदिडना	४	..
३२	टेकनार	..	४९
३३	भन्डेहर ग्रन्ट	..	११६
	योग ..	३,८४४	१,५४५

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३२ पर)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फैजाबाद जिले में पक्की की जाने वाली सड़कों की सूची

चालू योजनायें—

जलालपुर-रामगढ़ सड़क	..	..	१३ ६/८ मील

नयी योजनायें—

अकबरपुर-दोस्तपुर सड़क	..	..	१० मील

चीनी मिल क्षेत्रों में पेन्टेड सड़कों व सी० सी० ट्रैक का निर्माण—

१—जमूरतगंज-हरनाथगंज पेन्टेड सड़क	..	९ मील
२—लंगड़ा की चौकी-दर्शननगर सी० सी० ट्रैक	..	३ मील
३—मसोधा-सुचेतगंज सी० सी० ट्रैक	..	६ मील

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४१ पर)

कुमाऊं डिवीजन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित पुल बनाये जाने की योजना है

जिला अल्मोड़ा—

१—तेजम में रामगंगा नदी पर एक झूला पुल।
२—देवता एवं बदनगढ़ स्थान पर पुलों का निर्माण।
३—अल्मोड़ा-बागेश्वर मार्ग गोमती नदी का पुल।
४—रामेश्वर में रामगंगा नदी पर झूला पुल।
५—धरचूला में काली नदी पर झूला पुल।
६—नचनी में भुजगढ़ नदी पर झूला पुल।
७—नैगांव के निकट काली राव नदी पर झूला पुल।
८—ओनेरी में रामगंगा नदी पर एक झूला पुल।
९—क्युटी के निकट जोकुला के ऊपर झूला पुल का निर्माण।
१०—टंगा के निकट सेवा नदी पर झूला पुल।

जिला गढ़वाल—

१—कोटद्वारा-लैन्सडाउन मार्ग पर खो नदी का पुल।
२—लंगसी स्थान पर पुल का निर्माण।
३—धौली गंगा पर एक गर्डर पुल का निर्माण।
४—मोहन-डोमैल-ब्रैजराव मार्ग पर रामगंगा नदी का पुल।
५—जिला गढ़वाल में झूला पुल (५)।
६—सुमेरपुर में अलखनन्दा पर एक झूला पुल।
७—बद्रीनाथ के निकट अलखनन्दा पर एक झूला पुल।
८—सुमेरपुर धरकोट, कोठुंगी, सारी, सेमी, सोनली तथा मैथाना में अलखनन्दा नदी पर झूला पुलों का निर्माण (८)।
९—रुद्र प्रयाग-गुप्तकाशी मार्ग पर अलखनन्दा का पुल।
१०—कर्णप्रयाग-द्वाराहाट मार्ग पर रामगंगा का पुल।
११—कर्णप्रयाग-द्वाराहाट मार्ग पर अतागाद का पुल।
१२—अगस्तमुनि-गुप्तकाशी मार्ग पर कुंड में मन्दाकिनी का पुल।
१३—अगस्तमुनि गुप्तकाशी मार्ग पर चन्द्रपुरी का पुल।
१४—कालीमठ में काली गंगा का पुल।
१५—विभिन्न अश्व मार्गों पर स्थित पुलों का पुनः निर्माण।
१६—सिरोली में अतागाद पर पुल।
१७—दोगड्डा के निकट कोह नदी का पुल।
१८—अतागाद में पुल का निर्माण।
१९—सोनला में अलखनन्दा के ऊपर एक झूला पुल।
२०—चिमकी के निकट अलखनन्दा पर झूला पुल।
२१—बुदगांव में मण्डल नदी पर झूला पुल।
२२—मरोरा में पूर्वी नायर के ऊपर झूला पुल।
२३—कुलसरी और हरौनी के बीच गिडर नदी पर झूला पुल।
२४—ढक के निकट धौलीगंगा पर झूला पुल।
२५—नीती में धौली गंगा पर झूला पुल।
२६—घोलटीर में पुल का निर्माण।

जिला नैनीताल—

१—खातिमा-सितारगंज मार्ग पर पुलों का पुनर्निर्माण।
२—जिला नैनीताल में पैदल पुलों का निर्माण।

जिला टेहरी-गढ़वाल—

१—टेहरी में भगीरथी का पुल।
२—धरासु-बरकोट मार्ग पर धारा का पुल।
३—नीलौंग-पुलभसुंडा मार्ग पर स्थित दो लकड़ी के पुलों का पुनर्निर्माण तथा ५ नये अस्थायी पुलों का निर्माण।
४—भगीरथी पर हदियारी का पुल।
५—नौगांव के निकट जमुना का पुल।
६—श्रीनगर में अलखनन्दा का पुल।
७—भगीरथी नदी पर गंगोत्री का पुल।
८—भगीरथी नदी पर कोटेश्वर का पुल।
९—पंजाना में लस्टर पुल का निर्माण।
१०—भगीरथी नदी पर मल्थाना पुल।
११—भैरोंघाटी में जादगंगा पर झूला पुल।
१२—कीर्तिनगर में अलखनन्दा पर पुल।
१३—जिला टेहरी में चार झूला पुल।

उत्तराखण्ड विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४२ पर)

लखनऊ जिले की तहसील लखनऊ व मोहनलाल गंज में खोली गई सस्ते गल्ले की दूकानों की तालिका

	दुकानों की संख्या	दुकान खुलने की तारीख
तहसील लखनऊ—		
काकोरी	१	३—१०—५८।
दुगवर	१	१९—९—५८।
मलासेमऊ	१	२०—९—५८।
बारी कलां	१	९—१०—५८।
	४	
तहसील मोहनलालगंज—		
मोहनलाल गंज	१	२४—१०—५८।
गोशाईंगंज	१	१७—९—५८।
गोशाईंगंज	१	२८—१०—५८।
रहमतनगर	१	१—१०—५८।
सिसेंडी	१	३—१०—५८।
मस्तेमऊ	१	२४—१०—५८।

संसद पुस्तकालय विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९९६ पर ।)

उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ पर संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन

हम संयुक्त प्रवर समिति के निम्न हस्ताक्षरकर्ता सदस्यों को उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८, विचारार्थ निर्दिष्ट किया गया था। हमने अपनी विभिन्न बैठकों में इस विधेयक पर विचार कर लिया है और अब हम संलग्न विधेयक के साथ, जिस रूप में हमने इसे संशोधित किया है, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

२--समिति की बैठकें, विधान भवन, लखनऊ में सहकारिता मंत्री, श्री मोहनलाल गौतम, की अध्यक्षता में ५, ७, ८ तथा ९ दिसम्बर, १९५८ को हुईं। समिति की कार्यवाही तथा विधेयक पर खंडशः विचार के फलस्वरूप इस विधेयक में कुछ संशोधनों का समावेश कर दिया गया है जिनमें से महत्वपूर्ण संशोधन निम्नलिखित हैं---

(१) खंड २ को इस प्रकार संशोधित कर दिया गया है कि विधेयक में अध्यापक और विश्वविद्यालय की परिभाषाएं भी सम्मिलित हो जांय।

(२) खंड १० के उप-खंड (२) के भाग (ज) को इस प्रकार संशोधित कर दिया गया है कि 'पंजीकृत स्नातकों' का एक प्रतिनिधि भी बोर्ड में सम्मिलित हो जाय, उत्तर प्रदेश स्टेट फार्मर्स फोरम का प्रतिनिधि कृषक हो, राज्य समाज कल्याण बोर्ड का प्रतिनिधि एक ऐसी महिला हो जो सरकारी कर्मचारी न हो और यू० पी० कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड का प्रतिनिधि ऐसा हो जो सरकारी कर्मचारी न हो।

(३) खंड १० के उपखंड (८) को इस प्रकार संशोधित कर दिया गया है कि बोर्ड को विश्वविद्यालय के धन को लगाने का अधिकार प्राप्त हो जाय।

(४) खंड ११ को इस प्रकार संशोधित कर दिया गया है कि उप-कुलपति की पदावधि ४ साल सीमित हो जाय और एक व्यक्ति २ से अधिक पदावधियों के लिये नियुक्त न हो सके।

(५) खण्ड २८ से शब्द 'हाल' तथा 'महाविद्यालय' निकाल दिये गये हैं क्योंकि विधेयक के अन्य उपबन्धों को देखते हुए ये अनावश्यक प्रतीत हुए।

चूंकि यह विधेयक २९ नवम्बर, १९५८ को सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुका है और समिति ने कोई ऐसा महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया है जिसके कारण इस विधेयक को पुनः प्रकाशित कराना आवश्यक हो, अतएव समिति ने निश्चय किया कि इसको पुनः प्रकाशित न किया जाय।

मोहनलाल गौतम,
वीरेन्द्र स्वरुप (विमति टिप्पणी संलग्न),
*मदन मोहन
इन्द्रसिंह नयाल
कृष्ण देव प्रसाद गौड़
जगदीश शरण अग्रवाल
जयराम वर्मा
सुनीता चौहान
वीरसेन,
*टम्बरेश्वर प्रसाद
एम० जे० मुकर्जी
राजाराम शास्त्री
प्रताप चन्द्र आजाद
फतेहसिंह राणा
सुरेश प्रकाश सिंह
शिवराज सिंह यादव
नरेन्द्र सिंह विष्ट
*नारायणदत्त तिवारी,
राघवेन्द्र प्रताप सिंह
*भीखालाल
*प्रताप सिंह।

---

*विमति टिप्पणी देने अधिकार सहित।

NOTE OF DISSENT

While I must congratulate the Government of Uttar Pradesh for the step they have taken to establish an Agricultural University in this State, this will perhaps be of its own kind in the entire Indian Union, I am afraid I cannot help drawing the attention of the Government and the Legislature to some of the provisions of the Bill which I honestly consider will, if they stand as they are, strike at the very root of the University autonomy and a great objective, a lofty ideal and a sublime mission, frankly speaking, will stand defeated to a great extent if the provisions to which I shall take exception hereinafter, are not brought into tune and harmony with the existing pattern of the University legislation prevailing in this country and the .principles enunciated in the report of the University Education Commission presided over by the acknowledged and undisputed leader of the present day education, Dr. Sir S. Radhakrishnan.

1. In the preamble of the Bill to establish and incorporate the Agricultural University in Uttar Pradesh, it has been stated "whereas it is expedient to establish and incorporate an Agricultural University for the development of Agriculture and for the benefit of the rural people of Uttar Pradesh.....". It is rather unfortunate that in the very preamble a distinction and a classification between rural and non-rural people has been drawn up. The portals of any temple of learning cannot be open to the people of any praticular class, creed, sex or race and it will, therefore, be in consonance not only with the existing pattern of the University Education in India and abroad but also in the faithful observance of the directive principles given to this country by the Constitution of the Sovereign Democratic Republic of Indian Union, that the word "rural" should be dropped so as to make the people at large feel that the University has been founded for the benefit of the people of Uttar Pradesh and not alone for the rural people of Uttar Pradesh.

2. In view of the reasons advanced above, it is suggested that the word "rural" should be dropped from sub-clause (*a*) of clause 4 also, for, if that is not done it will lead to conflict between the two provisions of the Bill itself as in clause 5 of the Bill it has been laid that the University shall be open to all persons regardless of their class, creed, etc.

3. A University without a Court or a Senate is in-conceivable in the existing circumstances and under the existing pattern of University Legislation in this country. It has, however, been stated that the proposed legislation has been shaped in accordance with the Land Grant College of U. S. A. Assuming for a moment that the creation of a supreme governing body is dispensed with, it becomes all the more necessary that the constitution of the Board of Management as envisaged in clause 10 of the Bill, is so revised and modified as to free it from the predominant official control now contemplated in the Bill.

4. Under sub-clause (4) of clause 10, it has been laid down that the chief executive body of the University which is Board of Management, shall elect its own Chairman from amongst its members. This again is a provision which offends the basic principle of the University autonomy and hits the existing pattern of the University legislation. An instance where the chief executive body is presided over by a member of that body in preference to the Vice-Chancellor is yet to be discovered. It will be a mockery of the exalted office of the Vice-Chancellor if a member of the Board presides over its deliberations and the Vice-Chancellor takes his seat among the members.

5. The term of office of the members of the Board other than *exofficio* members of the Board put down at six years in sub-clause (5) of clause 10 is

rather long and the provision should be revised so as to give the members other than the *ex officio* members a fixed term of five years without any ridder of one-third members retiring after every third year.

6. The Chancellor has been given under sub-clause (1) of clause 11 power to appoint the first Vice-Chancellor for a period not exceeding four years and on such terms as the Chancellor may determine. This provision should be modified so as to confer upon the Chancellor the power to appoint First Vice-Chancellor for a period not exceeding two years.

7. The powers and duties of the Vice-Chancellor as enumerated in clause 12 of the Bill require a thorough revision for in a few instances they are ridiculous and in few others they are, indeed, excessive and sweeping.

8. The power given to the Vice-Chancellor to appoint the Dean of the Student Welfare, subject to the approval of the Board, is again without any parallel. The appointment should be made by the Board on the recommendation of a Selection Committee consisting of the Vice-Chancellor (Chairman), a nominee of the Board and an expert appointed by the Chancellor.

9. The observations made in paragraph 8 apply equally to the provisions made in clause 26 of the Bill in regard to the salaried officers and teachers of the University. The appointment should be made by the Board not on the recommendation of the Vice-Chancellor alone but on the basis of recommendation by a Selection Committee consisting of the Vice-Chancellor (Chairman), a nominee of the Board and an expert appointed by the Chancellor.

10. The power of the Vice-Chancellor to appoint the Registrar of the University subject to the approval of the Board as envisaged in sub-clause (1) of clause 14 is again drastic. The appointment should be made by the Board on the recommendation of a Selection Committee consisting of Vice-Chancellor (Chairman), a nominee of the Chancellor and a nominee of the Chairman of the U. P. Public Service Commission.

December 9, 1958. VIRENDRA SWARUP.

उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८

(जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों [ ] में है, तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है।)

उत्तर प्रदेश के लिये एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि कृषि के विकास तथा उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता के लाभ के लिये एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किया जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषायें

२--विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में :

(क) "विद्वत् परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्वत् परिषद् (Academic Council) से है ;

(ख) "कृषि" का तात्पर्य भूमि तथा जल के प्रबंध, फसल तथा पशु-धन के उत्पादन एवं प्रबन्ध और ग्रामीण जनता के सुधार के आधारभूत (basic) तथा व्यावहारिक (applied) विज्ञान से है ;

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के प्रबन्धक बोर्ड (Board of Management) से है ;

(घ) "फैकल्टी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की फैकल्टी (Faculty) से है ;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (Governor) से है ;

(च) (सजातीय पदों सहित) "नियत" का तात्पर्य परिनियमों (Statutes) द्वारा नियत से है ;

(छ) "पंजीकृत स्नातक" का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पंजीकृत किसी स्नातक (Registered Graduate) से है ;

(ज) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(झ) "परिनियमों" तथा "विनियमों" का तात्पर्य क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के परिनियमों (Statutes) तथा विनियमों (Regulations) से है ;

(ञ) "विश्वविद्यालय का छात्र" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय में यथाविधि स्थापित (duly instituted) किसी उपाधि (degree), डिप्लोमा या शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टता (academic distinction) के निमित्त किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रयोजन से नामांकित (enrolled) हो;

(ट) "अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अध्यापन अथवा अनुसंधान या प्रसार-कार्यक्रम के संचालन तथा पथ-प्रदर्शन के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अथवा अभिज्ञात हो ;

(ठ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से है ।

विश्वविद्यालय

३--(१) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति (Chancellor) तथा प्रथम उप-कुलपति तथा बोर्ड (Board) और विद्वत परिषद् के प्रथम सदस्य, और वे समस्त व्यक्ति, जो एतद्पश्चात् ऐसे पदाधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे उक्त पद पर या सदस्य बने रहें, एतद्द्वारा "उत्तर प्रदेश कृषि-विश्व-विद्यालय" के नाम से एक निगमित संस्था संघटित किये जाते हैं।

(२) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार (perpetual succession) होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, तथा उक्त नाम से ही वह वाद प्रस्तुत करेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जायगा ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।

४--विश्वविद्यालय अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रयोजनों के निमित्त स्थापित तथा निगमित समझा जायगा :

(क) उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता को विभिन्न विषयों, विशेषकर कृषि, ग्रामीण उद्योग तथा व्यवसाय और अन्य सम्बन्धित विषयों, में शिक्षा देने के लिये व्यवस्था करना ;

(ख) अनुसंधान-कार्य को विशेषकर कृषि तथा अन्य सम्बन्धित विज्ञानों में, [अनुसंधान-कार्य को] आगे बढ़ाना ; तथा

(ग) क्षेत्रीय तथा प्रसार कार्य-क्रम (Field and Extension Programmes) अपनाना ।

विश्वविद्यालय सभी के लिये होगा।

५--विश्वविद्यालय, इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों के लिये खुला होगा, किन्तु इस धारा की किसी बात से यह अपेक्षित न समझा जायगा कि विश्वविद्यालय [से] किसी भी पाठ्य-क्रम में निर्धारित संख्या से अधिक विद्यार्थी प्रविष्ट करे [करना अपेक्षित होगा ।]

विश्वविद्यालय के अधिकार।

६--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकार होंगे :

(१) कृषि, ग्रामीण उद्योग तथा व्यवसाय और सम्बन्धित विज्ञानों तथा विद्या की ऐसी अन्य शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, शिक्षा की व्यवस्था करना ;

(२) अनुसंधान-कार्य और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार तथा प्रसार-कार्यक्रमों के लिये व्यवस्था करना ;

(३) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टताओं की स्थापना करना ;

(४) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टताओं के निमित्त परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें ऐसे व्यक्तियों को प्रदान एवं सम्प्रदान (grant and confer) करना—

(क) जिन्होंने [विश्वविद्यालय में] किसी पाठ्यक्रम का यथा नियत अध्ययन किया हो ; या

(ख) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा तदर्थ अभिज्ञात किसी संस्था में परिनियमों में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुसंधान-कार्य किया हो ;

(५) परिनियमों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा रीति से सम्मान्य उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टतायें (honorary degrees or other distinctions) प्रदान करना ;

(६) क्षेत्र-कर्मियों (field workers) तथा अन्य व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों, ऐसे डिप्लोमा प्रदान करना तथा उनके लिये ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षण की व्यवस्था करना जो विश्वविद्यालय निर्धारित करे ;

(७) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के निमित्त सहयोग करना जो विश्वविद्यालय निर्धारित करे ;

(८) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन, अनुसन्धान तथा प्रसार के पदों की स्थापना करना तथा उन पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना ;

(९) परिनियमों के अनुसार परिषद् [वृत्तियों] वृत्तियां (जिनके अन्तर्गत यात्रिक परिषद् वृत्तियां भी हैं) [छात्र-वृत्तियों] छात्रवृत्तियां तथा पारितोषिक [पारितोषिकों (prizes) की स्थानना करना] स्थापित और प्रदान करना [और उनका प्रदान किया जाना] ;

(१०) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास-स्थानों की स्थापना एवं उनका अनुरक्षण ;

(११) ऐसे शुल्क तथा अन्य परिव्यय मांगना और प्राप्त करना जो नियत किये जांय ;

(१२) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास-स्थान का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना तथा उनके अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण की वृद्धि के लिये प्रबंध करना ;

(१३) प्रशासकीय, कारणिक (ministerial) तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना ; तथा

(१४) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अपेक्षित अन्य समस्त कार्य और बातें करना, चाहे वे उपर्युक्त अधिकारों से आनुषंगिक हों या न हों।

निरीक्षण

७—(१) राज्य सरकार, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह आदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं (laboratories) तथा साज-सज्जा (equipment) और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था का निरीक्षण करा सकती है और साथ ही विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी मामले में उसी प्रकार जांच करवा सकती है।

(२) राज्य सरकार प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय को अपने इस आशय का नोटिस देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच करवाना चाहती है और विश्वविद्यालय को अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा जिसे उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने तथा सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा।

(३) राज्य सरकार उक्त निरीक्षण और जांच के फल के सम्बन्ध में बोर्ड को ऐसे परामर्श के साथ जो राज्य सरकार कार्यवाही करने के सम्बन्ध में दे, संबोधित कर सकती है।

(४) बोर्ड राज्य सरकार को ऐसी कार्यवाही की, यदि कोई हो, सूचना देगा जो वह ऐसे निरीक्षण अथवा ऐसी जांच के फल को दृष्टि में रखकर करना चाहे या जो उसने की हो।

(५) यदि बोर्ड उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही न करे, तो राज्य सरकार उक्त बोर्ड द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण अथवा अभ्यावेदन (representation) पर विचार करके ऐसे निदेश प्रचारित करेगी जो वह उचित समझे और बोर्ड उनका अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।

विश्वविद्यालय के पदाधिकारी तथा प्राधिकारी।

८—विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे :

(क) विश्वविद्यालय के पदाधिकारी :

(१) कुलपति (Chancellor) ;

(२) उप-कुलपति (Vice-Chancellor) ;

(३) लेखानियंत्रक (Comptroller) ;

(४) रजिस्ट्रार (Registrar) ;

(५) छात्र-कल्याण का डीन (Dean of Student Welfare) ;

(६) फैकल्टियों के डीन (Dean of Faculties) ;

(७) कृषि-प्रयोग-केन्द्र-संचालक (Director of the Agricultural Experiment Station) ;

(८) प्रसार-संचालक (Director of Extension) ; और

(९) विश्वविद्यालय की सेवा में संलग्न ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी घोषित किये जांय ।

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी:

(१) प्रबन्धक बोर्ड (Board of Management) ;

(२) विद्वत् परिषद् (Academic Council) ;

(३) फैकल्टियों के बोर्ड (Boards of Faculties) ; तथा

(४) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जांय ।

कुलपति

९---(१) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे । वे पदेन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष होंगे और उपस्थित रहने पर विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेंगे ।

(२) कुलपति को ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उन्हें दिये जांय ।

बोर्ड का संगठन तथा उसके अधिकार और कर्त्तव्य ।

१०---(१) कुलपति इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बारह महीनों के भीतर बोर्ड का संघटन करेंगे ।

(२) बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :

पदेन सदस्य

(क) उप-कुलपति ;

(ख) कृषि संचालक, उत्तर प्रदेश ;

(ग) शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश ;

(घ) पशु-पालन संचालक, उत्तर प्रदेश ।

अन्य सदस्य

(ङ) राज्य की विधान सभा के दो सदस्य, जो उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित होंगे ;

(च) राज्य की विधान परिषद् का एक सदस्य, जो उक्त विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित होगा ;

(छ) कृषि की शिक्षा तथा उसके विकास में अभिरूचि रखने वाले दो व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट करेगी ;

(ज) निम्नलिखित [संस्थाओं] में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि---

(१) दि स्टेट फार्मर्स फोरम (The State Farmers' Forum) ;

(२) दि इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन (The Indian Council of Agricultural Education) ;

(३) यू० पी० इंजीनियर्स एसोसियेशन (U. P. Engineers Association);

(४) राज्य समाज कल्याण बोर्ड (The State Social Welfare Board) ; [तथा]

(५) यू० पी० कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड (The U. P. Co-operative Bank Limited) ; तथा

(६) पंजीकृत स्नातक

प्रतिबन्ध यह है कि स्टेट फार्मर्स फोरम का प्रतिनिधि ऐसा व्यक्ति होगा जो खेती करता हो, राज्य समाज कल्याण बोर्ड की प्रतिनिधि ऐसी स्त्री होगी जो सरकारी अधिकारी न हो, तथा यू० पी० कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड का प्रतिनिधि ऐसा व्यक्ति होगा जो सरकारी अधिकारी न हो।

[(३) उपधारा (२) में मद (ज) के अधीन व्यक्ति कुलपति द्वारा उन दो-दो व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट होंगे जिनकी तद्धीन निर्दिष्ट संस्थाओं में से प्रत्येक सिफारिश करेगा ।]

३ [(४)] बोर्ड अपना सभापति अपने सदस्यों में से निर्वाचित करेगा ।

(४) [(५)] बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि छः वर्ष की होगी, परन्तु बोर्ड का प्रथम संघटन हो जाने पर उस समय चुने हुये कुछ सदस्यों की पदावधि को कम करने के लिये परिनियमों में व्यवस्था की जायगी जिससे कि उसके पश्चात् प्रत्येक दो वर्षों में एक-तिहाई या उसके निकटतम सदस्य पद-निवृत हों ।

(५) [(६)] अपने पूर्वाधिकारी का शेष कार्यकाल ही आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये चुने गये सदस्य का कार्यकाल होगा ।

(६) [(७)] सदस्य बिना वेतन के कार्य करेंगे; परन्तु दैनिक भत्ता तथा यात्रिक व्यय पाने के अधिकारी होंगे, जो विश्वविद्यालय के आय-व्ययक से दिया जायगा ।

(७) [(८)] बोर्ड के अधिकार तथा कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) उप-कुलपति द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक का अनुमोदन ;

(ख) विश्वविद्यालय के शैक्षिक तथा प्रशासकीय कर्मचारिवर्ग के सदस्यों को नियत रीति से नियुक्त करना;

(ग) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को अपने अधिकार में रखना और उन पर नियंत्रण रखना तथा इस सम्बन्ध में कोई सामान्य आदेश प्रचारित करना ;

(घ) किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण को विश्वविद्यालय की ओर से स्वीकार करना ;

(ङ) विशिष्ट प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय के अधिकार में दी गई निधियों का प्रशासन ;

(ङङ) विश्वविद्यालय के रुपये का विनियोजन (to invest) ;

(च) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार तथा प्रयोग का निर्देश करना ;

(छ) ऐसी स्थायी अथवा अस्थायी समितियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह अपने कृत्यों के उचित सम्पादन के लिये आवश्यक समझे ;

(ज) धारा ११ की उप-धारा (१) के उपबंधों के अधीन रहते हुये, उप-कुलपति को नियुक्त करना ;

(झ) पूंजी गत (capital) सुधारों के लिये धन उधार लेना तथा उसकी वापसी का उपयुक्त प्रबंध करना ;

(ञ) ऐसे समय तथा ऐसे स्थानों में जिसे वह आवश्यक समझे, अधिवेशन करना; किन्तु प्रतिबंध यह है कि प्रत्येक दो मास में कम से कम एक नियमित बैठक की जायगी, और प्रतिबंध यह भी ह कि इसकी नियमित बैठकों में से कम से कम आधी बैठकें विश्वविद्यालय में की जायंगी ;

(ट) इस अधिनियम तथा परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी मामलों को विनियमित तथा निर्धारित करना तथा ऐसे अधिकारों का प्रयोग करना और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे दिये जांय या उस पर आरोपित किये जांय ।

उप-कुलपति

११—(१) उप-कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा । प्रथम उप-कुलपति कुलपति द्वारा चार वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये तथा ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जायगा जो कुलपति निर्धारित करे । अनुवर्ती उप-कुलपति बोर्ड द्वारा नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे ।

(१-क) उपकुलपति की पदावधि चार वर्ष होगी ।

(१-ख) कोई व्यक्ति दो पदावधियों से अधिक के लिये उप-कुलपति के पद पर आसीन रहने का पात्र न होगा ।

(२) उप-कुलपति की उपलब्धियां (emoluments) तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो नियत की जांय और नियुक्ति के पश्चात् उसके हितों के प्रतिकूल उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा ।

(३) उप-कुलपति बोर्ड को संबोधित लिखित त्याग-पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है । साधारणतया त्याग-पत्र उस दिनांक से जब कि उप-कुलपति कार्यभार से मुक्त होना चाहता हो ६० दिन पूर्व बोर्ड के सचिव को दिया जायगा ।

(४) यदि छुट्टी लेने के कारण अथवा कार्यकाल की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से उप-कुलपति का पद रिक्त हो जाय या उसके रिक्त होने की संभावना हो, तो रजिस्ट्रार इस बात की सूचना तुरन्त बोर्ड को देगा । ऐसी रिक्ति की पूर्ति यथासंभव उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार की जायगी ।

(५) जब तक कि उपधारा (४) के अधीन रिक्ति की पूर्ति न हो जाय या जब तक कि ऐसे समय के लिये बोर्ड कार्यवाहक (acting) उप-कुलपति नाम-निर्दिष्ट न करे, तब तक रजिस्ट्रार उप-कुलपति के पद के साम्प्रतिक कर्त्तव्यों (current duties) का पालन करेगा ।

उप-कुलपति के अधिकार और कर्त्तव्य।

१२--(१) उप-कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक तथा शैक्षिक पदाधिकारी होगा और कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा। वह विद्वत् परिषद् का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा और बोर्ड का पदेन सदस्य होगा।

(२) उप-कुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों का निष्ठा के साथ पालन किया जाय, और, धारा २३ के अधीन कुलपति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो तदर्थ आवश्यक हों।

(३) उप-कुलपति को विद्वत् परिषद् के अधिवेशन बुलाने का अधिकार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि वह अपने अधिकार को विश्वविद्यालय के किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनिहित (delegate) कर सकता है।

(४) उप-कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) उप-कुलपति बोर्ड के समक्ष आय-व्ययक तथा लेखा-विवरण प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(६) किसी ऐसी आपातिक स्थिति में, जिसमें उप-कुलपति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो, वह ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे और की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन यथाशीघ्र उस पदाधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को देगा, जिसके द्वारा उस मामले में साधारणतया कार्यवाही की जाती, किन्तु इस उपधारा की किसी बात से उप-कुलपति को कोई ऐसा व्यय करने का अधिकार दिया गया नहीं समझा जायगा, जो समुचित रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में न की गई हो।

(७) यदि उपधारा (६) के अधीन उप-कुलपति द्वारा की गई किसी कार्यवाही से विश्वविद्यालय की सेवा में लगे किसी व्यक्ति पर हानिप्रद प्रभाव पड़ता हो तो वह व्यक्ति उस दिनांक के, जिस पर उसे कार्यवाही की सूचना दी गई हो, तीस दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है।

(८) पूर्वोक्त बातों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, वृत्तिक कर्मचारिवर्ग (professional staff) तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन और पदच्युति के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा दी गई आज्ञाओं को उप-कुलपति कार्यान्वित करेगा।

(९) उप-कुलपति दीक्षान्त समारोह में ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करेगा जो उन्हें प्राप्त करने के अधिकारी हों किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कुलपति उपस्थित हो तो वह ही कोई या समस्त उपाधियां प्रदान करेगा।

(१०) उप-कुलपति अध्यापन, अनुसंधान तथा प्रसार के प्रगाढ़ समन्वय तथा एकीकरण के लिये उत्तरदायी होगा।

(११) उप-कुलपति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियत किये जांय ।

लेखा-नियंत्रक

१३—(१) लेखा-नियंत्रक (comptroller) विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा उप-कुलपति द्वारा, बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुये, नियुक्त किया जायगा ।

(२) वह बोर्ड का पदेन सचिव होगा तथा उसको देय वेतन और भत्ते वे होंगे जो नियत किये जांय ।

(३) धारा ११ की उपधारा (२), (३), (४) तथा (५) में उल्लिखित त्याग-पत्र, उपलब्धियों से भिन्न सेवा की शर्तों, अस्थायी रिक्तियों की पूर्ति तथा साम्प्रतिक कर्त्तव्यों के सम्पादन की व्यवस्था के सम्बन्ध में उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लेखा-नियंत्रक के पद के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

(४) लेखा-नियंत्रक विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनियोजित धनराशियों (investments) का प्रबन्ध करेगा और उसकी वित्तीय नीति के सम्बन्ध में परामर्श देगा। वह उप-कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निमित्त आय-व्ययक तथा लेखा-विवरण तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(५) लेखा-नियंत्रक का निम्नलिखित कर्त्तव्य होगा—

(१) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा, विनियोजन से भिन्न किसी रूप में, कोई ऐसा व्यय न किया जाय जो आय-व्ययक में प्राधिकृत न किया गया हो, और

(२) किसी ऐसे व्यय को अस्वीकृत करना जो किसी परिनियम के निबन्धनों का उल्लंघन करे, या जिसके लिये परिनियमों द्वारा व्यवस्था अपेक्षित हो, किन्तु की न गई हो ।

रजिस्ट्रार

१४—(१) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा उप-कुलपति द्वारा बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुये नियुक्त किया जायेगा ।

(२) रजिस्ट्रार को देय वेतन तथा भत्ते वे होंगे जो नियत किये जांय ।

(३) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की समुचित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा । वह विद्वत परिषद् का पदेन सचिव होगा और उसके समक्ष ऐसी समस्त सूचना रखने के लिये बाध्य होगा जो कार्य-संपादन के लिये आवश्यक हों । वह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये प्रार्थना-पत्रों को लेगा तथा समस्त पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्या (curricula) और अन्य सूचना का, जिसे आवश्यक समझा जाय, स्थायी अभिलेख रखेगा ।

(४) रजिस्ट्रार उन परीक्षाओं के, जो नियत की जांय, संचालन के लिये उत्तरदायी होगा और उनके लिये आवश्यक अन्य समस्त प्रबन्ध करेगा और उनसे संबद्ध समस्त प्रक्रियाओं (processes) के समुचित निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा ।

(५) रजिस्ट्रार ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो समय-समय पर बोर्ड अथवा उप-कुलपति द्वारा नियत किये जायें अथवा अपेक्षित हों ।

(६) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय के किसी कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक न दिया जायगा, न वह उसे स्वीकार करेगा, सिवाय उस पारिश्रमिक के जिसकी व्यवस्था परिनियमों द्वारा की गई हो।

छात्र-कल्याण का डीन

१५--(१) छात्र-कल्याण का डीन (Dean of Student Welfare) विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुये उप-कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा।

(२) छात्र-कल्याण के डीन को देय वेतन तथा भत्ते वे होंगे जो नियत किये जांय।

(३) छात्र-कल्याण के डीन के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे:--

(१) छात्रों के निवास के लिये प्रबन्ध करना;

(२) छात्रों को परामर्श देने के कार्यक्रम का संचालन करना;

(३) उप-कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के नियोजन (employment) का प्रबन्ध करना;

(४) छात्रों की पाठ्यचर्या के अतिरिक्त कार्यों तथा आवश्यकताओं का पर्यवेक्षण करना;

(५) विश्वविद्यालय से जाने वाले स्नातकों को नियुक्ति पाने में सहायता देना; तथा

(६) विश्वविद्यालय के पूर्व-छात्रों को संगठित करना तथा उनसे सम्पर्क बनाये रखना।

विद्वत् परिषद्

१६--(१) विद्वत् परिषद् विश्वविद्यालय के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों की भार-साधक होगी और इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अध्यापन, शिक्षा तथा परीक्षा के स्तरों और उपाधियां प्राप्त करने की अपेक्षाओं का नियंत्रण तथा सामान्य विनियमन करेगी और उसके अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होगी और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा अन्य ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे दिये जांय या उस पर आरोपित किये जांय। उसे शिक्षा सम्बन्धी समस्त विषयों पर उपकुलपति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(२) विद्वत् परिषद् का संघटन तथा उसके सदस्यों की पदावधि की जायगी।

फैकल्टियां

१७--(१) विश्वविद्यालय में वे फैकल्टियां होंगी जो नियत की जांय।

(२) प्रत्येक फैकल्टी में वे विभाग होंगे जो नियत किये जांय, तथा विभिन्न विभागों के लिये पाठ्य विषय परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(३) प्रत्येक फैकल्टी का एक बोर्ड होगा जिसका संघटन तथा जिसके अधिकार नियत किये जायेंगे।

(४) प्रत्येक फैकल्टी का एक डीन होगा जो ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के लिये चुना जायगा जो नियत की जाय।

(५) डीन फैकल्टी के बोर्ड का सभापति होगा और फैकल्टी से संबद्ध परिनियमों तथा विनियमों के सम्यक् अनुपालन के लिये उत्तरदायी होगा। वह फैकल्टी के विभागों में अध्यापन, अनुसंधान तथा प्रसार-कार्य के संघटन और संचालन के लिये भी उत्तरदायी होगा।

(६) प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो विभाग के संघटन तथा संचालन के लिये डीन के प्रति उत्तरदायी होगा।

(७) विभागाध्यक्षों की नियुक्ति उसी प्रकार होगी तथा उनके कर्त्तव्य, अधिकार और कृत्य वे होंगे जो नियत किये जांय।

कृषि-प्रयोग-केन्द्र

१८--(१) विश्वविद्यालय में एक कृषि-प्रयोग-केन्द्र (Agricultural Experiment Station) स्थापित किया जायगा। इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, वह समस्त फैकल्टियों में आधारभूत तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार के अनुसंधान के लिये उत्तरदायी होगा।

(२) एक कृषि-प्रयोग-केन्द्र-संचालक होगा जो कृषि के डीन के प्रति उत्तरदायी होगा। उसका नाम-निर्देशन कृषि के डीन द्वारा किया जायगा तथा उसकी नियुक्ति उपकुलपति द्वारा की जायगी।

(३) कृषि-प्रयोग-केन्द्र संचालक कृषि का प्राविधिक प्रशिक्षण प्राप्त एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा। वह परियोजनाओं (projects) के अभिलेखों को उचित रूप से रखेगा तथा अनुसंधान की प्रगति के प्रतिवेदनों को नियत र त काशन के लिये लेगा।

कृषि तथा गृह-विज्ञान प्रसार सेवा

१९--(१) विश्वविद्यालय में एक कृषि तथा गृह-विज्ञान प्रसार सेवा (Agricultural and Home Science Extension Service) स्थापित की जायगी और वह, इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन रहते हुये, कृषकों तथा गृहणियों को उनकी समस्यायें सुलझाने में सहायता देने के निमित्त उपयोगी सूचना उपलभ्य करायेगी तथा नवयुवकों में कृषि के प्रति अभिरुचि का विकास करने के लिये उपाय करेगी, जैसे तरुण संघों की स्थापना।

(२) एक प्रसार संचालक (Director of Extension) होगा जो कृषि के डीन के प्रति उत्तरदायी होगा। उसका नाम-निर्देशन कृषि के डीन द्वारा होगा तथा नियुक्ति उपकुलपति द्वारा की जायगी।

(३) प्रसार संचालक कृषि में प्राविधिक प्रशिक्षण प्राप्त एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा जो अनुसंधान के परिणामों के आधार पर प्रसार-कार्य का कार्यक्रम बनायेगा तथा उसे निष्पादित करेगा।

सदस्यता सम्बन्धी अनुपूरक उपबन्ध

२०--(१) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्य पदों में होने वाली सभी आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति यथासुविधा शीघ्र ऐसे व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा की जायगी, जिसने उस सदस्य को, जिसका पद रिक्त हुआ हो, नियुक्त, निर्वाचित अथवा आमेलित (co-opted) किया हो, तथा आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित अथवा आमेलित व्यक्ति उस पदावधि के शेषकाल के लिये उक्त प्राधिकारी या निकाय का सदस्य रहेगा जिस तक कि वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर वह नियुक्त हुआ हो, उसका सदस्य रहता।

(२) कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या न हो, तो वह विश्वविद्यालय के उस प्राधिकारी का तभी तक सदस्य

रहेगा जब तक वह उस निकाय का सदस्य बना रहे जिसके द्वारा वह नाम निर्देशित, नियुक्त या निर्वाचित हुआ था और तत्पश्चात् जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की यथाविधि नियुक्ति न हो जाय ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अवैध न होंगी

२१--विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अवैध न होगी कि उसमें सदस्य पदों की रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान थीं या किसी ऐसे व्यक्ति ने कार्यवाहियों में भाग लिया था जिसके विषय में कार्यवाही के पश्चात् यह ज्ञात हुआ हो कि वह ऐसा करने का अधिकारी नहीं था ।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

२२--बोर्ड किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या बोर्ड की सदस्यता से इस आधार पर हटा सकता है कि वह व्यक्ति नैतिक पतन वाले किसी अपराध का सिद्ध-दोष (convicted) हुआ है ।

सदस्यता और कार्यवाहियां

२३--यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति बोर्ड के अधीनस्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त हुआ है या नहीं अथवा ऐसा सदस्य होने का अधिकारी है या नहीं या विश्वविद्यालय का अथवा बोर्ड के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम तथा परिनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो वह मामला कुलपति को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसका इस सम्बन्ध में निर्णय अन्तिम होगा ।

समितियों का संघटन

२४--जब इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को समितियां नियुक्त करने का अधिकार दिया गया हो, तो वे समितियां, जब तक कि इसके प्रतिकूल कोई विशेष व्यवस्था न हो, सम्बद्ध प्राधिकारी के सदस्यों में से बनेंगी ।

निवृत्त वेतन अथवा भविष्य निधि

२५--(१) विश्वविद्यालय अपने पदाधिकारियों, अध्यापकों, लिपिक-वृन्द (clerical staff) तथा अन्य नियोजित व्यक्तियों के लाभार्थ ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जायं, ऐसे निवृत्ति वेतन, बीमा तथा भविष्य-निधियों (pension, insurance and provident funds) की स्थापना करेगा, जिन्हें वह उचित समझे ।

(२) जब कोई ऐसी भविष्य-निधि कुलपति द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन इस प्रकार स्थापित की गई हो, तो कुलपति यह घोषणा कर सकते हैं कि प्राविडेंट फंड्स ऐक्ट, १९२५ के उपबंध उस निधि पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, मानो वह कोई गवर्नमेंट प्राविडेंट फंड हो ।

वेतन-भोगी पदाधिकारियों तथा अध्यापकों की नियुक्ति

२६--(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय के कर्मचारिवर्ग (staff) के सदस्य बोर्ड द्वारा उप-कुलपति की सिफारिश पर नियुक्त किये जायेंगे ।

(२) उन दशाओं को छोड़कर जिनकी व्यवस्था परिनियमों में की गई हो, विश्वविद्यालय का प्रत्येक वेतन-भोगी पदाधिकारी तथा अध्यापक लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायगा । संविदा उप-कुलपति के पास रक्खा जायगा तथा उसकी एक प्रतिलिपि सम्बद्ध पदाधिकारी, अथवा अध्यापक को दी जायगी । संविदा इस अधिनियम तथा तत्समय प्रवृत्त परिनियमों के सेवा की शर्तों से संबंधित उपबंधों से असंगत न होगा ।

२७—विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या अध्यापक के बीच संविदा से कोई विवाद उठने की दशा में, सम्बद्ध पदाधिकारी या अध्यापक की प्रार्थना पर वह विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसमें बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य, संबद्ध पदाधिकारी या अध्यापक द्वारा नाम-निर्देशित एक सदस्य तथा कुलपति द्वारा नियुक्त एक निर्णेता (umpire) होंगे। इस न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा न्यायाधिकरण द्वारा निर्णीत विषयों के बारे में किसी भी दीवानी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत न किया जा सकेगा। ऐसी प्रत्येक प्रार्थना आरबीट्रेशन ऐक्ट, १९४० के अर्थ में इस धारा की शर्तों के अनुसार उक्त मध्यस्थ निर्णय के लिये प्रस्तुति (submission to arbitration) समझी जायगी, तथा उस अधिनियम की धारा २ को छोड़कर उसके सब उपबंध तदनुसार प्रवृत्त होंगे। विश्वविद्यालय तथा उसके कर्मचारिवर्ग के बीच विवादों के लिये मध्यस्थ न्यायाधिकरण

२८—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, परिनियमों में किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकती है तथा उनमें विशेष रूप से निम्नलिखित की व्यवस्था की जायगी— परिनियम

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का संघटन और उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, उनकी नियुक्ति तथा उनका पद पर बना रहना, जिनके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी है, तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं उक्त प्राधिकारियों से सम्बद्ध ऐसे अन्य सभी विषय जिनकी व्यवस्था करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का नामोद्देश (designation) उनकी नियुक्ति की रीति, और उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य;

(घ) अध्यापकों का वर्गीकरण तथा उनकी नियुक्ति की रीति;

(ङ) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये निवृत्ति-वेतन या भविष्य-निधि का संघटन तथा बीमा योजना की स्थापना;

(च) उपाधियों तथा डिप्लोमाओं की स्थापना;

(छ) सम्मान्य उपाधियों (honorary degrees) का प्रदान;

(ज) फैकल्टियों की स्थापना, एकीकरण (amalgamation) उप-विभाजन तथा उनका समापन (abolition);

(झ) फैकल्टियों में अध्यापन विभागों की स्थापना;

(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित [हालों और] छात्रावासों की स्थापना तथा उनका समापन;

(ट) परिषद् वृत्तियों (fellowships), छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों की स्थापना;

(ठ) पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना;

(ड) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा नामांकन और उनका इस प्रकार बना रहना;

(ढ) विश्वविद्यालय की सब उपाधियों तथा डिप्लोमा के लिये निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ण) शर्तें जिनके अधीन छात्र उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा अन्य पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रविष्ट किये जायेंगे तथा वे उपाधियां और डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे;

(त) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावसों [तथा हालों] में आवास के लिये शुल्कों का लिया जाना;

(थ) ऐसे [हालों तथा] छात्रावासों का अभिज्ञान तथा प्रबन्ध जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों;

(द) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा वेतनभोगी पदाधिकारियों की संख्या, अर्हतायें, उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें (जिनके अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति की आयु भी है) तथा उनकी सेवा और कार्यकलापों का अभिलेख तैयार करना और रखना;

(ध) शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन के निमित्त लिये जा सकें;

(न) शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों को [महाविद्यालयों, हालों तथा] छात्रावासों में अध्यापन के निमित्त अर्ह स्वीकृत किया जाय;

(प) परीक्षा-निकायों, परीक्षकों तथा परिमार्जकों (moderators) की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्त्तव्य;

(फ) परीक्षाओं का संचालन;

(ब) पारिश्रमिक तथा भत्ते, जिनके अन्तर्गत यात्रिक भत्ते और दैनिक भत्ते भी हैं, जो उन व्यक्तियों को दिये जायेंगे जो विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित हों;

(भ) परिषद्-वृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यार्थी-वृत्तियां, निर्धन छात्र-वृत्तियां (bursaries), पदक तथा पारितोषिक प्रदान किये जाने की शर्तें; तथा

(म) अन्य समस्त विषय जिनके लिये इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा व्यवस्था होनी चाहिये या हो सकती है ।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

२९--(१) धारा २८ के खंड (क) से (ठ) में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाये जायेंगे और उनकी एक प्रति राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष १४ दिन तक रखी जायगी और, तदन्तर्गत पहले से की गई किसी भी बात की वैधता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुये, वे ऐसे परिवर्धनों एवं परिवर्त्तनों के अधीन रहेंगे जिनके बारे म दोनों सदन सहमत हों ।

(२) इस धारा में आगे दी हुई रीति से बोर्ड समय-समय पर नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकता है तथा उन्हें संशोधित अथवा निरस्त भी कर सकता है ।

(३) विद्वत् परिषद् बोर्ड के समक्ष उसके द्वारा पारित होने के निमित्त किसी भी परिनियम का प्रारूप प्रस्तावित कर सकती है और ऐसे प्रारूप पर बोर्ड के आगामी अधिवेशन में विचार किया जायगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विद्वत् परिषद् ऐसे परिनियम का या किसी परिनियम के ऐसे संशोधन का प्रारूप प्रस्तावित नहीं करेगी जिससे विश्वविद्यालय के किसी वर्त्तमान प्राधिकारी की स्थिति (status) या उसके अधिकार या संघटन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट करने का अवसर न दिया जा चुका हो तथा इस प्रकार व्यक्त किसी मत पर बोर्ड विचार करेगा ।

(४) बोर्ड, उपधारा (३) में अभिदिष्ट किसी प्रारूप को अनुमोदित कर सकता है तथा उस परिनियम को पारित कर सकता है, अथवा उसे अस्वीकार कर सकता है, अथवा उसे विद्वत् परिषद् को अंशतः या पूर्णतः पुनर्विचारार्थ ऐसे संशोधनों सहित लौटा सकता है जिनका वह सुझाव दे ।

(५) बोर्ड का कोई सदस्य बोर्ड के समक्ष किसी परिनियम का प्रारूप प्रस्तावित कर सकता है तथा बोर्ड उस प्रस्ताव को, यदि वह ऐसे विषय से सम्बन्धित है जो विद्वत् परिषद् के क्षेत्र में नहीं है, स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है । यदि ऐसे प्रारूप विद्वत् परिषद् के क्षेत्र के भीतर के किसी विषय से सम्बन्धित हो तो बोर्ड उसे विद्वत् परिषद् के विचारार्थ अभिदिष्ट करेगा । विद्वत् परिषद् बोर्ड को यह प्रतिवेदन दे सकती है कि वह उस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करती है और तब वह प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अस्वीकृत समझा जायगा, या वह उक्त प्रारूप को बोर्ड के पास उस रूप में प्रस्तुत कर सकती है जिसे विद्वत् परिषद् अनुमोदित करे और इस प्रकार प्रस्तुत प्रारूप पर इस धारा के उपबंध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे विद्वत् परिषद् द्वारा बोर्ड को प्रस्तावित प्रारूप के विषय में प्रवृत्त होते हैं ।

(६) किसी भी नये परिनियम या परिनियमों के परिवर्धन पर या किसी परिनियम के संशोधन या निरसन पर कुलपति के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी । कुलपति उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं अथवा उसे और विचार के निमित्त वापस भेज सकते हैं ।

विनियम

३०--(१) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा बोर्ड इस अधिनियम तथा परिनियमों से संगत विनियम बना सकते हैं, जिनमें--

(क) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति (quorum) के लिये अपेक्षित सदस्य-संख्या निर्धारित की जाय ;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जो इस अधिनियम तथा परिनियमों के अधीन विनियमों द्वारा व्यवस्थित किये जाने वाले हों; तथा

(ग) किन्हीं अन्य ऐसे विषयों की व्यवस्था की जाय जो केवल उन प्राधिकारियों या बोर्डों से सम्बन्ध रखते हों और जिनके लिये इस अधिनियम तथा परिनियमों में व्यवस्था न की गई हो ।

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी विनियम बनायेगा जिनमें उस प्राधिकारी के सदस्यों को उन दिनांकों को जिन पर अधिवेशन होंगे और उस कार्य की जिस पर अधिवेशनों में विचार किया जायगा, पूर्व सूचना देने तथा अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने की व्यवस्था की जायगी ।

(३) बोर्ड ऐसी रीति से जो वह निर्दिष्ट करे, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन बनाये गये किसी विनियम में संशोधन या उपधारा (१) के अधीन बनाये गये किसी विनियम के रद्द किये जाने का आदेश दे सकता है ।

(४) परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विद्वत् परिषद् सम्बद्ध फैकल्टी के बोर्ड से तत्संबंधी प्रारूप प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं तथा उपाधियों के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिये विनियम बना सकती है ।

(५) विद्वत् परिषद् फैकल्टी के बोर्ड से प्राप्त प्रारूप में परिवर्त्तन नहीं कर सकती है, किन्तु प्राप्त प्रारूप को अस्वीकार कर सकती है या उसे, अपने सुझावों सहित और अधिक विचार करने के लिये फैकल्टी के बोर्ड को वापस कर सकती है ।

छात्रों का निवास

३१---छात्र विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उपकुलपति द्वारा अनुमोदित निवासों में, नियत शर्तों के अधीन रहते हुये, रहेंगे ।

अधिकारों का प्रतिनिधायन

३२---बोर्ड इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अपने किसी अधिकार को परिनियम द्वारा किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसे प्रतिबंधों तथा शर्तों के अधीन, जो नियत किये जायं, प्रयोग करने के लिये दे सकता है ।

वार्षिक प्रतिवेदन

३३---विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन उप-कुलपति के निदेशाधीन तैयार किया जायगा तथा बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को उस वार्षिक अधिवेशन के एक मास पूर्व प्रस्तुत कर दिया जायगा जिसमें उस पर विचार किया जायगा ।

लेखे और लेखा परीक्षा

३४---(१) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और रोकड़-पत्र (balance sheet) उप-कुलपति के निदेशाधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी साधन से विश्वविद्यालय को प्राप्य या प्राप्त हुई (accruing to or received by) समस्त धनराशियां और ऐसी धनराशियां जिनका वितरण अथवा भुगतान किया गया हो लेखे में दर्ज की जायंगी ।

(२) लेखा तथा रोकड़-पत्र बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे जो परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा (Examiner Local Fund Accounts), उत्तर प्रदेश, द्वारा उनकी लेखा परीक्षा करायेगा ।

(३) लेखा-परीक्षा होने के पश्चात् लेखे को मुद्रित किया जायगा और उसकी प्रतिलिपियां, लेखा-परीक्षा के प्रतिवेदन की प्रतिलिपियों सहित, उप-कुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायंगी जिन्हें वह राज्य सरकार को ऐसी टिप्पणी के साथ भेजेगा जो वह आवश्यक समझे ।

कुछ अन्य उपबंध

३५---इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय तथा उस समय तक जब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारी यथाविधि संघटित न हो जायं, विश्वविद्यालय के किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति उप-कुलपति कर सकता है । ऐसी नियुक्ति तथा उसकी शर्तों के लिये कुलपति का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा ।

कठिनाइयों का निवारण

३६--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के संबंध में होने वाली किन्हीं कठिनाइयों के निवारणार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा--

(क) निदेश दे सकती है कि अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित कोई परिनियम ऐसी अवधि में जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक और इष्टकर समझे, प्रभावी होंगे; अथवा

(ख) निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य या सम्पादनीय अधिकार, कर्त्तव्य तथा कृत्य उस समय तक जब तक कि उक्त पदाधिकारी या प्राधिकारी यथोचित रूप से नियुक्त या संघटित न हो जाय, किसके द्वारा और किस रीति से प्रयुक्त या सम्पादित किये जायेंगे ; अथवा

(ग) ऐसे अन्य अस्थायी उपबंध बना सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई किसी भी आज्ञा पर किसी भी विधि न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति न की जा सकेगी कि ऐसी कोई कठिनाई जिसका उक्त उपधारा में अभिदेश है, विद्यमान नहीं थी या उसके निवारण की आवश्यकता नहीं थी ।

उद्देश्य और कारण

भारत सरकार द्वारा १९४८ ई० में डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् के सभापतित्व में संघटित किये गये विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग (University Education Commission) ने अन्य बातों के साथ-साथ देश में कृषि-विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी । भारत सरकार ने इस सुझाव को मान लिया तथा अमेरिका और भारत की कृषि-संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने और भारत में इन संस्थाओं की उन्नति करने के लिये उपायों का सुझाव देने के निमित्त सन् १९५४ में एक संयुक्त भारत-अमेरिकी मण्डल की नियुक्ति की । इस मण्डल ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया तथा अपने प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ जिला नैनीताल के तराई स्टेट फार्म में एक कृषि-विश्वविद्यालय की स्थापना करने की सिफारिश की । इन सिफारिशों का अनुसरण करके तराई में एक कृषि-विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसका केन्द्रस्थल स्टेट फार्म होगा । प्रस्तावित विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के 'लैण्ड ग्रांट कालेज' के सदृश्य होगा तथा इसमें पांच महाविद्यालय सम्मिलित होंगे, अर्थात्--

(१) कृषि महाविद्यालय (Agricultural College),
(२) पशुपालन महाविद्यालय (College of Animal Husbandry),
(३) कृषि-प्रौद्योगिक-महाविद्यालय (College of Agricultural Technology),
(४) गृह विज्ञान महाविद्यालय (College of Home Science),
(५) विज्ञान महाविद्यालय (College of Science.),

ये सब महाविद्यालय एक ही क्षेत्र में स्थित होंगे और वे स्वतंत्र रूप से नहीं, अपितु एक ही प्रशासन तथा समन्वित, अध्यापन प्रणाली के अन्तर्गत कार्य करेंगे ।

मोहनलाल गौतम,
कृषि मंत्री ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--२७८ एल० ए०--१९५८--८४० ।